राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६० का २५वां दिवस [संख्या १७

शनिवार, दिनांक १९ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर २० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त, सिंचाई, स्वास्थ्य, गृह, आबकारी, यातायात, नगर-पालिका, श्रम, आयुर्वेद तथा विद्युत–विभाग]

प्रश्न संख्या ४९४

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री रामधन ।

(अनुपस्थित)

बीकानेर में हटाये गये दलित वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को रोकने की कार्यवाही

४९५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या बीकानेर में पुराने बसे दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों को हटाने की कार्यवाही नगर विकास समिति की ओर से हुई है ? यदि हां, तो क्यों तथा उस कार्यवाही को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी नहीं !

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर में हॉस्पिटल के सामने दादीजी की धर्मशाला के पीछे और कमिश्नर के खुद के बंगले के पीछे जो दलितवर्गीय लोग सदियों से बसे हैं उनको नगर विकास विभाग की तरफ से कानूनी कार्यवाही करके हटाया जाय और मंत्रीजी इस प्रकार से कहते हैं कि 'जी नहीं'; इस प्रकार की बात कहते हैं जब कि इसके बारे में अनेक मामले चल रहे हैं । इस पर भी मंत्रीजी की तरफ से कहा जाता है कि "नहीं" तो मैं समझता हूं या तो मंत्रीजी के पास पूरी

Page No.2

(श्री मुरलीधर व्यास)

जानकारी नहीं है या वे ऐसा ही जवाब देना चाहते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड की तरफ से जो जवाब आया है उसी के आधार पर कह रहा हूं। लेकिन यह बात ज़रूर है कि कुछ लोगों ने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है, मिलिटरी एरिया के पास उनको हटाने की बात है, उनमें हरिजन भी हो सकते हैं। कबसे बसे हैं, यह नहीं कह सकता लेकिन नाजायज़ कब्जा किया है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : कितने साल के कब्जे को जायज़ मानते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक साल का भी नहीं, अगर बगैर पर्मिशन के है।

श्री मूलचन्द डागा : यदि किसी का कब्जा ४० साल से है तो उसको आप कब्जा मानते हैं या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने चार-पांच साल की बात कही है।

श्री मुरलीधर व्यास : हरिजनों को बसाने का प्रश्न किया था, उसके उत्तर में सरकार ने घोषणा की थी कि जो पीढ़ियों से बसे हैं उनको नहीं हटाया जायगा। तो क्या वह घोषणा सही नहीं थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो अब भी कहता हूं कि जो ४० साल से आबाद हैं उनसे एक रुपया लेकर पट्टा दे दिया जायगा, लेकिन जो नाजायज़ कब्जा करेंगे, उनको हटना पड़ेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कह रहा हूं कि जो पीढ़ियों से बसे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी आपने कोई शिकायत नहीं की है। यदि कोई ऐसी बात होगी तो जरूर कार्यवाही की जायगी।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यह सच है कि हटाने की कार्यवाही अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड नहीं करता है, बल्कि कलेक्टर की ओर से होती है और आपकी सूचना यू० आई० बी० के पास से आई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो सूचना है उसके आधार पर कहता हूँ कि कलेक्टर ने इस प्रकार से किसी को नहीं हटाया है।

डॉ० चन्द्रकला : आपके पास सूचना यू० आई० बी० से आई है लेकिन आबादी में हटाने का काम कलेक्टर करते हैं, यू० आई० बी० नहीं।

श्री अध्यक्ष : कलेक्टर उसके चेयरमेन हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : ये लोग गंदे नाले के पास पहले से बसे हुए हैं। अब क्योंकि शहर की आबादी उधर बढ़ रही है तो कलेक्टर ने यह देखा कि उनको वहां से हटा कर जमीन दूसरों को दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

झालावाड़ जिले की भीमसागर बांध योजना

४६६. **श्री रामचन्द्र** (डग-सु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

Page No.3

(श्री रामचन्द्र)

(क) झालावाड़ जिले की भीमसागर बांध योजना के बनाने का कार्य कब आरम्भ किया गया था ?

(ख) इस योजना का कितना एस्टीमेट था और उसमें से कितना धन अब तक खर्च किया जा चुका है ?

(ग) इस योजना में कितनी लंबाई की नहरों को खुदवाने का लक्ष्य रखा गया है और अब तक कितनी लंबाई की नहरें खुद चुकी हैं ?

(घ) बांध का कितना भाग बन चुका है और अब कितना भाग बनना बाकी है ?

(ङ) यह योजना कब तक पूरी हो जावेगी और इससे किसानों को कब तक पानी मिलने लग जावेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) भीम सागर बांध का कार्य सन् १९५४ में प्रारम्भ किया गया था।

(ख) इस योजना का तखमीना १८—१९ लाख रुपयों का था जिसमें से नवम्बर १९५९ तक १०. ४७ लाख रुपया खर्च किया जा चुका है।

(ग) इस योजना में २० मील बड़ी नहर और ११ मील की छोटी नहरों को बनाने का लक्ष्य था। इसमें से बड़ी नहर की खुदाई लगभग पूरी की जा चुकी है और छोटी नहरों में से एक की खुदाई बाकी है जो ३ मील लम्बी है।

(घ) बांध की कुल लम्बाई का करीब आधा भाग नदी से ३० फुट ऊंचा बन गया है परन्तु आधा भाग अभी नदी के लेवल पर है। यह बांध पुराने तखमीने के अनुसार नदी से लगभग ७५ फीट ऊंचा बनना था।

(ङ) इस योजना का काम १९६१—६२ में पूरा होगा और सन् ६१ की रबी में पानी देना शुरू कर दिया जावेगा।

श्री रामचन्द्र : इस बांध को ६ वर्ष तक नहीं बनाने और इतनी देरी होने का क्या कारण है ?

श्री भीखाभाई : इसके कई कारण हैं। एक कारण यह था कि कांट्रेक्टर काम छोड़ कर चला गया। दूसरा कारण यह था कि री-टेन्डर देने में देरी हुई। तीसरी बात यह है कि वहां एक गांव है कोटा के अन्दर अस्नावर, वह सब मर्ज में आता है लेकिन जो पुराना डेटा था उसके आधार पर यह अन्दर नहीं आना चाहिये था; यह देखने के लिये कि किस आधार पर काम किया जाय, इतना समय लग गया।

श्री रामचन्द्र : क्या यह गांव बरबाद किया जायगा या आबादी को दूसरी जगह बसाया जायगा या क्या किया जायगा ?

श्री भीखाभाई : यह देखा जा रहा है कि इसको बरबाद होने दिया जाय, या हटाया जाय या प्रोटेक्टिव वाल बनाई जाय।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' (अकलेरा—सु०) जो ठेकेदार काम छोड़ कर भाग गया था उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही चल रही है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : यह दूसरा प्रश्न है।

Page No.4

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : यह दूसरा प्रश्न नहीं है, इसी से संबंधित है।

श्री भीखाभाई : कानूनी कार्यवाही हो रही है।

श्री रामचन्द्र : इस बांध पर खर्चा शुरू में १८ लाख रखा था और आपने फरमाया कि ३६ लाख हो गया, यह कैसे ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा १८. १६ लाख का तखमीना था उसमें से खर्चा हुआ है १०. ४७ लाख का।

श्री रामचन्द्र : क्या जितना एस्टिमेट था उससे अधिक खर्चा नहीं होगा देरी करने से ?

श्री भीखाभाई : ५ साल पहले आप जिस रेट से खाना खाते थे क्या आज भी उसी रेट से खाना खा रहे हैं ?

श्री रामचन्द्र : मेरा ख्याल है कि ६ वर्ष तक बांध का काम बन्द रहा तो दुगुना, तिगुना खर्चा हो जायेगा। बिना वजह ही आपकी गलती के कारण ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा।

श्री भीखाभाई : उस समय काम कर दिया जाता तो अस्नावर गांव जिसमें आप इन्ट्रेस्टेड हैं वह डूब जाता।

श्री रामचन्द्र : इन्ट्रेस्टेड इसलिये हूँ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ का डेवलपमेन्ट इस पर आधारित है और इसके बिना सारा काम रुका हुआ है।

प्रश्न संख्या ४६७

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी।

देहली में विश्व कृषि मेले के राजस्थान मंडप में राजस्थान के रिलीफ मैप का प्रदर्शन

४६८. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :—

Is it correct that a 'Relief Map' of Rajasthan was displayed in the Rajasthan Pavilion of World Agricultural Fair, 1959 at Delhi ? If so, what was its cost of production ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : Yes. The cost of the 'Relief Map' is Rs. 24,000/-.

श्री पी० के० चौधरी : What is the normal cost of relief map ?

श्री रामकिशोर व्यास : That I can not say, it is the lowest quotation.

श्री पी० के० चौधरी : It may be but there are other relief maps also, what is the normal cost...

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिए मैं क्या कह सकता हूं, १० रुपये का भी हो सकता है, ५० रुपये का भी हो सकता है।

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that it was about 10 times of the normal relief map...

Page No.5

श्री रामकिशोर व्यास : यह ख्याल करना सही नहीं है, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड मेप है, पर्मानेन्ट चीज़ है और भी एग्ज़ीबिशन में काम में आ सकता है।

श्री पी० के० चौधरी : साइज़ क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास : २० बाई २०।

श्री पी० के० चौधरी : २० फीट या २० यार्ड्स ?

श्री रामकिशोर व्यास : फीट ।

श्री पी० के० चौधरी : Of what material it was made of ? किस चीज का बना है, सोने का बना है, लोहे का बना है, या लकड़ी का बना है !

श्री रामकिशोर व्यास : सोने का होता तो करोड़ों में जाता।

प्रश्न संख्या ४६६

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा ।

राजस्थान नगरपालिका सेवाओं की स्थापना

५००. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे:—

(क) राजस्थान म्यूनिसिपैलिटीज़ वेजेज़ एक्ट, १६५६, के चेप्टर १३ के अन्तर्गत बतलाई हुई राजस्थान नगरपालिका की सेवाएं निर्मित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने इस चेप्टर के अन्तर्गत उनकी सेवाओं की वेतन श्रृंखला निश्चित की है ? अगर नहीं, तो कब तक हो जायगी ?

(ग) उपरोक्त अभिप्राय से राजस्थान की नगरपालिकाओं को कितनी श्रेणियों में किस आधार पर विभाजित किया जा रहा है ?

(घ) इन श्रेणियों के अनुसार म्यूनिसिपल कमिश्नरस एवं एग्जीक्युटिव ऑफिसर्स का वेतन एवं वेतन श्रृंखला तथा उनका स्टेटस किस तरह निश्चित किया जा रहा है और कम से कम और अधिक से अधिक वेतन क्या क्या रहेगा ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क), (ख), (ग), (घ), एकीकरण सम्बन्धी नियम बनाने व एकीकरण करने के लिये एक कमेटी बनाई जा चुकी है। यह प्रश्न कमेटी के विचाराधीन है।

श्री मूलचन्द डागा : यह कमेटी कब बनी, कब इसकी नियुक्ति हुई, क्या विचाराधीन है, कहां तक यह विचार कर चुकी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दफा ३०६ है, इसके मुताबिक इन्टीग्रेशन के लिए सब-क्लॉज़ में प्रोविज़न किया है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक सलेक्ट कमेटी बनाई जायेगी,

Page No.6

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जिसमें पी. एस. सी. के चेअरमैन और दो अन्य मेम्बर होंगे, वह अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास, रूल्स बना कर, रिकमन्डेशन के साथ भेजेगी और उसको गवर्नमेंट फाइनल करेगी। यह कमेटी बना दी है, उसको बने कुछ अर्सा हो गया। वह कमेटी रूल्स बना कर भेजेगी तब कार्यवाही करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : कब तक हो जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने लिखा है कि बहुत जल्दी रूल्स बना कर भेज दे। आते ही हम विचार करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : कमेटी काम नहीं करे तो वैलफेअरस्टेट है अत: इसमें अगर लोगों को नुकसान होता है, तो सरकार को कदम लेना चाहिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कानून में लिखा है, उसके अनुसार सलेक्ट कमेटी कार्यवाही कर रही है। मैंने कब कहा कि काम नहीं हो रहा है you presumed it. मैंने कहा है कि कमेटी कार्यवाही कर रही है व उसकी रिकमन्डेशन आने पर कार्यवाही करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : कितने दिनों से कार्यवाही कर रही है, क्या कर रही है, यह देखना पड़ेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसको बने हुए तीन महीने हुए हैं। वह रूल्स बनायेगी, फाइनल करेगी, इसके अनुसार कार्यवाही कर रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : एक आध मीटिंग हुई है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ये डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं। उसमें पी. एस. सी. के चेअरमैन हैं वे देख रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : इसकी जानकारी सरकार को करनी चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार कर रही है, जनाब, जो कुछ सरकार कर सकती है।

प्रश्न संख्या ५०१

नाथद्वारा जांच आयोग की कार्यवाहियों हेतु नियुक्त एडवोकेट जनरल एवं डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट

५०१. श्री भैरोंसिंह [श्री माधोपुर-श्री शिवचरणदास (मांडल) द्वारा पूछा गया]: क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:–

(१) नाथद्वारा जांच आयोग की कार्यवाहियों में एडवोकेट जनरल की हैसियत से कार्य करने हेतु सरकार द्वारा नियुक्त श्री गुलाबचन्द कासलीवाल तथा डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट श्री विमलाचरण चटर्जी को इन कार्यवाहियों में कुल कितने कितने दिन लगे ?

(२) इन दोनों को तनख्वाह के अलावा प्रत्येक दिन के लिए क्या क्या मेहनताना या भत्ता दिया जाना सरकार द्वारा निश्चित हुआ था ?

(३) इन दोनों को इस जांच के सम्बन्ध में भत्ते या मेहनताने के रूप में कितना

(श्री भैरोंसिंह)

कितना रुपया दिया गया अथवा कितना कितना रुपया इनके द्वारा क्लेम किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) सम्बन्धित व्यक्तियों से इस विषय की विवरण तालिकाएं जो प्राप्त हुई हैं वे अन्तिम. निर्णय के लिये विचाराधीन हैं।

(२) मेहनताने के सम्बन्ध में अभी तक दोनों ही व्यक्तियों के लिये कोई निर्णय नहीं दिया गया है। परन्तु भत्ता इन्हें पदानुसार दिया जायेगा, जो नियमानुसार श्री गुलाबचंद कासलीवाल को ४५५. ५४ न. पै. दिया जा चुका है एवं श्री विमलाचरण चटर्जी को इस सम्बन्ध में अभी तक कोई रकम नहीं दी गई है।

(३) नाथद्वारा जांच आयोग की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में उक्त दोनों व्यक्तियों में से श्री विमलाचरण चटर्जी ने १,०४५. ५४ न. पै. भत्ते का क्लेम किया है व श्री गुलाबचन्द कासलीवाल, एडवोकेट जनरल ने २,००१. २७ न. पै. भत्ते का क्लेम किया जिसमें से ४५५. ५४ नये पै. अब तक श्री गुलाबचन्द कासलीवाल को दिया जा चुका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मेहनताने के रूप में क्या तय हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज किया कि तय नहीं हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: क्या यह सही है कि श्री गुलाबचन्द कासलीवाल के लिए ३०० रुपये और श्री चटर्जी के लिए ११० रुपये सरकार ने तय नहीं किये ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि अभी तय नहीं हुआ है। एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उसके लिए ३०० रुपये देते हैं। अभी तय नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ५०२

सवाई माधोपुर जिले में कालीसिल बांध के निर्माणार्थ अवाप्त भूमि के लिये प्रतिकर

५०२. श्री भैरोंसिंह [श्री माधोपुर-श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(a) How much land has been acquired for the construction of Kalisil Bundh in Sawai Madhopur district and when ?

(b) Is it a fact that in November, 1959, compensation was sanctioned to be paid to the persons whose land and property have been affected due to the construction of this bundh ?

(c) If so, whether the amount has been paid ? If so, when and if not, why ? When will it be paid ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : 1963 Bighas of land has been submerged for construction of Kalisil

(श्री भीखाभाई)

bundh in Sawai Madhopur District in 55-56.

(b) Yes Sir. The estimate amounting to Rs. 1 lac 48 thousand has been sanctioned for submerging the land as well as for the land used for construction of canals.

(c) Since the question of ownership and the rate of compensation could not be finalised, the payment has been stopped. स्वामित्व की सही स्थिति व मुआवजे की दर पूर्णतया तय न होने के कारण राज्य सरकार द्वारा चुकारा रोक दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : If that ownership has not been finalised how can the Government calculate the amount ?

श्री भीखाभाई : I have already said that so far the amount of compensation has been sanctioned but there is a trouble or dispute between the ownership of the land...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Since what time it is pending and how much time will it take ?

श्री भीखाभाई : Now I think it will not take much time because the Government is itself very particular to make the payment.

पाली जिले में एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिसेज़

५०३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पाली जिले में सन् १९५३ से लेकर १९५६ तक प्रत्येक साल में कितने कितने नोटिसेज़ एग्रीकल्चरिस्ट्स को एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स एक्ट, १९५३ के अन्तर्गत इश्यू हुए ?

(ख) क्या यह सत्य है कि नोटिसेज़ में एग्रीकल्चरिस्ट्स से सन् १९५३ से हिसाब मांगा गया है ?

आबकारी एवं कर मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (क) पाली जिले में निम्नलिखित कर निर्धारण वर्षों में निम्नांकित नोटिसेज़ जारी किये गये :

१९५४-५५	१२३
१९५५-५६	५७
१९५६-५७	१५५
१९५७-५८	३८
१९५८-५९	६६८
१९५९-६०	९४१
	१९८२

(ख) राजस्थान कृषि आयकर अधिनियम अप्रेल, १९५३ से लागू हुआ है जिसके अन्तर्गत एग्रीकल्चरिस्टों से हिसाबी वर्ष १९५३-५४ जिसके कि कर निर्धारण वर्ष १९५४-५५ है हिसाब मांगा गया है।

श्री मूलचन्द डागा : जिनको नोटिस सर्व किया है १६५४ से, तो क्या चार-चार साल का काश्तकारों से हिसाब मांगा जायेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जब तक पूर्ण न हो, तब तक हिसाब मांगा जायगा।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : जो नोटिसेज़ सर्व किये हैं उनके अन्दर इतना वाइड वेरीयेशन क्यों आया, किसी साल में १२३, दूसरे में ५७, तीसरे में १५५, चौथे में ३८ और पांचवें में ६६८ ? इसके रीजन्स क्या हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जितने जितने नोटिसेज़ बन कर आये उस हिसाब से जारी हो गये।

श्री पी. के. चौधरी : लेकिन १६५७-५८ में ३८, १६५८-५६ में ६६८ और १६५६-६० में ६४१, इस तरह क्यों हुआ है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : शुरू शुरू में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग नहीं बना था। दो साल पीछे ज्यादातर नोटिसेज़ जारी हुए हैं। कुछ साल केतसाली के हैं, उनमें नोटिसेज़ जारी नहीं हुए।

श्री पी. के. चौधरी : पहले साल १२३, दूसरे वर्ष ५७, तीसरे साल १५५, फोर्थ ईअर में ३८ बताये how can you say that it has increased during the course of time?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पहले जो एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स था वह छः हजार पर था फिर घटा कर चार हजार पर कर दिया तो नेचुरली नोटिसेज की तादाद ज्यादा बढ़ गई, इसलिए बाद में नोटिस ज्यादा हुए।

श्री अपनूसिंह (बालोतरा) : ये नोटिस किस आधार पर दिये हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : आधार दिया है एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स एक्ट में, वह है कि जिनके पास इर्रीगेटेड लैंड ६० बीघा है और बारानी उससे तिगुना है, उसको नोटिस जारी होते हैं।

श्री अनूपसिंह : जिनके पास ३०० बीघा जमीन है उनको नोटिस तीन सो बीघा पर दिया गया ? जहां नोटिस दिया गया, वह ३०० या उससे कम जमीन पर दिया गया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : हां, पहले था कि ६० एकड़ नहरी जमीन, उससे तिगुनी ३०० बीघा बारानी जमीन हो उस पर नोटिस जारी होते हैं। अब १८० बीघा पर जारी होने लगे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : जमीन पर नोटिस जारी हुए या उपज पर ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर के अस्पतालों के कम्पाउन्डर्स का ग्रेड

५०४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मुरलीधर व्यास)

क्या यह सत्य है कि बीकानेर के अस्पतालों में २० वर्षों के पुराने कम्पाउन्डर्स को वह ग्रेड नहीं मिलती जो अभी के नये जोधपुर ट्रेंड को मिलती है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने पूछा कि २० वर्ष के पुराने कम्पाउन्डर्स को वह ग्रेड नहीं मिलती जो अभी के नये जोधपुर ट्रेंड को मिलती है ? आप कहते हैं जी नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो केवल मेट्रिक पास और जोधपुर ट्रेन्ड हैं, उनको थर्ड ग्रेड में लेते हैं। जिनको पांच साल का एक्सपीरियेन्स है उनको क्लास २ में लेते हैं और जिनको १० साल का एक्सपीरियेन्स है उनको क्लास १ में लेते हैं। यह रूल है।

श्री मुरलीधर व्यास : जब इस प्रकार लेते हैं तो बीकानेर के अन्दर जो २० साल से काम कर रहे हैं और जो ए श्रेणी में आ जाते हैं उनको ए श्रेणी का ग्रेड क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप समझे नहीं, फिर कहेंगे कि मिनिस्टर गलत जवाब देते हैं। मेट्रिक पास और जोधपुर ट्रेंड को १० साल का एक्सपीरियेन्स होता है तो क्लास १ में लेते हैं। बीकानेर में ऐसे हैं नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : २० साल से काम करने वाले हैं, उनके सामने जो नये काम करने वाले हैं उनको तो सुविधा दे दी लेकिन जो २० साल से काम कर रहे हैं उनको सुविधा नहीं दी, तो उनको बड़ी परेशानी होती है। मैं निवेदन करता हूं कि इस सम्बन्ध में विचार करें कि उन लोगों को भी यह ग्रेड मिल सके।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रूल बना हुआ है, वह अर्ज किया, वह सबके लिए लागू होता है। बीकानेर के कम्पाउन्डर्स पर यहलागू नहीं होता है। अगर वे मेट्रिक पास होने के साथ साथ जोधपुर ट्रेनिंग हासिल कर लें तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर अन्डर ट्रेन्ड को ग्रेड दें तो फिर कोई भी ट्रेनिंग नहीं लेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : जिनकी इतनी सर्विस हो गई है वे अब मेट्रिक हो नहीं सकते। अब मेट्रिक करने की व्यवस्था करना उनके लिए कठिन है। मेरी प्रार्थना है कि अगर ठीक समझें तो इस प्रकार के लोगों को ट्रेनिंग दिलवा लें। उनको मौका दीजिये। उनको सीनियेरिटी के हिसाब से ग्रेड मिल सकती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन किया कि इस बात पर कई बार विचार किया है, इस प्रश्न पर कमेटी बना कर विचार किया गया है, एक्जामिन किया है लेकिन यह सम्भव नहीं हो सकता, इसलिए मजबूरी है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : कम्पाउन्डर्स के काम में मैट्रिक की शिक्षा कहां तक उपयोगी सिद्ध होती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ट्रेनिंग देते हैं तो इसकी आवश्यकता होती है।

प्रश्न संख्या ५०५

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५०६

श्री बी० एन० जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

गवर्नमेन्ट होस्टल, जयपुर के कर्मचारी

५०७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) गवर्नमेंट होस्टल, जयपुर में कुल कितने कर्मचारी हैं और उनमें से कितने स्थायी हैं ?

(ख) इन सब का प्रोवीडेन्ट फंड कटता है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : अध्यक्ष महोदय, इस क्वेश्चन का उत्तर नेक्स्ट टर्न पर दिया जायेगा।

प्रश्न संख्या ५०८

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

नवयुग का निरीक्षण

५०८. **श्री भैरोंसिंह** [श्री माधोपुर—श्री शिवचरणदास (मांडल) द्वारा पूछा गया] : क्या श्रम मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट राजस्थान में कब से लागू हुआ ?

(ख) इस एक्ट के स्टेन्डिंग ऑर्डर्स राजस्थान में लागू किये गये या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब से लागू कर दिये जावेंगे ?

(ग) क्या यह सही है कि इस एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में सरकार ने कुछ इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति की है ? यदि हां, तो किनकी और कब से ?

(घ) यदि हां, तो क्या इन्सपेक्टर्स द्वारा कभी 'नवयुग' का निरीक्षण किया गया है ? यदि हां, तो उसके निरीक्षण के प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें और यदि नहीं किया तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट राजस्थान में सन् १९५७, दिसम्बर २० से लागू हुआ।

(ख) वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा १४ के अनुसार उन संस्थानों में इन्डस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट (स्टेन्डिंग ऑर्डर) एक्ट

Page No.12

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

१६४६ से लागू होता है जहां सम्पादकीय सदस्यों की संख्या २० अथवा २० से अधिक है। राजस्थान में ऐसे कोई संस्थान नहीं हैं जहां २० अथवा २० से अधिक सम्पादकीय विभाग के सदस्य कार्य करते हैं। अतः इस कानून के लागू होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(ग) राजस्थान सरकार ने वर्किंग जर्नलिस्ट कंडिशन्स ऑफ सर्विस एन्ड मिस्लेनियस रूल्स, १६५७ के नियम ३७ के अन्तर्गत समस्त श्रम अधिकारियों व श्रम निरीक्षकों को विज्ञप्ति संख्या एफ १ (५८) लेब। ५७ दिनांक १२-६-५८ द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के लिये निरीक्षक नियुक्त किया है।

(घ) जी हां। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जब कानून ही लागू नहीं होता तो निरीक्षण क्यों किया नवयुग प्रेस का ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : समझने की बात है। कानून लागू होता है पर स्टेन्डिंग ऑर्डर लागू नहीं होता। जहां २० से अधिक सम्पादकीय शाखा के सदस्य हों वहां स्टेन्डिंग रूल्स लागू होते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि जो संख्या बताई है २० की, वह सम्पादकों की नहीं वर्कर्स की भी है, तो नवयुग में सम्पादकों और वर्कर्स को मिला कर २० संख्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि १४ धारा के अनुसार इन्डस्ट्रियल एम्प्लोयमेंट (स्टेन्डिंग ऑर्डर) एक्ट, १६४६ से वहीं लागू होता है जहां २० सम्पादक हों।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा क्वेश्चन है स्टेन्डिंग ऑर्डर के मुतल्लिक, वह ४६ से लागू हुआ या कब से लागू हुआ इससे मतलब नहीं, राजस्थान में कोई ऐसा पेपर नहीं है बल्कि हिन्दुस्तान में भी ऐसा पेपर नहीं है जहां २० सम्पादक हों, उनके स्थान पर वर्कर्स शब्द है जिनमें कर्मचारी और चपरासी सभी आ जाते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं वर्कर्स नहीं, वर्कर्स को मिला कर २० नहीं, सम्पादकीय स्टाफ के २० सदस्य होने चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सम्पादकीय विभाग के २० का मतलब है कि कर्मचारी, चपरासी सभी मिला कर २० हों।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास साफ लिखा हुआ है ' जहां पर सम्पादकीय शाखा के सदस्यों की संख्या २० हो''।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं, यह बात नहीं है सभी शामिल हैं, आपको जानकारी नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास जो जानकारी है उसी जानकारी के आधार पर ही दे रहा हूँ।

Page No.13

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सम्पादकीय विभाग से आपका मतलब क्या है, कौन कौन आते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एडीटर, सब एडीटर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे इन्टरप्रिटेशन से चपरासी, क्लर्क, एडीटर, सब एडीटर, असिस्टेन्ट एडीटर सब मिला कर जहां २० हों वहां यह लागू होता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने सम्पादकीय सदस्यों की २० संख्या का कहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने सूची दी है उसमें श्री मदनमोहन का लिखा है कि १८-१-६० को इन्सपेक्शन किया है। जब कि इन्सपेक्शन किया नहीं है, इन्सपेक्शन के लिये गये थे पर कोई वहां पर मिला नहीं इसलिये इन्सपेक्शन नहीं किया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उन्होंने इन्सपेक्शन किया है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं पढ़ कर सुना देता हूं, अध्यक्ष महोदय, इसको इन्सपेक्शन मानते हैं क्या :

"A letter was also sent on 15.1.1960 to send the required informations but it was not responded. Again on 18-1-1960 I went to the office of the Navyug for inspection. Shri Mishra and the Accountant both were not available. I met Shri Nirbadh, the Manager of the paper. He expressed his inability to show any record or to give any information at that time. He was to send Shri Misra with all the relevant records on 19-1-1960 at 3 P. M"?

यह इन्सपेक्शन हो गया क्या ? वहां गये, कोई मिला नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके पहले की लिस्ट दी है उसमें लिखा है :

"Inspected the Navyug daily today."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के मातहत इन्सपेक्टर की नियुक्ति की है और दूसरी तरफ कहते हैं कि २० आदमी से अधिक सम्पादक हों तो वहां पर यह एक्ट लागू होता है, तो राजस्थान में ऐसा कौनसा पत्र है जिसमें २० से अधिक सम्पादक हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने ऐसा नहीं कहा जैसा कि आप कहते हैं। एक्ट तो लागू है पर स्टेन्डिंग ऑर्डर लागू नहीं होता।

श्री मुरलीधर व्यास : इन्सपेक्टर भी है आपके पास और इस कानून के लागू होने की स्थिति भी राजस्थान में नहीं है तो फिर आपने इन्स्पेक्टर किसलिये रखा ?

श्री अध्यक्ष : इस एक्ट के नीचे इन्सपेक्टर के और भी कई काम हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I think even the first class papers in India have not got 20 Editors. They have got one Sub-editor in each section.

(श्री पी० के० चौधरी)

२० सम्पादक तो हिन्दुस्तान के किसी भी पेपर में नहीं हो सकते ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सम्पादकीय स्टाफ के २० आदमियों का मैंने कहा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दूसरे, इन्सपेक्शन का बताया है आपने, उसमें भी आदमी नहीं मिला है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सम्पादक नहीं मिला पर इन्सपेक्शन उन्होंने किया है ।

प्रश्न संख्या ५०६

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री रामेश्वरदयाल ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह ।

अजमेर पुलिस का राजस्थान पुलिस में हुआ फाइनल इन्टीग्रेशन

५१०. श्री भैरोंसिंह [श्री माधोपुर— श्री शिवचरणदास (मांडल) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि अजमेर के राजस्थान में शामिल होने पर सरकार ने यह आज्ञा जारी कर दी थी कि अजमेर की सर्विसेज़ का फाइनल इन्टीग्रेशन न हो जब तक किसी को कन्फर्म नहीं किया जाय ? यदि हां, तो कृपया उस आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें ।

(ख) अजमेर पुलिस का राजस्थान पुलिस में किस किस ओहदे की सर्विसेज़ का कब कब इन्टीग्रेशन फाइनल हुआ तथा उसकी फाइनल लिस्ट कब प्रकाशित हुई ?

(ग) क्या यह सही है कि पुलिस सर्विसेज़ उपरोक्त इन्टीग्रेशन फाइनल होने से पूर्व सी० आई० डी० विभाग में कुछ सब इन्सपेक्टर्स अथवा इन्सपेक्टर्स को कन्फर्म किया गया है ? यदि हां, तो किन किन को, कब २ तथा क्यों ?

(घ) क्या सरकार इस अनियमित कार्यवाही को रद्द किये जाने का आदेश जारी करेगी ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी हां, सरकार के आदेश की प्रतिलिपि सम्मिलित है ।

(ख) राजस्थान पुलिस सर्विस (आर० पी० एस०), इन्सपेक्टर्स, सब इन्सपेक्टर्स, असिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर्स, हैड कानिस्टेबिल्स व कानिस्टेबिल्स जो तत्कालीन अजमेर राज्य व राजस्थान राज्य के हैं उनके इन्टीग्रेशन की लिस्ट तिलक फार्मूले के आधार पर निम्नलिखित तारीखों को जारी की गई व सम्बन्धित व्यक्तियों को भ्रमण पत्र (circular) द्वारा भेज दी गई है । यह साफ तौर पर बता दिया गया है कि फार्मूले के खिलाफ कोई प्रार्थना (Representation) समाअत नहीं होंगे । अलबत्ता अगर कोई आक्षेप या प्रार्थना पत्र (Objection Repre sentioa) पदों के समानता या वास्तविक

Page No.15

(श्री रामकिशोर व्यास)

त्रुटियों (Equation of posts and factual error) के बाबत होंगे उन पर विचार किया जावेगा।

१. राजस्थान पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स को दिनांक २२-१-६० को,

२. इन्सपेक्टर्स को दिनांक १५.१०.५६ को,

३. सब इन्सपेक्टर्स को दिनांक ६-१०-५६ को,

४. असिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर्स को दिनांक १७-१०-५६ को,

५. हैड कानिस्टेबिल्स को दिनांक १३-११-५६ को।

६. कानिस्टेबिल्स को दिनांक १३-११-५६ को

(ग) जी नहीं।

(घ) इसका प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या अजमेर में जो ऑर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी थी उसको भी राजस्थान पुलिस में मर्ज कर दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : सबको कर दिया।

डॉ० बहादुरसिंह : तो क्या अजमेर के इस डबल ए० सी० फोर्स को अजमेर के डी० आई० जी० के अन्डर में रखा गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अजमेर में कोई डबल ए० सी० नहीं थी, सी० आर० पी० थी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की थी।

डॉ० बहादुरसिंह : अजमेर आर्म्ड कान्स्टेबुलरी थी।

श्री रामकिशोर व्यास : आर्म्ड तो सभी जगह होते हैं, यहां पर भी है, वह पुलिस का स्टाफ था, पुलिस में आ गया।

डॉ० बहादुरसिंह : नहीं वह अजमेर का पुलिस स्टाफ ही आर० ए० सी० की तरह था।

श्री रामकिशोर व्यास : वहां आर० ए० सी० नहीं थी, सी० आर० पी० सी० थी जो कि सेंटर की थी।

डॉ० बहादुरसिंह : मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरह राजस्थान में आर० ए० सी० है उसी तरह अजमेर में ए० ए० सी० थी, उसको भी आर० ए० सी० में मिला दिया है क्या ?

प्रश्न संख्या ५११

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट, डॉ० चन्द्रकला।

जयपुर शहर में सफाई की व्यवस्था

५१२. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या नगरपालिका मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No.16

(डॉ० चन्द्रकला)

(क) क्या यह सच है कि जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था में बराबर ह्रास होता जा रहा है ?

(ख) जयपुर नगर की सफाई के लिए नगरपालिका की अस्थायी तथा स्थायी योजनाएं क्या हैं ?

(ग) उक्त योजनाएं कब तक क्रियान्वित हो जायेंगी ?

नगरपालिका मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी नहीं। सफाई की व्यवस्था ठीक है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि शहर की चार दीवारी में सफाई का प्रबन्ध संतोषजनक नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हालत तो संतोषजनक ही है। आपने तो अपने प्रश्न में यह पूछा है कि जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था में बराबर ह्रास होता जा रहा है। उसका उत्तर दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : आपकी दृष्टि से संतोषजनक है या पब्लिक की दृष्टि से संतोषजनक है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसी वजह से तो यहां की आबादी बढ़ते बढ़ते ६ लाख हो गई है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सिविल लाइन के लिये भी क्या कोई गंदगी को दूर करने की योजना है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गंदगी की हालत को सिविल लाइन से मिटाने के लिये सिविल लाइन्स में ८० लाख की योजना प्रस्तुत की गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें से कुछ तो कार्यान्वित हो चुकी है और कुछ कार्यान्वित हो रही है।

प्रश्न संख्या ५१३ व ५१४.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट। श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

ग्राम राजपुर बड़ा, तहसील राजगढ (अलवर) में औषधालय

५१५. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर-सु०) : क्या मंत्री आयुर्वेदिक विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) ग्राम राजपुर बड़ा, तहसील राजगढ, जिला अलवर में कब तक औषधालय खोलने का सरकार का इरादा है ?

(ख) क्या ग्राम वालों ने इस संबन्ध में आवेदन पत्र भी दिये थे ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

आयुर्वेदिक मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) भवन की उपलब्धि वाले स्थानों के निमित्त प्राथमिकता बर्ती जाती है। राजपुरा बड़ा में समुचित भवन व्यवस्था होने एवं जिला परिषद् द्वारा सिफारिश किये जाने पर औषधालय खोला जा सकेगा।

(ख) जी हां। उक्त ग्राम नवीन औषधालय खोलने के लिये सूची में सम्मिलित कर लिया गया है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : कब तक यह खोल दिया जावेगा ?

श्री भीखाभाई : सारी शर्तों की पूर्ति हो जावेगी उस समय।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : इस वक्त क्या प्रबन्ध है ?

श्री भीखाभाई : जितने एलोटेड हैं सब जगह खोल दे यह subject to the allocation as well as the State Planning Boards' allocation.

डॉ० चन्द्रकला : (किशनपोल बाजार जयपुर इस बात का उत्तर नहीं आया कि अभी वहां पर क्या इन्तजाम है यह आप बता दें ?

श्री भीखाभाई : यह तो मुझे मालूम नहीं कि अभी क्या इन्तजाम है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि गये साल ७ औषधालय खोले गये थे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

नीमूंचना, तहसील कोटपुतली में डाका

५१६. **श्री भैरोंसिंह** [श्री माधोपुर—श्री शिवचरणदास (मांडल) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि जनवरी, सन् १९६० में ग्राम नीमूंचाना तहसील कोटपूतली में डाका पड़ा ? यदि हां, तो किस तारीख को तथा कितने डाकू बताये गये तथा कितना माल लूटा गया ?

(ख) क्या यह सही है कि २५ जनवरी की रात को डावला से आनेवाली बस से सात आदमी कोटपुतली मोटर स्टैंड पर उतरे और पुलिस ने उन सात को वहीं मोटर स्टैंड पर पकड़ लिया ?

(ग) क्या यह सही है कि इन ७ में से २ आदमी तो मोटर स्टैंड से ही भाग गये तथा बाकी ५ थाने से भाग गये ?

(घ) क्या यह सही है कि इन्हीं ७ आदमियों में से ही कुछ ने नीमूंचना गांव में डाका डाला था ?

(ङ) पुलिस द्वारा इन ७ आदमियों को किसलिये पकड़ा गया और फिर किस प्रकार फरार हो गये ? इनके नाम व पते क्या हैं ?

(च) क्या सरकार द्वारा इस संबन्ध में जांच की गई है ? यदि हां, तो कौन २ इसके दोषी पाये गये ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) निमूंचना ग्राम तहसील कोटपुतली में नहीं है वरन् तहसील बानसूर जिला अलवर में है। वहां दिनांक २७—२८. १. ६० की

(श्री रामकिशोर व्यास)

रात को डाकुओं ने ५६,१६० रु० की सम्पत्ति लूटी ।

(ख) जी हां, उनमें से ५ थाने में शक के कारण पूछताछ के लिये लाये गये थे परन्तु उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। दो बस स्टेन्ड से ही लापता हो गये थे ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

(ङ) उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था । उनमें से ५ को संशय की हालत में पूछताछ के लिये थाने में लाया गया बाकी दो बस स्टेन्ड पर छिप कर निकल गये । हैड-का० इन्चार्ज थाना ने उनसे पूछ ताछ करना शुरू किया । उनमें से एक ने पानी मांगा । है० का० के आदेश से जब एक कानिस्टेबल पानी लेने गया तो पांचों थाने के दरवाजे की तरफ़ गये और भाग गये । उन्होंने अपने नाम व पते निम्नलिखित बताये जो सही नहीं थे :

१. तेजा उर्फ तेजाराम पुत्र रामलाल उर्फ रामचन्द्र ।

२. मोहरसिंह उर्फ श्योनारायण ।

३. नाथ पुत्र काना ।

४. रामस्वरूप पुत्र गोपाल ।

५. रामजीवन पुत्र गोपाल ।

जांच से मालूम हुआ कि उनके नाम बख्तावर, खूडा, तेजा, हुकमा व गंगाराम हैं ।

(च) इस मामले में जांच हो रही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह जांच कब कराई गई और यह कब पाया गया कि नाम गलत हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जांच तो और बातों की हो रही है । आपने प्रश्न पूछा है कि यह जो चले गये उनकी इन्क्वायरी का प्रश्न है ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : आपने अभी बताया कि ५ आदमी थाने से चले गये, ये कैसे चले गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी इन्क्वायरी हो रही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आपको कब पता चला कि ये नाम गलत बताये गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मुझे मालूम नहीं कि कब पता चला । सब्सीक्वेन्टली जांच कराई तभी मालूम हुआ होगा ।

एक माननीय सदस्य : जब जांच कराई गई तो सही नाम वालों का पता चला....

श्री रामकिशोर व्यास : नीमूंचना की डकैती के सिलसिले में तीन आदमियों को एरेस्ट किया गया है ।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : आपने बताया कि ५ आदमियों को थाने में ले गये और वहां पर एक आदमी ने पानी

(श्री रामकरणसिंह)

मांगा और बाकी के भाग गये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आया वे भाग कर गये या चुप चाप थाने वाले सिपाहियों को डरा कर चले गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि वे भाग गये। उनका सिपाहियों ने पीछा भी किया। फायर भी किये और केस रजिस्टर भी हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जयपुर से चौमु के बीच बांडी नदी पर पुल

५१७. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर–सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

जयपुर से चौमू जाते समय मील १४ पर बांडी नदी पर पुल सरकार कब तक बनाने का इरादा रखती है तथा अब तक काम चालू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कार्य चालू करने का प्रावधान है। डिज़ाइन तथा एस्टीमेट अभी तक फाइनेलाइज्ड नहीं होने के कारण से।

(सदस्यों को सुनाई नहीं देने से दुबारा उत्तर दिया गया)

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : वह कब तक हो जावेगा ?

श्री हरिशचन्द्र : जल्दी से जल्दी।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष चल रहा है और अभी तक डिज़ाइन भी तैयार नहीं हुआ है, फिर कब तक हो जावेगा ?

श्री हरिशचन्द्र : ऐसा है कि पहले जो नदी थी उसके पास एक नाला और था। हम ऐसा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं कि वे दोनों नाले और नदी पर पुल बन जाएं। इसलिये डिज़ाइन तैयार हो रहा है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह समझा जावे कि इस साल के अन्त तक यह हो जावेगा ?

श्री हरिशचन्द्र : मैंने अर्ज किया कि डिज़ाइन तैयार होकर फाइनेलाइज्ड नहीं हुआ है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : यह ऐसा है कि १० वर्ष तक भी पूरा न हो।

एक माननीय सदस्य : दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं आए तो इसे तीसरी पंचवर्षीय योजना में ले लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : वह तो डिज़ाइन तैयार होने पर है।

(विराम)

नेक्स्ट।

बस यातायात का राष्ट्रीयकरण

५१८. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल

Page No.20

(डॉ० चन्द्रकला)

बाजार, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि कुछ रूट्स बस यातायात का राष्ट्रीयकरण २६ जनवरी, १६६० से होने वाला था ? यदि हां, तो कौन कौन से रूट्स का ?

(ख) क्या यह सच है कि इन रूट्स का राष्ट्रीयकरण अब तक भी नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) राष्ट्रीयकरण करने के हिसाब से सरकार को बसों की व्यवस्था करने में कितना रुपया अब तक व्यय करना पड़ा तथा कितनी बसें खरीदी गयीं ? अभी ये बसें किस काम में आ रही हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) इतना सही है कि कुछ रूट्स बस यातायात का राष्ट्रीयकरण के नोटीफिकेशन २६ जनवरी, १६६० या उसके पश्चात् होने के लिये प्रकाशित हुए थे । उन रूट्स के नाम निम्नलिखित हैं :

१. जयपुर		—		अजमेर
२. जयपुर		—		अलवर
३. अलवर		—		देहली
४. जयपुर	—	टौंक	—	कोटा
५. अजमेर		—		देवली

(ख) जी हां । इन रूट्स का राष्ट्रीयकरण अभी तक नहीं हो पाया है क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर्स ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है और स्टे ऑर्डर्स प्राप्त कर लिये हैं ।

(ग) राष्ट्रीयकरण करने के हिसाब से सरकार को १०० बसों की व्यवस्था करने में अब तक ३६,०४,६६७ रुपये का व्यय करना पड़ा है तथा १२,१०,६६६ रुपये इसी मद में और भुगतान करने है । बसें हाई कोर्ट द्वारा स्टे दिये जाने के कारण कानूनी वजह से चल नहीं रही हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर किस तारीख को दिया गया ?

डॉ० चन्द्रकला : अभी जो बसें हैं वे किस काम में आ रही हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी वे नहीं चल रही हैं ।

डॉ० चन्द्रकला : अब २६ तारीख से आपको राष्ट्रीयकरण करना था तो पहले से ही ऐसी सावधानी क्यों नहीं रखी कि प्राइवेट ओनरों द्वारा रिट की जावेगी, पहले सावधानी रख कर कार्य क्यों नहीं किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : पूरी सावधानी रख कर ही किया गया था, मगर फिर भी अदालत में तो कोई भी जा सकता है ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : स्टे ऑर्डर किस ग्राउन्ड पर हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके बहुत से ग्राउन्ड्स हैं ।

Page No.21

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तारीख बता दें कि हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर किस तारीख को दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास: तारीख मेरे पास नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो बहुत ऑर्डिनरी बात है । यह तो पता लगाना जरूरी है कि यह ऑर्डर २६ जनवरी के पहले का है या नहीं, यह तो आप बता ही सकते हैं ?

श्री पी. के. चौधरी : I will like to know the specific grounds on which the Stay Order has been issued. Whether it is due to the defect in the Government notification or it is against the principles of rationalisation?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें नाराज़ होने की बात नहीं है । इसमें कई ग्राउन्ड्स हैं, कुछ टेक्निकल हैं और कुछ फेक्चुअल हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : You said that there is a Stay Order.

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपको बताया कि कुछ टेक्निकल हैं कुछ फेक्चुअल हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : We want to know whether Stay Order is against the principles that the Government cannot nationalise any route or whether the Government Notification was defective?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि कई ग्राउन्ड्स हैं, उसमें एक यह भी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप डेट बता दें कि स्टे ऑर्डर कब हुआ ?

श्री पी० के० चौधरी : Who is responsible for this issuing defective notices ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह हम नहीं मानते हैं ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि एक दफा पहले भी ऐसा ही हुआ था और बसेज़ इधर-उधर पड़ी रहीं ? जब सरकार को यह मालूम था तो फिर यह गलती क्यों की गई और पूरी सावधानी क्यों नहीं बरती गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : पूरी सावधानी बरती गई ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कौन सी तारीख को स्टे ऑर्डर प्राप्त हुआ, यह आप कृपया बता दें ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तारीख मेरे पास नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, २६ जनवरी को—आपका कुछ रूट्स बस यातायात का राष्ट्रीयकरण २६ जनवरी, १९६० से होने वाला था । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि स्टे ऑर्डर आपको कब प्राप्त हुआ ? क्या यह २६ जनवरी से पहले प्राप्त हुआ या उसके बाद ?

श्री रामकिशोर व्यास : कुछ इधर उधर भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है ।

श्री पी० के० चौधरी : Whether the Stay Order was received prior to 26 th January or after ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास तारीख नहीं है इसलिए मैं अर्ज नहीं कर सकता ।

श्री पी० के० चौधरी : This information the Hon'ble Minister is supposed to have.

श्री रामकिशोर व्यास : No.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ । माननीय सदस्य के कहने का मतलब यह है कि कानून-अदूली कर सकता था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल यह है कि २६ जनवरी को राष्ट्रीयकरण करके चालू करने को थी लेकिन २६ जनवरी तक स्टे ऑर्डर नहीं आया तब क्यों न चालू की ? रूट २६ जनवरी को नेशनलाइज़ करके चालू करने का था बसेज को जिसके लिए १२ लाख रुपया और देना है और ४० लाख रुपये की केपिटल ब्लॉक कर दी । वे बसेज़ बरसात में भीग रही हैं, ड्राइवर्स सोये पड़े हैं । यह अच्छी चीज़ नहीं है ।

श्री रामकिशोर व्यास : सवाल इसमें यह था कि नोटिफिकेशन सरकार ने इश्यू किया और उनसे ओब्जेक्शन मांगे । उन्होंने रिट फाइल कर दिया और स्टे ऑर्डर दे दिये ।

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that stay order was received after 26th January, and not prior to that date ?

श्री रामकिशोर व्यास : २६ के बाद में है ।

श्री पी० के० चौधरी : २६ के बाद में है । then why the buses were not started on the routes on 25 th January?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : इसमें बात यह है कि २६ तारीख को निश्चित नहीं किया था कि २६ तारीख को ही बसेज़ चालू कर देंगे लेकिन यह सरकार के दिमाग में था कि २६ जनवरी को बसेज़ को चालू कर देना चाहिये । इससे पहले लोगों से नोटिफिकेशन इश्यू करके ओब्जेक्शन्स इन्वाइट किये । इसमें भी २६ को चालू करेंगे, ऐसा दिन का उल्लेख नहीं था । उसमें यह था कि अमुक अमुक रूट्स को सरकार नेशनेलाइज़ करना चाहती है उन रूट्स पर ओबजेक्शन इन्वाइट किये गये और उन ओब्जेक्शन को सुनने के लिए ऑफिसर्स को सरकार ने मुकर्रर कर दिया उनके खिलाफ भी उन्होंने रिट दे दिया । ओब्जेक्शन नहीं सुनने चाहिये यह हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया और २६ के बाद भी हियरिंग स्टे कर दिया । फिर दुबारा जाकर दूसरे रूट्स पर कई ग्राउन्ड्स पर कि रूल्स डिफेक्टिव हैं, यहां जनरल क्लॉजेज़ के इन्टरप्रिटेशन का सवाल है एडवोकेट जनरल को नोटिस दे दिया। इस तरह से कई ग्राउन्ड्स को लेकर दूसरा रिट कर दिया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नो, गवर्नमेन्ट ने यह अनाउन्स कर दिया था कि २६ जनवरी को राष्ट्रीयकरण कर दिया जावेगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अनाउन्स किया नहीं था कि २६ जनवरी को राष्ट्रीयकरण कर दिया जावेगा लेकिन गवर्नमेन्ट के यह दिमाग में जरूर था कि गवर्नमेन्ट की बसेज़ को चालू कर देना चाहिये २६ जनवरी को। जो कोर्ट ओब्जेक्शन हीयर करने के लिये अपोइन्ट की गई थी उसके खिलाफ भी स्टे ऑर्डर ले लिया।

श्री पी० के० चौधरी : As far as I remember, for cerfain routes it was definatily notified that they would be taken over from 26th January. It was a Government No tifica tion.

श्री अध्यक्ष Order Please! Next question

Shri Hari Shankar Sidhant Shasti

जयपुर शहर से आमेर तक लगी स्ट्रीट लाइट्स

५१६. श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर सु०) : क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर से आमेर में बाग दलाराम तक कितनी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं तथा रास्ते में पड़ने वाली घाटी में कितनी स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि घाटी में जहां जहां कर्व्स (curves) हैं और एक्सीडेन्टस होने का खतरा है वहां लाइटें नहीं लगाई गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) अब उपरोक्त जगहों पर कब तक स्ट्रीट लाइट्स लगा दी जावेगी ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) (१) जोरावरसिंह दरवाजे से दलाराम बाग तक २८ स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं।

(२) घाटी चढ़ते आमेर घाटी दरवाजे तक ३ स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं।

(ख) नगरपालिका के आदेशानुसार लाइटें लगाई गई हैं तथा इस कमी की ओर नगरपालिका का ध्यान आकर्षित किया गया है।

(ग) नगरपालिका की स्वीकृति आने पर तुरन्त लाइटें लगा दी जावेंगी।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : अब कितनी लाइटें लगाने का सरकार का विचार है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो नगरपालिका का काम है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : नगरपालिका के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे ही इजाजत ले लीजिये।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने सुना नहीं, क्या फरमाया ?

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

भवानी टॉकीज, जयपुर के पीछे के इलाके के विकास की योजना

५२० श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :--

Page No.24

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(१) क्या यह सही है कि जयपुर नगर में भवानी टॉकीज़ के पीछे के इलाके के विकास की कोई योजना नगर विकास मण्डल ने बनाई है ?

(२) यदि हां, तो कितनी धनराशि उस पर खर्च की जाने वाली है तथा कितने प्लॉट काटे जाने वाले हैं ? यह योजना कब से चालू होगी ?

(३) क्या यह सही है कि प्रस्तावित योजना के विषय में वहां के निवासियों ने अपना विरोध प्रकट किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके सुझावों के अनुसार योजना में तब्दीली कर दी है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां, बनाई जा रही है किन्तु अभी तक यह अन्तिम रूप से तैयार नहीं हो सकी है।

(२) जब तक योजना अन्तिम रूप से तैयार न हो जावे, व्यय होने वाली राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(३) वहां के निवासियों को बुला कर उनसे विचार-विमर्श किया जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने फरमाया कि योजना अब तक फाइनल नहीं हुई लेकिन आपने तो फाइनल करके ही उसको एग्ज़ीबिशन में टांग दिया। राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड की स्कीम में भवानी टॉकीज़के पीछे की जमीन के बारे में स्कीम बना कर वह एग्ज़ीबिशन में टांग दी गई।

श्री अध्यक्ष : प्रस्तावित योजना थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कुछ नहीं लिखा था। क्या यह आप कह सकते हैं कि बस्ती वालों को ही अलॉटमेन्ट होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मैं नहीं कह सकता। जो लोग आबाद थे उन्हीं को प्लॉट देने का था।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : प्रस्तावित योजना भी कुछ न कुछ होगी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रस्तावित योजना निलाम करने की तो नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी तो इरादा नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आगे इरादा बदल तो नहीं जावेगा कि उन लोगों के अलावा दूसरों को वहां पर बसाने लग जावें।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

माध्यमिक शाला पंचगांव, तहसील धौलपुर के भवन को सरकार के कब्जे में लेने सम्बन्धी

५२१. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि पंचगांव, तहसील धौलपुर स्थित माध्यमिक शाला भवन जो स्थानीय जनता द्वारा निर्मित था शिक्षा

(डॉ० बहादुरसिंह)

विभाग को भेंट किया गया था, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने स्वीकार किया या नहीं ?

(२) यदि नहीं, तो क्यों और उसमें क्या कमी रही गई थी ?

(३) यदि हां, तो उस भवन पर विभाग ने कब अधिकार किया ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चंद्र): (१) शाला भवन निर्माण विभाग ने स्वीकार नहीं किया।

(२) अपूर्ण था खिड़कियों और किंवाड़ आदि की कमी थी।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

डॉ० बहादुरसिंह : जितनी बिल्डिंग बनी हुई थी वह तो सरकार को दान कर दी थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने अर्ज किया कि पी. डब्ल्यू. डी. के पास कम्प्लीट मकान हो तो एक्वायर करते हैं उससे पहले नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

बीकानेर के जी. बी. एम. होस्पिटल में कपड़ों की सिलाई में व्याप्त भ्रष्टाचार की हुई शिकायतों पर कार्यवाही

५२२. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि बीकानेर के जी. बी. एम. होस्पिटल में कपड़ों की सिलाई में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रति श्री रावतराम द्वारा लिखित में खुले आरोप लगाये गये थे ?

(ख) क्या यह सच है कि इस पर भी अभी तक सरकार द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई ?

(ग) क्या यह भी सच है कि श्री रावतराम द्वारा अस्पताल के उच्च अधिकारी के प्रति भी आरोप लगाये गये और उन पर कोई जांच अथवा आज्ञा सरकार के द्वारा जारी नहीं की गई ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां।

(ख) इसकी जांच पी. एम. एन्ड. एच. ओ., बीकानेर ने की थी और प्रार्थी को सभी सुविधायें देने के बावजूद भी वे आरोपों को साबित नहीं कर सके।

(ग) इसकी कोई शिकायत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

अस्पतालों के निसग स्टाफ के ड्युटी के घंटे

५२३. **श्री भैरोंसिंह** [श्री माधोपुर—श्री शिवचरणदास (मांडल) द्वारा पूछा गया]: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) सरकार का अधीनस्थ नर्सिंग स्टाफ श्रम कानून के अन्तर्गत आता है या नहीं ?

Page No.26

(श्री भैरोंसिंह)

(ख) क्या यह सही है कि इस स्टाफ से १२ घंटे बिना विश्राम दिये ड्युटी ली जाती है ? यदि हां, तो क्यों और नियमानुसार कितने घंटे ड्युटी ली जा सकती है ?

(ग) क्या इस ओवर टाइम ड्युटी का उनको एलाउन्स मिलता है ? यदि हां, तो क्या ?

(घ) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ को गज़टेड होलिडेज़ नहीं मिलती ? यदि हां, तो क्यों और क्या इसके एवज़ में उन्हें कोई एलाउन्स मिलता है ?

(ङ) क्या यह सही है कि नर्सेज़ को मंहगाई भत्ता तनख्वाह के अनुसार नहीं मिलता बल्कि फिक्सड मिलता है ? यदि हां, तो कितना और क्यों ?

(च) नर्सिंग स्टाफ को वेतन के अलावा क्या २ सुविधायें प्राप्त हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी नहीं । नर्सिंग स्टाफ श्रम कानून के अन्तर्गत नहीं आता, चूंकि यह राजस्थान सर्विस रूल्स से गवर्न होते हैं ।

(ख), (ग) जी नहीं । नर्सिंग स्टाफ जो अस्पताल में दिन की ड्युटी पर होता है उससे ८ घंटे व रात की ड्युटी वाले से १२ घंटे काम लिया जाता है । १२ घंटे ड्युटी लेने का कारण स्टाफ की कमी व रात को हल्की ड्युटी का होना है ।

(घ) जी हां । चूंकि नर्सिंग स्टाफ का का काम अस्पताल में मरीजों की देखभाल करना है और इनकी सेवायें एसेन्शियल सर्विस की तरह आती हैं । इन्हें सब राजपत्रित छुट्टियां भी नहीं दी जाती हैं । इसके एवज में कोई अलाउन्स भी इन्हें नहीं दिया जाता । मगर सवाई मानसिंह अस्पताल में इन्हें बारी बारी से हर महीने में २ दिन का अवकाश दिया जाता है ।

(ङ) मंहगाई भत्ता इन्हें वेतन के अनुसार दिया जाता है ।

(च) नर्सिंग स्टाफ जो होस्टल में या अस्पताल के क्वार्टर में रहता है उसे वेतन के अतिरिक्त निम्नलिखित सुविधायें दी जाती हैं :

१. मैस एलाउन्स—४०)रु० माहवार ।

२. मंहगाई भत्ता-नियमानुसार आधा ।

३. रहने का मकान फ्री ।

४. बिजली-पानी फ्री ।

५. युनिफॉर्म फ्री ।

नर्सिंग स्टाफ जो होस्टल व अस्पताल के क्वार्टर्स में नहीं रहता है उसे मैस अलाउन्स व मकान किराया नियमानुसार और मंहगाई भत्ता आधा मिलता है । जो किराया नहीं लेते उनको मंहगाई भत्ता पूरा दिया जाता है । इसके अतिरिक्त इनको युनिफॉर्म दी जाती है ।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ।

Page No.27

जयपुर शहर की सड़कों का निर्माण, सुधार व मरम्मत

५२४. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर शहर की कौन कौन सी सड़कें नगरपालिका, कौन २ सी सार्वजनिक निर्माण विभाग और कौन २ सी नगर विकास मंडल (अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड) के अन्तर्गत हैं ? कृपया सूची दें।

(ख) इन सब सड़कों के प्रति प्रत्येक की कितनी २ जिम्मेदारी है ? क्या उक्त तीनों संस्थायें अपनी जिम्मेदारी निभाती रही हैं ?

(ग) सरकार जयपुर नगर की सड़कों के निर्माण, सुधार व मरम्मत के लिये क्या कोई ठोस कदम उठा रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): (क) सार्वजनिक निर्माण व नगर विकास मंडल विभाग के अधीन सड़कों की सूची संलग्न है। इसके अतिरिक्त अन्य सड़कें नगरपालिका के अन्तर्गत हैं।

(ख) समस्त विभाग अपनी अधीनस्थ सड़कों की जिम्मेदारी उपलब्ध धन राशि से मरम्मत आदि करके निभाते रहे हैं।

(ग) जयपुर नगर की समस्त सड़कों के सुधार एवं मरम्मत का कार्य अब शासकीय आज्ञा संख्या एफ. ७।६१। एल. एस. जी. । ५६ दिनांक २–१२–५६ से निर्माण विभाग के अन्तर्गत दे दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

डॉ० चंद्रकला : जयपुर की सड़कों का सुधार और मरम्मत का काम निर्माण विभाग को दे दिया तो सड़कों के बनाने की जरूरत है वह कौन विभाग करेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : म्युनिसिपेलिटी का सवाल है, धनराशि म्युनिसिपेलिटी को जावेगी। मरम्मत हम करवायेंगे और डेबिट उनके खाते में करेंगे।

डॉ० चंद्रकला : म्युनिसिपेलिटी की सड़कें बन सकें और ऐसी सड़कें जयपुर में हैं जो कि नहीं बन सकी है तो उनको कौन बनावेगा ?

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जौहरी बाजार, जयपुर की सड़क का निर्माण हो रहा है तो क्या यह सार्वजनिक निर्माण विभाग कर रहा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : म्युनिसिपेलिटी कर रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कहते हैं कि सुधार और मरम्मत का काम पी. डब्ल्यू. डी. करता है तो जौहरी बाजार की सड़क की मरम्मत भी सार्वजनिक निर्माण विभाग कर रहा है ?

गवर्नमेन्ट के इस नोटिफिकेशन के तहत जितनी भी सड़कों के सुधार–मरम्मत का काम है वह पी० डब्ल्यु० डी० के जिम्मे सौंप दिया है तो जौहरी बाजार में जो सड़क निर्माण का काम हो रहा है क्या वह सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत हो रहा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने आपसे अर्ज किया कि म्युनिसिपेलिटी है, उसकी पास अमाउन्ट दी जाती है और पी० डब्ल्यु० डी० काम करवायगा। यह जो पर्टिकुलर सड़क के लिये आप पूछ रहे हैं उसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जौहरी बाजार की सड़क जो लिस्ट बतलाई गई है उसमें पी० डब्ल्यु० डी० विभाग के अन्तर्गत बतलाई गई है, तो क्या वहां पर जो काम हो रहा है वह इसी विभाग के तहत हो रहा है, या क्या ?

श्री हरिश्चंद्र : वे ही कर रहे होंगे।

डॉ० चन्द्रकला : आपकी जानकरी में है या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र बहादुर : मुझे इस पर्टिकुलर सड़क के बारे में जानकारी नहीं है।

नोहर भादरा रोड के निर्माण हेतु आमन्त्रित एवं स्वीकृत टेन्डर

५२५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नोहर भादरा रोड के निर्माण के वास्ते टेन्डर कब आमन्त्रित किये गये ?

(२) क्या यह सही है कि श्री पन्नालाल जिनका टेन्डर स्वीकृत किया गया उससे कम का भी कोई टेन्डर था ? यदि हां तो उसे किस कारण से अस्वीकृत किया गया ?

(३) क्या यह सही है कि श्री पन्नालाल के विरूद्ध कई शिकायतें थी कि उसने भूतकाल में कई एक कामों को निश्चित अवधि में पूरा नहीं किया था ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): (१) दिनांक १४–८–१९५९ को।

(२) जी हां, श्री राजेन्द्रप्रसाद का। 'ब' श्रेणी का ठेकेदार होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने के कारण।

(३) जी नहीं।

ग्राम बडल्यास, तहसील कोटड़ी के पास भैरू घाटी नामक तालाब का सर्वेक्षण

५२६. श्री गणपतिलाल वर्मा (मांडलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी तहसील में बडल्यास ग्राम के पास भैरूघाटी नामक तालाबों की सर्वे हुई थी ?

(ख) यदि हां, तो वह कब हुई और उसका क्या परिणाम रहा ?

(ग) इसके बनाने में क्यों देरी हो रही है ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) सिंचाई विभाग द्वारा भैरूघाटी नामक तालाब का कोई सर्वे नहीं कराया गया है परन्तु घाटी के तालाब का जो कि बडल्यास

(श्री भीखाभाई)

ग्राम के पास कोटडी तहसील में है सर्वे अवश्य कराया गया है।

(ख) सर्वे का कार्य सन् १९५८ में समाप्त हुआ इसका तखमीना भी तैयार कर लिया है। जांच करने पर उस नकशे में कुछ कमियां होने के कारण इसे पुनः तैयार किया जा रहा है।

(ग) तखमीने की स्वीकृति के बाद कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जावेगा।

रतनगढ़–सालासर सड़क

५२७. श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार रतनगढ़ सालासर सड़क बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : रतनगढ से सालेसर तक पक्की सड़क पहले से ही बनी है अतः प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या पक्की सड़क बनी हुई है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेटल्ड रोड़ है।

श्री मुरलीधर व्यास : सालेसर के रहने वाले तो इससे मना कर रहे हैं कि नहीं है ?

श्री किशनाराम : वहां तो कच्ची सड़क भी नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : पक्की सड़क है। अगर आप रिपेयर का कह रहे हैं तो उसके लिये सोचा जा सकता है।

श्री किशनाराम : कहां है ?

एक माननीय सदस्य : कागज में लिखी हुई है।

श्री मुरलीधर व्यास : वह सड़क कब की बनी हुई है ?

श्री हरिश्चन्द्र : सड़क पक्की है, मेटल्ड है, इतना कह सकता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो है ही नहीं आप जांच कर लें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। कागज में पक्की है।

(विराम)

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : The fact is that the road is there.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : ५२४ क्वेश्चन का उत्तर और दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : टाइम समाप्त हो गया।

१२.२८ म. प.

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था उसका जवाब माननीय मंत्री महोदय दे रहे हैं ?

मांग संख्या १-भू-राजस्व

(पूर्व क्रम से)

[मांग संख्या १-भू-राजस्व पर आज निम्नलिखित और कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

श्री चन्दनमल वैद(सरदारशहर):—

(23) That the Demand No. 1 Major head 7-Land Revenue be reduced by Re. 1/—(To discuss the failure of the Government in not abolishing Zamidari and Biswedari in Sri Ganganagar District).

(24) That the Demand No. 1 Major head 7—Land Revenue be reduced by Re. 1/—(To discuss the failure of the Government in standardising and rationalising the rates of Land Revenue in Rajasthan).

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर):—

(२५) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (भू-यापन व्यवस्था विभाग के अस्थायी कर्मचारियों की छटनी पर बहस करने हेतु)

(२६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायतों को राजस्व वसूल करने का अधिकार देने पर बहस करने हेतु)

(२७) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व में १)रु० की कटौती की जाय (भू-राजस्व के संग्रहण सम्बन्धी प्रशासकीय व्यय में मितव्ययता पर बहस करने हेतु)

श्री मोतीलाल (डीडवाना):—

(२८) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (रेवेन्यू वसूली के तरीके पर बहस करने हेतु)

(२९) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व में १)रु० की कटौती की जाय (जागीरदारों को मुआवजा देने की व्यवस्था पर बहस करने हेतु)

(४०) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (भू-राजस्व के दरों एवं वसूली व्यवस्था पर बहस करने हेतु)

(४१) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (गोचर भूमि व्यवस्था पर बहस करने हेतु)

श्री मोहरसिंह (चुरू):-

(३१) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व मे १) रु० की कटौती की जाय (जिला गंगानगर में कोलोनाईजेशन व कन्सोलिडेशन में अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)

(३२) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, १९५५ की धारा १९ के तहत खातेदारी दर्ज करने में गड़बड़ी पर बहस करने हेतु)

(३३) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (गिरदावरी में होने वाली अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)

श्री नाथूलाल करोल (लालसोट-सु):—

(३४) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (काश्तकारों के साथ पटवारियों के व्यवहार पर विचार करने हेतु)

(३७) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (तहसील लालसोट में लगान ज्यादा होने पर वाद विवाद करने हेतु)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग):—

(३६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (ज़मींदारों और विश्वेदारों द्वारा अपनी सम्पत्ति सम्बन्धी सूचना देने में सरकार द्वारा सहयोग न दिये जाने पर बहस करने हेतु)

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा):—

(३८) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (झुंझुनूं जिले में री-सेटलमेन्ट करवाने पर बहस करने हेतु)

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर):-

(४३) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (जागीरदारों द्वारा किये गये पट्टों में दर्ज अधिक लगान लेने व सैंक्शन रेन्ट रेट्स के अनुसार लगान नहीं लेने पर बहस करने हेतु)

(४४) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (सलूम्बर तहसील में लम्बरदारों द्वारा कार्यालय जाने पर भी उन्हें तनख्वाह नहीं देने पर बहस करने हेतु)

(४५) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (आबादी भूमि की कमी और उसके विकास में आने वाली रुकावटों पर बहस करने हेतु)

(४६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (खाता रद्दोबदली पर बहस करने हेतु)

(४७) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (लैण्ड युटिलाईजेशन एक्ट काम में नहीं लेने पर बहस करने हेतु)

(४८) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (सलूम्बर व सराड़ा तहसील में तालाबों की डूब में आने वाली जमीन व नहर व सड़कों में आई हुई भूमि का लगान माफ नहीं किया है उस पर बहस करने हेतु)

(४६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (पटवारियों की कम तनख्वाह पर बहस करने हेतु)

(५०) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (सरकारी बिना नाप भूमि पर अनाधिकृत कब्जे किये हुए हैं उन पर बहस करने हेतु)

(५१) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (रेमीशन के मामले शीघ्र नहीं निपटाये जाते हैं जिस पर बहस करने हेतु)

Page No.32

श्री रामचन्द्र (डग-सु):—

(५२) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (पटवारी सिस्टम पर बहस करने हेतु)

श्री मोगजी भाई(बांसवाड़ा):—

(५३) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा लगान वसूली के तरीके पर विचार करने हेतु)

(५४) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (बांसवाड़ा जिले में नोतौड़ भूमि पर ली गई पेनल्टी पर विचार करने के लिए)

श्रीमती सुमित्रादेवी(पिलानी):—

(५६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (झुंझुनूं जिले की लगान की ऊंची दर को नीची करने पर बहस हेतु)

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) :

(59) That the Demand No. 1 Major head 7-Land Revenue be reduced by Re. 1/-[To discuss the defects of the present Chausala Girdawari].

(60) That the Demand No. 1 Major head 7-Land Revenue be reduced by Re. 1/-[To discuss the failure of the Department in demarcating the Abadi Land].

(61) That the Demand No.1 Major head 7-Land Revenue be reduced by Re. 1/- (To discuss the negligence of the Revenue Officers in the proper implementation of the provosions of the Revenue Courts Manual].

(62) That the Demand No. 1 Major head 7-Land Revenue be reduced by Re. 1/-[To discuss the failure of District Revenue staff to make the proper entries in the Record of Rights upon the coming into force of the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 1959.]

(63) That the Demand No. 1 Major head 7-Land Revenue be reduced by Re. 1/- [To discuss the inefficiency of the Revenue staff in implementing the provisions of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act).

(64) That the Demand No. 1 Major head 7- Land Revenue be reduced by Re. 1/-(To discuss the non-cooperation of the Patwaris with the Panchayats for mutation works).

(65) That the Demand No. 1 Major head 7-Land Revenue be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of the Revenue Authorities in demarcating the Pasture land in Sojat and Jaitaran Sub-Sivisions.]

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा कटमोशन था वह यह था To discuss the question of handing over to Panchayat Samitis the work of land revenue collection."

(श्री पी० के० चौधरी)

अध्यक्ष महोदय, जहां तक लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का सवाल है जैसा कि गवर्नर महोदय ने अपने भाषण में कहा था कुछ पंचायत समितियों को जिनको डिज़ायरेबल समझा जायगा लैन्ड रेवेन्यू कलेक्शन का काम सौंपा जायगा। मेरा इसमें निवेदन है कि इस तरह से डिस्क्रिमीनेशन न करके को एक्सपेरिमेन्टल तौर पर सभी पंचायत समितियों को लैन्ड रेवेन्यू कलेक्शन का काम सौंप दिया जाय। इस संबन्ध में बलवन्तराय मेहता टीम ने भी इसकी सिफ़ारिश की थी कि ये अधिकार पंचायतों को दे दियें जाय। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने भी सन् १६५४ में इस बात की सिफारिश की थी कि जहां तक हो सके पंचायतों को लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का काम दे दिया जाय। और केटेगेरिकली उन्होंने कहा था कि हेरिडीटरी जो कलेक्शन करते आ रहे हैं जैसे नम्बरदार या पटेल हैं उनको इमीजियेटली एबोलिश कर दिया जाय। यह लैन्ड रेवेन्यू कलेक्शन तक ही सीमित नहीं रहता। ऐसी हालत में यह केवल लैन्ड रेवेन्यू के कलेक्शन का सवाल नहीं है। जैसे कलेक्टर का काम है the Collector's institution was originally intended purely to collect the land revenue. लैन्ड रेवेन्यू कलेक्ट करते करते आज वे जिले के चीफ एक्जीक्युटिव ऑफिसर हो गये हैं, आज आपके विलेज लेवल पर चीफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट रहती है that man will be the person who will be in charge of land revenue collection. वे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। मेरा जो कटमोशन है जिसके जरिये मैं चाहता हूं कि लैन्ड रेवेन्यू कलेक्शन का काम पंचायत समितियों को दे दिया जाय, उससे दो फायदे होंगे। एक तो यह होगा कि जो पिचोत्तर लम्बरदारों को देते हैं वह लैन्ड रेवेन्यू का फ़ाइव पर्सेन्ट देते हैं। इस साल लगभग लैंड रेवेन्यू का ८ करोड़ का बजट है। उसका पांच पर्सेन्ट करीब ४० लाख होता है जो हम लम्बरदारों और पटेलों को देते है। अगर यह हिस्सा पंचायत समितियों को दे देते हैं तो उनकी ४० लाख की इन्कम बढ़ जाती है। मैं कहता हूं कि बलवन्तराय मेहता टीम ने भी सिफारिश की थी लैन्ड रेवेन्यू का फोर्टी पर्सेन्ट देने का। हमने फोर्टी पर्सेन्ट नहीं दिया। आपने जो दिया है उसके हिसाब से पांच या दस पर्सेन्ट मिलता है। लैन्ड रेवेन्यू कलेक्शन का काम दे देते हैं तो उससे पांच पर्सेन्ट और मिल जाता है तो काफी रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं।

उसके अलावा लैंड रेवेन्यू का चार्ज देंगे। दूसरी बात नागपुर रिजोल्यूशन में कहा था कि आप सीलिंग से जो एरिया एक्वायर कर रहे हैं उसमें यह कहा गया था : that area should vest in the Panchayats.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : Sir, the cut motion relates to the handing over of the land revenue collection to Panchayat Samitis and he is dealing with ceilings, allotment and all these things which have nothing to do with the cut motion.

श्री पी० के० चौधरी : मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था।

श्री अध्यक्ष : आपके कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के पांच मिनिट रहे हैं। इसको देखते हुए समझाने की कोशिश करिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप पन्द्रह मिनिट तो बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : Please wind up soon. After all it is a cut motion and not a general debate.

श्री पी० के० चौधरी : आउट ऑफ पोइन्ट तो कुछ नहीं कह रहा था। यह कह रहा था कि लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन का काम जिसको आप देंगे ultimately that will be your lowest unit of administ-ration in the village. उसके ऊपर ही अल्टीमेटली सारा लैंड रेवेन्यू का काम भी पड़ने वाला है। रेवेन्यू कलेक्शन के साथ साथ रेवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन will be the most powerful instrument of the State Government at the village level इसलिये मैंने कहा था कि लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन का वर्क केवल कलेक्शन का वर्क ही नहीं है, it has got a tremendous influence upon it. तो मैं इस ख्याल से बता रहा था। नागपुर रिज़ोल्यूशन के हिसाब से भी सीलिंग के सारे इन्तज़ाम का भार उन पर जाने वाला है तो अल्टीमेटली मकसद यही है कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के साथ लैंड रेवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड मैनेजमेन्ट, सारे का सारा काम ऑटोमेटिकली उन पर जावेगा और इसी ख्याल से मैंने कट मोशन रक्खा है। मैं मानता हूं कि प्रिन्सिपली भी सरकार इसको मानती है। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब, आशा है, इसको मन्जूर करेंगे और जल्दी से जल्दी ऐसे स्टेप्स लेंगे ताकि यह सारा वर्क पंचायत समिति को दे दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दनमल वैद।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इस मांग पर दो कट मोशन्स हैं। पहले दूसरे नम्बर के कट मोशन को लेना चाहता हूं। "To discuss the failure of the Government in standardising and rationalising the rates of land revenue in Rajasthan." माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कई रियासतों को मिलाकर बना है और उन रियासतों में अलग अलग लैंड रेवेन्यू की रेटें थीं। इसके अलावा एक एक रियासत में कई तरह की लैंड रेवेन्यू की रेटें थीं। बड़ा दुख है कि आज राजस्थान बने दस वर्ष से ज़्यादा हो गये, हम उन रेटों को आज तक रेशनलाइज़ नहीं कर सके। हम सारी चीजों को रेशनलाइज़ कर चुके, सर्विसेज का, पे स्केल्स का, कानूनों का और दूसरी सारी बातों को रेशनेलाइज़ कर चुके और एक एक करके सारी जनता को यह महसूस करा रहे हैं कि राजस्थान में एक रीति–नीति है, एक कानून है, एक पे स्केल है, एक तरह की सर्विसेज़ हैं। जनता के हित के लिये जो कोई भी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं उसका सबको समान लाभ दे रहे हैं और टैक्सों आदि का जो बोझा डाल रहे हैं वह भी सब पर समान रूप से डाल रहे हैं। सदन में आप हमें कहते हैं और यह सबको आप महसूस करा रहे हैं कि सब राजस्थानी हैं, सब एक हैं। बीकानेर में पर-कैपिटा जो टैक्सेज़ हम लगा रहे हैं, उदयपुर में पर–कैपिटा जो टैक्स लगा रहे हैं या खर्च कर रहे हैं वह बराबर सा है। हर चीज में इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान के एक करोड़ ६० लाख की जनता की उन्नति के काम करने में, प्लानिंग करने में, टैक्स लगाने में एक मिकदार से कर रहे हैं, एक हिसाब लगा रहे हैं। किसी को

(श्री चन्दनमल वैद)

यह महसूस नहीं होने दे रहे हैं कि एक कानून के नीचे वे नहीं चल रहे हैं या एक तरह का उनके साथ बरताव नहीं हो रहा है ।

पर दस वर्ष होने आये, आपने किसानों पर एक तरीके का एक सा बोझा नहीं डाला, आप उन पर एक तरह का भार नहीं डाल सके, उनके साथ आप समान व्यवहार नहीं कर सके, उनको यह महसूस नहीं करा सके कि आपके साथ कोई भिन्नता का बरताव नहीं किया जा रहा है । किसी जगह आप एक बीघा पर एक रुपया मन लगान लेते हैं तो कहीं आप एक बीघा पर पांच रुपया और दस रुपया और बीस-बाइस रुपया तक भी लगान लेते हैं और किसी जगह आप ।।) आना ही लेते हैं, यह समझ में नहीं आता। हमें अफसोस होता है कि दूसरे डिपार्टमेंट अगर ऐसा करते होते तो माना जा सकता था थोड़ी देर तक कि उनका प्रबन्ध ठीक हाथों में नहीं है, प्रबन्ध में खामी है, पर राजस्व विभाग ऐसा करता है जहां राजस्व मन्त्रीजी के से मन्त्री बैठे हैं । राजस्थान में यह परम्परा रह चुकी है कि बहुत से दूसरे विभागों में तो मन्त्री आते और चले जाते हैं पर राजस्व विभाग ही एक ऐसा विभाग है जहां अब तक चार राजस्व मंत्री बने हैं और वे सभी आउट स्टेन्डिग पर्सनलिटीज़ के आदमी बने हैं । अमूमन तौर पर हमारे यहां जो मुख्यमंत्री होते हैं वे राजस्व विभाग के मंत्री रहे होते हैं । यह राजस्व विभाग की बड़ी परम्परा है । उस राजस्व विभाग में इस प्रकार के घोटाले चलते हों, वे अभी तक इस लगान का एकीकरण न कर पाये हों और वहां हर किसान की योग्यता के अनुसार टैक्स नहीं लगा सके हों तो यह राजस्व विभाग की गलती ही नहीं, बल्कि नाकामयाबी मैं समझता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह टैक्स का सबसे पहला सिद्धान्त है कि टैक्स आदमी की हैसियत और बोझा सहने की शक्ति के अनुसार लगाना चाहिये । पर हम इस तरह से लगाने में नाकामयाब रहे । झुंझुनूं जिले में देखिये एक एक बीघा पर २२) रुपया लगान वसूल कर रहे हैं और दूसरी ओर गंगानगर में आठ आना और बारह आना और एक रुपया वसूल कर रहे हैं, जब कि उत्पादन का अन्तर भी मैं बता दूं, झुंझुनूं जिले में मुश्किल से एक बीघा में दो-ढाई मन का एवरेज आता है जब कि गंगानगर में एक फसल में दस मन का एवरेज़ एक बीघा में आता है । क्या झुंझुनूं जिले की जनता व वहां के किसानों के साथ यही न्याय है आपका कि २५), २०), १५) और १८) और कई बार बारह रुपया बीघा का लगान वसूल करें जब कि दूसरी जगह जहां वहां के मुकाबले में दो दो फसलें होती हैं साल में और उत्पादन भी दस मन के एवरेज़ से होता है, तो, इन दोनों जगहों को लगान की रेटों में इस तरह का जो भेद भाव है, यह जो डिसपेरिटी है इसको अलग करने की कोशिश करनी चाहिये, इन सबको रेशनलाइज़ करने की कोशिश आपको करनी चाहिये । चाहे इसमें कितनी ही तकलीफ और मेहनत करनी पड़े इसको गवारा करना चाहिये । मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि हमको एक स्टेटि स्टिक्स की किताब सरकार की तरफ से सरकूलेट हुई है । उसमें आपने आंकड़े दिये हैं । मैं उन आंकड़ों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

(श्री चन्दनमल वैद)

जैसलमेर में ३४ रु० एक एकड़ पर हम लगान वसूल करते हैं, जालोर में ४५ रु० वसूल करते हैं, चुरू में ५४ रु० एक एकड़ पर वसूल करते हैं, बाड़मेर में ५४ रु० एक एकड़ का लगान वसूल करते हैं, गंगानगर में १.२६रु० एक एकड़ का लगान वसूल करते हैं और अभी यहां माननीय सदस्यों ने बताया कि कोटपूतली में ऐसी एक जगह है जहां पर आप दस रुपया वसूल करते हैं और बारानी का साढ़े चार और ५) वसूल करते हैं। झुंझुनूं में ऐसी जगह हैं जहां आप बारानी पर ढाई तीन, रुपया वसूल करते हैं और चाही पर तो २२), २५) रु० तक वसूल करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि कोई अपनी जमीन में आज कुआं बना ले, अपना पैसा खर्च करके बना ले तो इसमें सरकार का क्या खर्चा होता है, उसमें तो आप उसकी लगान की रेट बढ़ा दो और दूसरी जगह जहां आप लाखों-करोड़ों रुपया खर्च करके नहरें ला रहे हैं, उनको पानी पहुंचाने का प्रबन्ध कर रहे हैं, सारी दिक्कतें आप उठा रहे हैं वहां लगान बहुत कम लो, इनके मुकाबले में, तो नाममात्र का ही लो। तो जिसने मेहनत करके अपनी आमदनी तीन-चार गुना कर ली, बढ़ाली, तो उसने क्या कुसूर किया है? उन्होंने क्या यह कुसूर किया है कि आपकी 'अन्न अधिक उपजाओ' की स्कीम में सहयोग दिया है। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत करके, अपने पास से पैसा लगा कर, अपनी मेहनत का खून पसीने की गाढ़ी कमाई का एक एक पैसा बचा कर, अपना और अपने बाल बच्चों का पेट काट काट कर और भी आगे बढ़ कर अपने सिर पर कर्ज़ा तक करके जिसने अपनी पैदावार बढ़ाई और इस तरह बिना आपके किसी सहयोग के अपनी मेहनत के बल पर, आपके अनाज पैदा करने के आन्दोलन में सहयोग देने का क्या आपने उसको यही इनाम दिया है, क्या इस सहयोग का यह जुर्माना है उनको कि क्योंकि तुमने मेहनत की है इसलिये तुम्हारे पर यह जुर्माना है? तुम्हारा लगान दुगुना, तिगुना और चार गुना हो जावेगा, तुम्हें दो रुपये की जगह दस रुपया देना पड़ेगा और दूसरी जगह जहां के लोग आलसी हैं, खुद कुछ करते नहीं, मेहनत करते हैं आप, नहरें लाते हैं आप, लाखों-करोड़ों रुपये लगाकर पानी आप उनको दे रहे हैं इसलिये आप उनको आलस का कोई इनाम दे रहे हैं। क्योंकि तुम आलसी हो, मुफ्तखोर हो, इसलिये चलो तुमसे लगान हम आठ आना ही लेंगे। तुम मजे करो और मौज करो। मैं समझता हूं कि राजस्थान के लिये ही नहीं हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के लिये यह कलंक की बात है, उनके लिये यह कलंक है एक। यह कलंक तब तक रहेगा जबतक हम इस तरह की डिसपेरिटी को दूर नहीं कर देते, जो पैदावार के अनुसार हमारा लगान नहीं हो जाता जबतक किसान की हैसियत के अनुसार लगान नहीं हो जाता या जो बोझा हम उन पर डाल रहे हैं वह समान नहीं हो जाता है। डिसपेरिटी रखना गलत बात है और हर हालत में इसको दूर करना चाहिये।

अब सरकार ने लैंड रेवेन्यू पर सरचार्ज भी लगाया है। बहुत सों को यह मुगालता होगा कि यह तो टेम्प्रेरी है। इस साल ही लगेगा, अगले साल नहीं लगेगा, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं उनको बताना चाहता हूं कि

Page No.37

(श्री चन्दनमल वैद)

यह यही नहीं, सारे हिन्दुस्तान में हमेशा के लिये मौजूद रहने वाला है और लगने वाला है और मैंने अभी प्लानिंग कमीशन की मामूली सी अखबारों में खबरें पढ़ी थीं उसके अनुसार उनकी ऐसी स्कीम है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में और हर पंचवर्षीय योजना में २०० करोड़ रुपये लैंड रेवेन्यू के सरचार्ज से इकट्ठे करने वाले हैं। जब हम मानते हैं कि सरचार्ज हमेशा के लिये रहने वाला टैक्स है तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि जितनी लैंड रेवेन्यू अलग अलग जगह अलग अलग तरह की है, डिस्क्रिमिनेटरी है, जमीन की और किसान की बोझा उठाने की हैसियत के अनुसार नहीं है तो उसको ठीक किया जावे क्योंकि एक तो लैंड रेवेन्यू का बोझा पहले ही उन पर बहुत ज्यादा है और चूंकि सरचार्ज भी उसी के अनुपात से लगने वाला है तो वह सरचार्ज भी उन पर ही सबसे अधिक पड़ने वाला है, तो इस तरह दो तरफ से आप दबे हुए को ही दबाना चाहते हैं, यह गलत है।

माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने फरमाया था कि हमने भूमि सुधारों के सिलसिले में पूरी कामयाबी हासिल कर ली है। इस पर मैं समझता हूँ कि राजस्व विभाग के सामने अब कोई काम उधर का नहीं है और अब वे जल्दी से जल्दी दो तीन-सालों में लैंड रेवेन्यू की ये सारी रेंट रेट्स हैं उनमें डिस्क्रि-मिनेटरी, जो डिस्पेरिटी है उसे मेहनत करके जल्दी से समाप्त कर देंगे। किसान पर आज जो आइवन बोझा पड़ रहा है समुचित बोझा, जैसी उनकी हैसियत है वैसा बोझा पड़े ऐसी कोशिश अब आप करेंगे, ऐसी मुझे राजस्व मन्त्रीजी से पूरी पूरी आशा है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग में मेरे ३ कटौती के प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव मेरा सेटलमेन्ट विभाग के अस्थाई कर्मचारियों की छंटनी के बारे में है। दो-तीन साल पहले सरकार ने यहां पर कुछ लोगों को सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट में भरती करके उनको ट्रेनिंग दी और प्रत्येक व्यक्ति ने अपने घर से उसकी फीस देकर उसकी ट्रेनिंग ली और उसके बाद में रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट ने उनको काम पर लगाया और दो साल काम करने के बाद उन सब कर्मचारियों को कह दिया गया कि अब इस विभाग को आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है इसलिए आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं और किसी भी विभाग में काम कर सकते हैं, हम आपके लिए कहीं सिफारिश की ज़रूरत होगी तो आपकी सिफारिश कर देंगे।....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय सदस्या जरा यह बतायें कि ऐसे कौन से एम्पलाईज़ हैं सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट के कि जिनको निकाल दिया है और वे अपने आप कहीं चले गये हैं। एक भी बता दें। एक से ज्यादा नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट ने जिनको ट्रेनिंग दी थी उनको कह दिया और वे अलग अलग डिपार्टमेन्ट में गये।

श्री दामोदरलाल व्यास : कहां चले गये? गवर्नमेन्ट ने उनको एब्ज़ॉर्ब किया रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में।

Page No.38

डॉ० चन्द्रकला : कई शिक्षा विभाग में चले गए, कई छोड़कर और दूसरे विभाग में चले गए। आपको जानकारी तो पूरी है नहीं। कुछ को तो आपने एब्ज़ॉर्ब किया और कुछ की सिफारिश करके दूसरे डिपार्टमेन्ट में भेजा और सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट की ट्रेनिंग लेकर शिक्षक बन कर गये हैं। यही तो मैं कहना चाहती हूं कि ट्रेनिंग तो ली उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट की और फिर वे शिक्षक बन कर गये हैं। आखिर वह ट्रेनिंग उनके क्या काम आई और न उससे सरकार ही लाभ उठा रही है। रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट इतना बड़ा डिपार्टमेन्ट है और जहां रोज नये कर्मचारियों की आवश्यकता होती रहती है। वहां कोई कर्मचारी आता है और वहां साल दो साल ट्रेनिंग लेता है और काम करता है और काम करके उसमें अनुभवी होता है तो आपको कोई मितव्ययता करनी होती है तो उस समय आप उनको इधर-उधर निकाल देते हैं और फिर कल जब आपको और कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी तो फिर नये सिरे से भरती करेंगे। मुझे अच्छी तरह से मालूम है....

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट एक टेम्प्रेरी डिपार्टमेन्ट है और जब सेटलमेन्ट का काम नहीं चल रहा हो तो उसके मुलाजिमान को रखें, यही आपकी मन्शा है?

डॉ० चन्द्रकला : जब आपका काम विकसित होने वाला है....

श्री दामोदरलाल व्यास : होने वाला नहीं है मौजूदा काम कितना है, उसके हिसाब से बतायें। अगर काम नहीं है तो फिर भी उनको रखा जाये?

डॉ० चन्द्रकला : क्या आप फिर नये भर्ती नहीं करते हैं और जब आप नये भर्ती करेंगे तो क्या उनको वापिस बुला लेंगे? आप करते क्या हैं कि नये भर्ती करके फिर ट्रेनिंग देते हैं। तो जब पहले से अनुभवी हैं उनको तो आप छुट्टी देते हैं और फिर जब आपको नये चाहिए तो नये सिरे से भर्ती करते हैं। मैं सरकार की इसी की तो आलोचना करती हूं। मेरा मतलब यही है कि आप कर्मचारियों को दुबारा नये सिरे से भर्ती करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और फिर निकाल देते हैं। जब उनकी सेवाओं की आवश्यकता होती है तो यह देखना पड़ता है कि हमारे पास एम्पलॉयमेन्ट है या नहीं और हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा किस तरह से है। मैं यह थोड़े ही कह रही हूं कि आप नये भर्ती क्यों करते हैं, पर जो पहले के ट्रेनिंग लिए हुए हैं उनको तो फिर वापिस रख लिया करो। मैं जानती हूं कि....

श्री दामोदरलाल व्यास : जानता हूं आपको।

डॉ० चन्द्रकला : मैं भी जानती हूं आपको।

दूसरा मेरा प्रस्ताव है पंचायतों को राजस्व वसूल करने का अधिकार देने संबंधी। यह तो राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बता दिया है और हमारी सरकार का भी इरादा है कि हम धीरे धीरे लगान वसूल करने का अधिकार पंचायतों को देने वाले हैं। लेकिन अभी तक जो तरीका है उसके अनुसार

(डॉ० चन्द्रकला)

राजस्व वसूल करने में पटवारी की ही प्रधानता होने वाली है। जिस तरह से पंचायतों का ढांचा बना हुआ है और जिस तरह से पंचायतें काम कर रही हैं उसको देखने से मालूम होता है कि पटवारियों के हाथ में सत्ता रहती है तो मैं तो कहूंगी कि पटवारी सीधे पंचायतों के नियंत्रण में रहने चाहिए। वैसे पटवारी सरकारी कर्मचारी होते हैं और उनके ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है और तहसीलदार का होता है और उनके ऊपर पंचायत समितियों का कोई अंकुश नहीं होता है और वह अपने आपको अलग ही स्वेच्छाचारी शासक की तरह मानता है और उसी तरह काम करता है। यदि हम राजस्व की वसूली के पंचायतों को अधिकार देने वाले हैं तो सरकार पंचायतों को लगान वसूल करने का एक माध्यम ही बनाना चाहती है, यही लक्ष्य है, तो मेरा नम्र निवेदन है कि मध्यस्थ तो पहले एक था, दूसरा और तीसरा बदलता रहा, तो मध्यस्थ बदलने से हमारी जो भावना है कि पंचायतें राजस्व की वसूली करेंगी इससे राजस्व में गड़बड़ी नहीं होगी और उसका उपयोग भी अच्छी तरह से हो सकेगा। इसलिए जो अधिकार देने वाले हैं वह केवल इसलिए नहीं कि हमारा राजस्व वसूल करने का माध्यम एक बदल कर दूसरा कर देते हैं बल्कि सही मायने में पंचायतें अपने उत्तरदायित्व को महसूस करें और जो भू राजस्व का हिस्सा उनके सार्वजनिक हित में आना चाहिए वह अच्छी तरह से आता जाये। इसलिए पंचायतों के ऊपर पटवारी सरकारी कर्मचारी के रूप में नहीं होकर वह पंचायतों के सीधे नियंत्रण में हो और वह पंचायतों के सहयोग से काम करें। अभी वह स्वतंत्र रूप से काम करता है और पंचायतें अपने आपको बिलकुल अधिकारहीन समझती हैं। इस विषय में हमने ग्रामदान बिल पास किया है और जो ग्रामदामी गांव हैं वहां हम यह काम करने वाले हैं कि वहां राजस्व का काम गांव के लोग अपने सहयोग से ही वसूल कर लें। अब जब ग्राम सभायें होंगी तो उसके माध्यम से ही सारा काम चलेगा। तो जो हम अधिकार ग्राम सभा को देंगे उसी तरह का अधिकार पंचायतों को भी देने की बात सोचनी चाहिए। इसी उद्देश्य से मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मितव्ययता के बारे में है। राजस्व विभाग हमारा ऐसा विभाग है कि जिससे कोष में सबसे अधिक आय आती है और उसमें प्रशासनिक व्यय भी उतना ही होता है। यह विभाग तो बड़ा विभाग है और कमाऊ विभाग है इसलिए सबसे अधिक खर्च करने वाला होना चाहिए। लेकिन इसके अन्दर बहुत सा खर्चा ऐसा होता है कि अगर उसके बचाने की ओर ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। मितव्ययता के बारे में थोड़ा सा खर्चा बचाने की बात सरकार ने सोची है तो इस विभाग में जो खर्चा होता है, उसमें मितव्ययता के बारे में प्रशासनिक व्यय में कमी करने के बारे में सदन में कई बार विचार हो चुका है और सरकार यह सोचती है कि उसके कई खर्चे हैं जो बहुत ज्यादा हैं और उनको कम करने की ओर ध्यान देना चाहिए। जब कि एक ओर हम लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण करके अपना अलग ढांचा जिला परिषदें, पंचायत समितियें और पंचायतें बना रहे हैं और दूसरी ओर हमारे कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी यह चलने वाले हैं तो यह दोहरा, तिहरा और चौहरा ढांचा है।

(डॉ० चन्द्रकला)

मेरा सुझाव है कि इसके स्थान पर एक ही ढांचा हो और जो प्रशासनिक ढांचा है उसको कम करने की ओर भी ध्यान दें तो अच्छा हो। इन उद्देश्यों से मैं अपने यह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करती हूं।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कटमोशन नम्बर ३६,४०,४१ हैं जो कि राजस्व वसूली के बारे में हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व वसूली रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के पटवारी, लम्बरदार से लेकर कमिश्नर तक संबंध रखती है। मैं इस संबंध में जो इसमें कमियां हैं और जो इसमें खर्चे हैं उसके संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब हम अपना बजट देखते हैं तो मालूम होता है कि जितना भी टैक्स हम कलेक्ट करते हैं सबसे ज्यादा रेवेन्यू से होता है। करीब ८ करोड़ हमारी इन्कम लैण्ड रेवेन्यू से है और खर्चा है केवल ४ करोड़। कमिश्नर्स, कलेक्टर्स और तहसीलदार से पटवारी तक को हम लेते हैं तो कुल ४,५६, ६६, ०००) का खर्चा है जब कि इन्कम है ८ करोड़ की। अगर कमिश्नर, कलेक्टर के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ दें और बाकी जो रेवेन्यू के लिए ड्यूटी है उनके लें तो एक्चुअल कास्ट लेंगे तो ३,३४, २१,०००) रु० पड़ते हैं। उसका भी मैं अगर पर्सेन्टेज़ देखता हूँ तो करीब ४५ पर्सेन्ट मिनिमम कोस्ट लैन्ड रेवेन्यू के कलेक्शन की होती है वह कुल इन्कम की ....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय सदस्य ने पर्सेन्टेज किस हिसाब से लगाया। कमिश्नर और कलेक्टर्स के पास से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को निकालने के बाद ३ करोड़ और ४५ पर्सेन्ट का क्या हिसाब लगाया है ?

श्री मोतीलाल : इसलिए मैंने कट मोशन रखा है। कमिश्नर्स के लिए सारी डिमान्ड जो है रेवेन्यू के अन्दर १, ६५,६८, ०००)रु० की डाइरेक्ट डिमान्ड है वह रेवेन्यू के बजट में रखी गई है। दूसरा रखा हुआ है जनरल एडमिनस्ट्रेशन के अन्दर जो तहसीलदार तक का एस्टेब्लिशमेंट है, एस. डी. ओ. तहसीलदार नायब तहसीलदार, कानूनगो, इन्स्पेक्टर्स या जो है....

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, इनका कहना है कि टैक्सेज़ कलेक्शन के लिए इतना रुपया खर्च होता है एक करोड़ और कुछ लाख, तो वह कौन कौन से हैड का है।

श्री मोतीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे बोलने दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : हां बोलिये।

श्री मोतीलाल : मैं स्पष्ट आंकड़ें दे रहा हूँ। सबसे पहले लें डाइरेक्ट डिमान्ड जो लैन्ड रेवेन्यू है उसके लिए १,६५,६८,०००) रु० है उसके अन्दर आ जाता है लैन्ड रेवेन्यू कलेक्शन करने का और उससे संबन्धित व्यवस्था करने वाले, इसके अलावा और कोई नहीं है। इसमें लैन्ड रेवेन्यू के सेटलमेंट वगैरह के पर्चे वगैरह से संबन्धित व्यवस्था करना, इन चीजों के लिए कम्प्लीटली १,६५,६८,०००) रु० है। उसके अन्दर

(श्री मोतीलाल)

तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, और पटवारी का खर्चा नहीं है। वह खर्चा देखते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर, उसको अगर देखते हैं तो उनके अन्दर आता है कमिश्नर्स, कलेक्टर्स और कलेक्टर्स के ऑफिसेज़ में ऑफिस कानूनगो है, रेवेन्यू इन्स्पेक्टर्स हैं, रेवेन्यू अकाउन्टेन्ट्स हैं, और उसके बाद में तहसीलदार, नायब तहसीलदार फिर उसके अन्दर आगे जाकर कानूनगोज़, पटवारीज़, रेवेन्यू इन्स्पेक्टर्स, इन सबका खर्चा देखते हैं, उस हैड के अन्दर है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का कलेक्टर के हैड के नीचे है। तहसीलदार का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से कोई संबन्ध नहीं रहता है। लैन्ड रेवेन्यू कलेक्शन के अलावा आज कोई काम उसके पास नहीं है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम उनके पास नहीं है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए छोड़ दें, उसका ५० पर्सेन्ट निकाल दें तो निकाल देने के बाद भी जो खर्चा पड़ता है वह करीब २ करोड़ के पड़ता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट कहना चाहूँगा कि डाइरेक्ट डिमान्ड जो १, ६५,६८,०००) रु० की है और जो इन्डाइरेक्ट है जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी और उनके साथ में रेवेन्यू इन्स्पेक्टर्स रेवेन्यू कलेक्शन के लिए अकाउन्टेन्ट का जो खर्चा है वह कुल खर्चा जाकर पहुँचता है। सिर्फ तहसीलदार का १,००, २३,०००) का है। तहसीलदार के अलावा नायब तहसीलदार का, रेवेन्यू इन्स्पेक्टर, कानूनगो और पटवारी की तनख्वाह है, और डाइरेक्ट डिमान्ड १,६५, ६८,०००) रु० की है तो तीन करोड़ रह जाता है। उसके अलावा कमिश्नर्स के ऑफिस में रेवेन्यू क्लर्क्स, रेवेन्यू इन्स्पेक्टर्स, रेवेन्यू अकाउन्टेन्ट हैं मैं उनका खर्चा मानता हूं। कमिश्नर का खर्चा कम्प्लीट छोड़ दिया है। मैं उनकी पे को भी नहीं लेता हूँ। वहां पर ८ लाख का खर्चा होता है तो ८ लाख में से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का छोड़ दें, ५ लाख और ३ लाख का लेता हूं। वह वही है जो स्ट्रिक्टली रेवेन्यू कलेक्शन के लिए है स्पेशयली कमिश्नर के ऑफिस में रखा गया है। कलेक्टर की ड्यूटीज़ जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की है उनको छोड़ दिया है। उसके लिए जो स्टाफ रेवेन्यू कलेक्शन के लिए है और उसके पास कोई दूसरा काम नहीं है, बाकी स्टाफ बहुत है उन सब को छोड़ देते है। खाली रेवेन्यू कलेक्शन का एक्सपेन्डीचर है उस एक्सपेन्डीचर को लेता हूं तो वह जाकर कुल ३,३४,२१,०००) रु० बैठता है सिर्फ कलेक्शन की दृष्टि से। इसलिये एक करोड़ और कितना ही रुपया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है बाकी ३ करोड़ रुपया पटवारी से लेकर कमिश्नर के ऑफिस तक रेवेन्यू कलेक्शन का जो रेकॉर्ड रखते हैं, अकाउन्ट रखते हैं, रेकॉर्ड मेन्टेन करते हैं, कलेक्टर और कमिश्नर की पूरी तनख्वाह को छोड़ दिया है, एस. डी. ओ. की तनख्वाह, ए. डी. एम. और असिस्टेन्ट कलेक्टर की तनख्वाह व जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है, असिस्टेन्ट कलेक्टर्स हैं या मजिस्ट्रेट्स हैं, इनके सारे खर्चों को छोड़ दिया है। सिम्पली मैंने लिया है तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रेवेन्यू इन्स्पेक्टर, पटवारीज़ और और उनसे संबन्धित रेकॉर्ड रखने वाले अकाउन्टेन्ट्स और दूसरे इन्स्पेक्टर्स हैं उनको लिया है। वह करीब ३,३४,००,०००,) रु० है। उसका पर्सेन्टेज लगाता हूं तो वह ४५ पर्सेन्ट बैठता है।

(श्री मोतीलाल)

माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का ध्यान आकर्षित करता हूं कि सेल्स टैक्स से इन्कम ३, ४०,००,०००) रु० है और उसका एक्सपेन्डीचर १७ लाख का है। वह करीब ५ पर्सेन्ट पड़ता है। दूसरा हम देखते हैं कि टैक्सेज़ जो विहिकल्स से इन्कम है १ करोड़ और खर्चा है करीब ५,२८,०००) रु० और वह जाकर बैठता है ५ पर्सेन्ट का। तीसरे हम देखते हैं कि स्टेट एक्साइज़ ड्यूटी है उसमें करीब ३, ६२, ००,०००) रु० की इन्कम है और खर्चा उसके लिए है सिर्फ ५३,००,०००) रु० का। वह करीब पड़ता है १० पर्सेन्ट। उस दृष्टिकोण से यहां एक तरफ ४५ पर्सेन्ट है और दूसरी तरफ १० से ५ पर्सेन्ट तक एक्सपेन्डीचर होता है।

माननीय मंत्री महोदय कहेंगे कि वे रेवेन्यू के अलावा दूसरे काम भी करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पटवारीज़ की जो ड्यूटीज़ पहले अलॉटेड थीं उनकी वे आज ड्यूटीज़ नहीं हैं। वे सारी ड्यूटीज़ हट गई हैं। वे लैण्ड रेकॉर्ड को मेन्टेन करते हैं और लैंड कलेक्शन के अलावा कोई ड्यूटी नहीं है। उनकी ६१ जो ड्यूटीज़ बनाई थीं, गवर्नमेंट के जो दिये हुए अधिकार हैं, ड्यूटीज़ हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास : मि० स्पीकर सर, आपका जनरल डिस्कशन करने के लिए जो कट मोशन है उसमें वे जो वसूली का तरीका है उसमें तब्दीली कराना चाहते हैं। अगर वे पटवारीज़ की ६१ ड्यूटीज़ को एन्यूमेरेट करेंगे तो that has nothing to do with this. मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बात कहें तो ज्यादा अच्छा रहे।

श्री मोतीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी ड्यूटीज़ के साथ में खर्चा नहीं दिखाऊंगा, तो माननीय मंत्री जी जवाब देंगे कि उनकी बहुत ड्यूटीज़ हैं। इतनी ड्यूटीज़ हैं कि सारा रुपया लैण्ड रेवेन्यू पर खर्च नहीं होता है। मैं इसीलिए बताना चाहता हूं कि पटवारी की ड्यूटीज़ कमती हो गई हैं। उनके पास लैण्ड रेवेन्यू के कलेक्शन के अलावा कोई और काम नहीं है। तकावी देना, कुए की रिपोर्ट देना, बर्थ और डेथ का रेकॉर्ड रखना, यह सब पंचायतों के पास चला गया है। आज उनके पास ४५ ड्यूटीज में से ४ ड्यूटीज़ रही हैं। ४० ड्यूटीज़ पंचायतों और पंचायत समितियों के पास चली गई हैं। इस दृष्टिकोण से पटवारी पर जो एक्सपेन्डीचर होता है, उस एक्सपेन्डीचर के साथ में उनको ड्यूटीज़ एक्स्ट्रा दें। मैं यह सुझाव दूंगा कि किस तरह से खर्च को कम कर सकते हैं और किस तरह से उसी खर्चे में उस आदमी से दूसरी ड्यूटीज़ ले सकते है ताकि वह सारा एक्सपेन्डीचर रेवेन्यू कलेक्शन पर नहीं पड़े, बाकी दूसरी ड्यूटीज़ पर पड़ जाय। इसलिए मेरा यह सुझाव था कि खर्चा जिस बेसिस पर करें तो देखें कि रेवेन्यू कलेक्शन में क्या ड्यूटीज़ हैं? मेरे फिगर्स को आप उचित नहीं समझते हैं, आप डिटरमिन कर लें, खुद अपने बड़े से बड़े अधिकारी से स्टेटिस्टिकल फिगर्स निकलवाकर देख लें और उसके बाद यदि कॉस्ट ऑफ़ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की दूसरी जगहों से ज्यादा पड़ती है तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिये कि टैक्सेज़ को कम करना है, टैक्सेज़ को रखना है या नहीं। टैक्स को रखते हैं तो कॉस्ट को कम करना है या नहीं, टैक्सेशन की नीति यह हो कि उसकी लिमिट यह होनी चाहिये कि उसका रियलाइज़ेशन के दृष्टिकोण से खर्च कम हो,

(श्री मोतीलाल)

कम पर्सेन्टेज पर लगे, गरीब जनता पर नहीं लगे, उनके बाद लगाया जाय। टैक्स की इन्कम, टैक्स कलेक्शन में ही सारी खर्च कर दी जाय तो वह उचित नहीं होता है, वह न्याय की चीज़ नहीं होती है, वह साइन्टिफिक टैक्सेशन नहीं होता है। इसलिये मैं ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए जो स्टाफ रखना पड़ता है, व्यवस्था करने के लिए खर्च करना पड़ता है तो उस खर्चे को दूसरे टैक्सेशन के खर्चे से मिलाकर देख लें और अगर ज्यादा है तो निश्चित रूप से उसको कमती करें। अगर नहीं करेंगे तो वह गलत रहेगा और गलत लोग कहेंगे।

दूसरी बात अब वे कहेंगे कि कौनसा तरीका लें। किस तरीके से लैंड रेवेन्यू ...

श्री अध्यक्ष : कृपया शोर्ट में बोलें। सारे कट मोशन्स जो आपके हैं उनके लिये ५ मिनिट का समय रह गया है।

श्री मोतीलाल : मेरे सुझाव ये हैं। सबसे पहले पटवारीज़ को लीजिये। सरकार ने खुद कहा है कि २५ लाख रूपये चौधरियों और नंबरदारों को देते हैं। मैं समझता हूं, २५ लाख की फिगर गलत होगी क्योंकि हम ५ पर्सेन्ट लैंड रेवेन्यू का उनको देते हैं और वह ४० लाख के आस-पास बैठता है। मान लीजिये कि हम २५ लाख ही देते हैं, पर ये किसलिये देते हैं। ये लोग लैंड रेवेन्यू वसूल करने के लिये पटवारी के साथ जाते हैं, उसके लिये इनको ५ पर्सेन्ट देते है। न तो ये अपने पास रेकार्ड रखते हैं और न इनकी वसूली के बारे में कोई जिम्मेदारी है, कोई दे न दे, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि पर्चे के माफिक रूपये लेकर तहसील में जमा करा दें। मेरा यह सुझाव है कि चौधरी या नंबरदार की पोस्टए बोलिश कर दी जाय क्योंकि जो काम चौधरियों का है वही काम पंचायत कर सकती हैं इसलिये इन पोस्टों को एबोलिश कर दें तो २५ लाख रुपयों का सेविंग आसानी से हो सकता है, सिर्फ रेवेन्यु मिनिस्टर साहब के हुक्म से कि नंबरदारों को हटा दिया जाय और यह काम पंचायतों को दे दिया जाय, क्योंकि ये कुछ काम नहीं करते, न तो ये रेकॉर्ड रखते हैं और न वसूली के लिये जिम्मेदारी इनकी है। पटवारी स्लिप देते हैं उसके माफिक पैसा लेकर जमा कराने का काम है और वह भी कई जगह अच्छी तरह से होता है, कहीं गड़बड़ियें होती हैं, मैं इन सब में नहीं पडूंगा क्योंकि समय कम है। लेकिन इससे २५ लाख रूपये बच सकते है। अगर एक्चुअली देखें तो ४० लाख रूपयों का फायदा हो सकता है और यह रकम पंचायतों को दी जा सकती है। मेरी डिस्ट्रिक्ट में ५ पर्सेन्ट चौधरी को मिलता है। चौधरी को लेकर बड़ी लड़ाइयें होती हैं। ३ साल से इस बारे में लिखा-पढ़ी चल रही है, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब जानते हैं और केबिनेट के सदस्यों को भी जानकारी है। आगे क्या करें, क्या नहीं करें, इस बारे में शायद सोच भी रहे हैं। इनकी ड्यूटी पंचायतों को दे दें तो रास्ता निकल सकता है। अगर पंचायतों को नहीं देना चाहते हैं तो हर एक गांव में सर्विस कोऑपरेटिव टिनेन्टस के लिये करने का निर्णय लिया है तो उनको इमीजियेट मदद देने का हो तो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का ५ पर्सेन्ट उनको मिल सकता है, जिसे एक व्यक्ति

(श्री मोतीलाल)

लेता है उनको न देकर आम लोगों की सेवा के लिये जो संस्था है उसको दिया जाय। ये २५ या ४० लाख रुपये होते हैं।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि अब हमने ब्लॉक्स में भी विकेन्द्रीकरण कर दिया। उसके बाद हमने २३२ ब्लॉक्स बनाये हैं, जन संख्या, डेवलपमेंट वर्क और जमीन को देख कर विभाजित किया है। इसके बाद यदि तहसीलदार की पोस्ट हटा दी जाय तो बेजा नहीं है। यदि नहीं हटाई जाय तो तहसीलदारों को एक्सटेन्शन ऑफिसर फोर रेवेन्यू वर्क्स के नाम से रखा जा सकता है। ब्लॉक्स के लिये तो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि सीनियर आर. ए. एस. लोगों को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रखेंगे। ब्लॉक्स में एग्रीकल्चर, वेटरनरी आदि के एक्सटेन्शन ऑफिसर्स होते हैं जिनका ग्रेड २०० से प्रारम्भ होता है, इसी तरह से रेवेन्यू एक्सटेन्शन ऑफिसर की हैसियत से ये तहसीलदार ब्लॉक्स में काम कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाय तो जो खर्चा तहसील में, क्लर्क्स, चपरासी आदि पर होता है वह कम हो जायगा। तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की संख्या ४०० करीब है। २३२ ब्लॉक्स में ब्लॉक-वाइज़ एक आदमी को रखें तो ये पोस्टें भी कम हो सकती हैं और सेविंग होगा। दूसरा सेविंग यह होगा कि तहसीलदारों के साथ कितनी ही पोस्ट्स और लगी हुई हैं, जैसे राजस्थान में कुल २११ तहसीलदार हैं, २४३ नायब तहसीलदार हैं गिरदावर हैं, ४३४ यू० डी० सी० हैं, और १५७४ एल. डी. सी. हैं और ५७३३ पियोन्स –सवार्स आदि हैं। ऑफिसर्स तो कुल हैं ४०० और केवल पियोन्स, सवार आदि हैं ६ हजार। ये काफ़ी कम हो सकते हैं। ग्राम के मुत्तलिक सारा काम ग्राम पंचायत का चपरासी कर सकता है, जो ५ पर्सेन्ट चौधरियों को देते हैं वह काम भी पंचायत कर सकती है। इसलिये इन सब की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ हर एक ओफिस का मेन्टेने का खर्चा, किराये का खर्चा, जहां मकानात नहीं हैं वहां मकान बनाने पड़ते हैं इन सब पर जो खर्चा आता है वह कम हो सकता है। इसमें अभी कुछ गलती हो तो मंत्रीजी अपने एक्सपर्ट्स से दिखला लें। मेरे हिसाब से खर्चा पहुंचता है २ करोड़ के आस–पास। यदि इसे बचायेंगे तो ये २ करोड़ रुपये और काम में आ सकते हैं।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि जो कलेक्टर्स के नीचे ट्रेज़रीज़, सब ट्रेजरीज़ हैं वे इसलिये रखी जाती हैं कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू के रुपये कहां पर रखे जायं। मेरा यह सुझाव है कि हर एक जिले में सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक खुले हैं, रिज़र्व बैंक का यह नियम है कि वह लेन-देन का ही काम करे लेकिन वहां हर बैंक में स्टाफ है, वहां का जो मैनेजर है वह तहसीलदार से ऊपर के स्टेन्डर्ड का है। यदि डिस्ट्रिक्ट ट्रेज़रीज़ का काम उससे पूरा कर लें तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेज़री का खर्चा आधा हो जायगा। इसी तरह से हर ब्लॉक में सेन्ट्रल कोऑप-रेटिव बैंक की ब्रान्च खोल दें तो उससे काम चल सकता है। इससे बैंकिंग फेसिलिटीज़ के प्रति जनता को भी उत्साहित कर सकेंगे, लोन वगैरह उनको सारा इनकी मार्फत मिल

(श्री मोतीलाल)

सकेगा। लोन वगैरह का काम भी आज सिस्टेमेटिक नहीं है वह भी ठीक हो जायगा। गवर्नमेंट का एक्सपेन्डिचर है वह भी बैंक की मार्फत होगा इससे बैंकिंग इन्स्टिट्यूशन भी मज़बूत हो जायगा और कोऑपरेटिव के तरीके पर काम करने को बढ़ावा मिलेगा। यदि ट्रेज़री का काम सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक को दे दें और तहसीलदार नायब तहसीलदार को रेवेन्यू एक्सटेन्शन ऑफिसर बना दें और नंबरदारों का काम पंचायतों को दे दें तो खर्चे में काफी कमी हो जायगी।........

श्री मूलचन्द डागा (पाली): आप धीरे बोलें, ताकि हम फोलो कर सकें।

श्री मोतीलाल : इस तरह से हम देखते हैं कि ५ पर्सेन्ट जो नंबरदारों को देते हैं उससे ४० लाख रुपयों की बचत होगी और तहसीलदारों को रेवेन्यू एक्सटेन्शन ऑफिसर बनाने से और ट्रेज़री का काम सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक को देने से करीब २ करोड़ रुपयों की सेविंग हो जायगी। इसलिये मंत्रीजी से निवेदन है कि जो तरीका अभी है उसको बदलें और सिस्टेमेटिक ढंग पर लावें तो सरचार्ज लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही मैं यह भी चाहूंगा कि मंत्रीजी अपने एक्सपर्ट्स से अच्छी तरह से छानबीन करा लें।

रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में एक गलती और है, उस ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा और वह यह है कि रेवेन्यू कलेक्शन का काम जहां पर कम है वहां भी उतना ही स्टाफ है जितना ज्यादा कामवाली जगह पर है। जहां रेट या रकम कम है वहां भी कलेक्शन का खर्चा उसी तरह से पड़ता है। कई तहसीलों में लैंड रेवेन्यू कम है, जन संख्या कम है पर वहां भी खर्चा उतना ही है जितना दूसरी जगह है, इसलिये मेरी यह मान्यता है और बलपूर्वक मान्यता है कि यदि इस सिस्टम को रिमोडल करेंगे तो निश्चित रूप से कमी आयेगी........

श्री अध्यक्ष : आपका समय खत्म हो गया।

श्री मोतीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनिट में खत्म कर दूंगा।

दूसरा मेरा सुझाव है गोचर भूमि के बारे में। स्टेट लैंड कमीशन की रिपोर्ट है उसके माफिक जो जमीन मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है। दो साल पहले जो बात तय कर दी थी उसकी और लैंड कमीशन की रिपोर्ट है उसकी अवहेलना भी तहसीलदार और नायब तहसीलदार करते हैं। जितने कानून बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं उनको तोड़ कर ये लोग मनमानी करते हैं इसलिये उनको रोकने की व्यवस्था करें।

१. म. प.

तीसरी बात यह निवेदन करनी है कि जागीरदारों को जितना मुआवज़ा मिलना चाहिये उस में गड़बड़ियां होती हैं। उसके बारे में माननीय मन्त्री जी किसी कमेटी को बैठा कर उसका निर्णय लेंगे या छान बीन करेंगे तो मिलेगा कि जिन जागीरदारों को मुआवज़ा मिलना चाहिए, उससे

(श्री मोतीलाल)

दुगुना उनको मिल गया है। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कई गड़बड़ियों होती हैं, मेरे ध्यान में दो तीन केसेज़ आये हैं। एक जागीरदार के पास में जो इर्रिगेटेड लैंड था, उसमें गोचर लैंड को शामिल करके, उसकी कॉस्ट को इन्क्लूड किया गया है, जो पब्लिक लैंड थां शुरू से। इतना ही नहीं, जो खुद काश्त थी एक्चूअलं, उसकें अलावा जो गोचर लैंड था,. उसको भी खुद काश्त में डिक्लेअर कर दिया गया है और जो ऑफिसर थे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। ऐसी भी शिकायतें हैं कि जो मुआवजा देना चाहिए, उनको जिस ढंग से मिलना चाहिए, उसमें भी कुछ इर्रेगुलेरिटीज़ हुई हैं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसी बहुत शिकायतें हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कि जागीरदारों को मुआवजा टाइम पर नहीं मिलता, उनको खर्च करना पड़ता है, १० पर्सेन्ट, २० पर्सेन्ट तक देना पड़ता है।

(घंटी)

तो इसमें तीन कट मोशन्स मेरे हैं। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वसूली के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट है, उसको लागू करें और जो मुआवजा मिलता है, उसमें जो गड़बड़ी होती है, उसको रोकें और जिनको समय पर नहीं मिलता है, उनको दिलायें। इसके साथ ही जिन फैक्ट्स के बारे में कहा, उस सम्बन्ध में एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बैठा दें तो अच्छी तरह फैक्ट्स मिल जायेंगे निश्चित् रूप से। इसके साथ ही जो लैंड रिफार्म्स, निवेदन है कि जिस लक्ष्य से लैंड रिफार्म्स होने चाहिए, उसकी व्यवस्था की जाय ! इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इन्हें मन्जूर कर लें।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (चुरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के चालू विषय भू राजस्व के ऊपर मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में जिस तरह भू-राजस्व का डिपार्टमेंट किसान के लिए बहुत नजदीकी का और बहुत आवश्यक डिपार्टमेंट है, उसको मद्दे नज़र रखते हुए मैं किसानों के रोजाना काम में आने वाली स्टेजेज़ के बारे में, जिनका इस विभाग से ताल्लुक है, उनके ऊपर तीन कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को जमीन के ऊपर कायम रखने के लिए, जिस तरह जमीन के साथ उसका रिश्ता होना चाहिए, उसके लिए मैंने एक कटौती प्रस्ताव रखा है, राजस्थान टिनेन्टी एक्ट, १६५५ की धारा १६ के तहत खातेदारी दर्ज करने में गड़बड़ी पर बहस करने हेतु। इसी तरह से किसानों के लिये जमीन पर अधिकार होना जरूरी है। उसी तरह एक आगे की स्टेज पर एक जरूरी

(श्री मोहरसिंह)

चीज़ आती है कि कौनसी एक फसल के ऊपर किसने काश्त किया, फलां व्यक्ति ने कितनी पैदावार की, उसके लिए गिरदावरी की जरूरत है। उसके लिए भी एक कटौती का प्रस्ताव रखा है, गिरदावरी में होने वाली अव्यवस्था पर बहस करने हेतु। इसी तरह से किसानों की जिन्दगी में खुशहाली लाने के लिए, उनको जिन्दा रखने के लिए, उनके जीवन को सुनहरा बनाने के लिए, स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा करने के लिए, कुल मिला कर देश को आगे बढ़ाने के लिए एक और चीज़ जरूरी है और वह है बारानी जमीन के ऊपर पानी का प्रबन्ध। इसके लिए, अध्यक्ष महोदय, एक कटौती का प्रस्ताव रखा है, जिला गंगानगर में कोलोनाइजेशन व कन्सोलिडेशन में अनियमितताओं पर बहस करने हेतु। जहां तक मैं समझ रहा हूं, ये कटौती के प्रस्ताव किसानों की बहुत कुछ मुश्किलात को पूरा करने वाले प्रस्ताव हैं, इसलिए इस विभाग के मन्त्री महोदय अच्छी तरह से इनमें बतलाई हुई कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करें। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले उस कटौती प्रस्ताव पर बातचीत करना चाहता हूँ और मन्त्री महोदय को आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि किसानों को जमीन पर हक देने का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, हमारी जमीन दो हिस्सों में बंटी है, एक बारानी जमीन और दूसरी जमीन जिस पर पानी है। बारानी जमीन पर ज्यादातर राजस्थान के जिलों के काश्तकार आबाद हैं। वे ऐसी जिन्दगी बसर करते हैं, अध्यक्ष महोदय, कि आज जो हम गांवों में समाजवाद का नारा लगाते हैं, उसको अपने समक्ष रख कर मैं इन सारे भूमि सुधारों के प्रसंग में बोल रहा हूं उन पर न बोल कर यह कहना चाहता हूं कि दफा १६ के तहत खुद काश्त के लिए, जिस खातेदारी के लिए किसान बड़े लालायित थे कि खातेदारी मिलने के बाद किसान का जमीन के ऊपर मजबूत, स्थायित्व हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन के ऊपर असर होता है। अध्यक्ष महोदय, उस चीज़ में किसी प्रकार की कमी हो तो मैं समझ रहा हूं कि प्रोडक्शन में कमी पड़ती है, किसान के दिमाग में प्रभाव होता है तो जमीन पर अच्छे ढंग से मेहनत करके कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, जब तक उसको जमीन पर बुनियादी अधिकार नहीं हो, जमीन का स्थायित्व प्रदान कर देने से, जमीन पर किसान को अधिकार दे देने से किसानों के दिमाग में उलझन न रहे। किन्तु किसी प्रकार भी इस हक में थोड़ी कमी रहती है, जो इस प्रकार की दिक्कतें सामने आ सकती है। इसलिए इस सारी चीज का इन्तजाम कर दिया जाय और मैं समझता हूं कि किसान को जमीन के ऊपर अधिकार मिल जाता है तो उसके बाद वह स्थाई होकर स्वतन्त्र दिमाग से जमीन से ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करने की कोशिश करेगा। अध्यक्ष महोदय, इस निमित्त एक सेक्शन रखा है दफा १६ का। मैं समझ रहा हूँ कि वास्तव में किसानों के लिए एक निहायत जरूरी चीज है और वह है खातेदारी अधिकार। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि देश के अन्दर अगर समाजवादी समाज व्यवस्था कायम करनी है और जो नक्शा हमारे सामने है उसको मंजिले मकसूद तक पहुंचाना है और समाजवादी समाज के अन्दर हमारे देश को बदल देना

(श्री मोहरसिंह)

है तो उसको मद्दे नजर रखते हुए मैं समझ रहा हूं कि किसानों के साथ बड़ा भारी पक्षपात किया जा रहा है, उनको खातेदारी अधिकार प्रदान करने में समाजवादी दृष्टिकोण के साथ न्याय नहीं किया गया है। इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, एक तरफ हमारा नारा है, समाजवाद, समानता, न्याय के दृष्टि कोण से, दूसरी तरफ किसानों को दो हिस्सों में बांटा है एक है जमीन से जिनका रिश्ता था, जिनका अधिकार पहले से चला आ रहा था उसको चलाने की कोशिश की है। एक हिस्सा है जागीरदार का, दूसरा है किसान का। अध्यक्ष महोदय, मैं समाजवाद के नारे को लगाने वालों के लिए कह रहा हूँ कि खातेदारी के अधिकार देते समय किसानों के साथ सही बर्ताव नहीं किया। वह किसान मुद्दतों से जमीन के ऊपर आबाद था, मुद्दतों से वह काश्त करता आ रहा था, ४०,५० या ६० वर्ष से किसान काश्त करता आ रहा था लेकिन जागीरदारी व्यवस्था के कारण, आँटोक्रेसी, सामन्त वर्ग की हुकूमत के कारण उसको खातेदारी के अधिकार से वंचित रखा गया। लेकिन जब भारत में सुनहला दिन आया, आजादी आई तो लोगों ने उम्मीद लगाई कि जो २० वर्ष से काश्त करते आये हैं, राजाओं के वक्त से काश्त करते आये हैं, उनको खातेदारी के हक दिये जायेंगे। अब अपनी हुकूमत आने के बाद यह सहूलियत पैदा होगी कि जो इतने वर्षों से काश्त करते आये हैं उनको खातेदारी के अधिकार मिल जायेंगे। इस ओर वे अपनी नजर लगाये बैठे थे लेकिन अध्यक्ष महोदय, हुआ क्या, इससे उलटा हुआ। जिन जागीरदारों ने जमीन की काश्त नहीं किया, जिसकी जमीन बंजर पड़ी हुई थी उस जमीन को खुद काश्त का नाम देकर उसे खातेदारी के अधिकार प्रदान कर दिये गये और जो किसान इतने वर्षों से काश्त करता आ रहा था उसको अलहदा रख दिया गया और हमारी सरकार ने न्याय की दृष्टि से उनको खातेदारी के अधिकार नहीं दिये। मेरे पास इस तरह के कई उदाहरण हैं कि जागीरदारों के पास बंजर ज़मीन पड़ी थी लेकिन उनको खातेदारी के अधिकार प्रदान किये गये। समाजवाद का नारा लगाने वालों से मेरा निवेदन है कि वे तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें कि जो जमीन पर काश्त नहीं कर रहा था जिसकी जमीन बंजर पड़ी थी उसको अधिकार प्रदान कर दिया गया दफा १३ टिनेन्सी एक्ट का हवाला देकर लेकिन जो ४० वर्ष से काश्त करता आ रहा था उसको अधिकार नहीं दिया गया। एक तरफ समाजवाद का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ जो काश्त करता आ रहा था उस काश्तकार को खातेदारी के अधिकार नहीं दिये गये, जब कि लाखों बीघा जमीन, हजारों बीघा जमीन पड़ी थी। कल एक माननीय सदस्य ने बताया कि एक एक आदमी के पास १७ हजार बीघा जमीन पड़ी है। राजगढ़ तहसील में, चुरू जिले में मैं ऐसे कई उदाहरण पेश कर सकता हूँ जहां जागीरदार १०-१० हजार बीघा जमीन पर कब्जा किये हुए बैठे हैं, बंजर जमीन ही नहीं, जो राजाओं से, सेटलमेंट ऑफिसर्स से मिल कर हकूक खातेदारी, खुद काश्त लिखवा कर उन जमीनों पर कब्जा कर लिया। डेमोक्रेसी आने के बाद इस सरकार के आने पर जो जागीरदारों के साथ समझौता हुआ उसमें इन लोगों को हकूक मिल गये, उस जमीन की खातेदारी जागीरदार के नाम कर दी गई

(श्री मोहरसिंह)

जहां पर कि काश्तकार काश्त करता था। आज जागीरदार साठ-साठ हजार बीघा जमीन पर कब्जा किये हुए बैठे हैं। काश्त करता है उस जमीन पर काशीराम, काश्त करता है उस पर सेडूराम पर खातेदारी दर्ज है जागीरदार के नाम। तो आज किसान के साथ इन्साफ नहीं है। अगर वह एन्ट्री खाना नं० ५ बीकानेर बन्दोबस्त के अन्दर आती है, सुखाड़िया साहब जब रेवेन्यू मिनिस्टर थे तब उन्हें दिखाई गई पर वह चुरू डिस्ट्रिक्ट में ही महदूद रह गई। अगर वह एन्ट्री दुरुस्त कर दी जाती तो ४० वर्ष के काश्तकार का जो हक उस पर था वह नहीं मारा जाता और आज उसके कारण सरकार को चार—पांच करोड़ रुपये का नुकसान उस जमीन का मुआवजा देने के रूप में हो रहा है वह नुकसान नहीं होता। अब उनको उस जमीन का मुआवजा चुकाना पड़ेगा। तो हमारी गलतियों के कारण सरकार को और किसानों को दोनों को नुकसान उठाना पड़ा। इस तरह इतनी अधिक तादाद में जमीन जागीरदारों के कब्जे में होने के कारण जागीरदार उन जमीनों को बेचते हैं।

इसके बाद भी कुछ जमीन बची, सेटलमेंट हुआ उस वक्त जो लोग काश्त कर रहे थे उनसे छुड़ाई और खातेदारी जागीरदारों ने ले ली। उस जमीन पर धारा १६ लागू होती है तो उसके तहत भी किसानों को काफी फायदा पहुँच सकता है पर जहां तक मैंने उन इलाकों में घूम-घूम कर देखा है धारा १६ के तहत खातेदारी किसानों के नाम नहीं चढ़ाई जाती। राजगढ़ में मैंने देखा तहसीलदार आज भी जब कि मिसलें दाखिल दफ्तर हो गई, उनकी खातेदारी चढ़ जानी चाहिये थीं पर आज भी उन किसानों को कहा जा रहा है कि खसरा लाओ, फर्द खाता ला कर शामिल करो और दो गवाह ऐसे लाओ जो यह कहें कि तुम इस पर काश्त करते थे, तब इसके बाद तुम्हारे नाम खातेदारी चढ़ाई जायेगी। यह राजगढ़ की बात है। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब पूछताछ कर लें।

इसके बाद तारानगर की तहसील जो मेरे पास लगी हुई है वहां पर भी इसी तरह के किस्से सुने हैं, झुंझुनूं और सीकर में भी इसी तरह के किस्से सुने हैं। तारानगर तहसील में राजपुर नामक गांव में किसानों से पूछा कि क्या तुम्हारे नाम खातेदारी दर्ज हो गई तो उन्होंने कहा कि खसरे के नम्बर मांगे जाते हैं और १० रुपये मांगे जाते हैं। एक तरफ चाही का २० गुना मुआवजा देना पड़ेगा और बारानी का १५ गुना मुआवजा देना पड़ेगा फिर ऊपर से उसे खातेदारी दर्ज कराते वक्त कहें कि १० रुपये और दो तो वह बेचारा इतना कहां से लायेगा ? तो इस तरह से धारा १६ के मातहत जो उन्हें खातेदारी हकूक मिलने चाहिये उन हकूकों से उन्हें वंचित रखा जा रहा है।

राजस्व मंत्रीजी जो किसानों की परेशानियों को जानते हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि किसानों के ऊपर जो यह संकट है, उनकी परेशानियां हैं, धारा १६ में जो उन पर संकट है उसको दूर करेंगे जिससे कि किसान उस जमीन को अपनी समझ कर उसमें विकास करे, उस जमीन की तरक्की करे। इस संकट को दूर करने से किसान समझेगा कि यह जमीन मेरी है और इस तरह वह उस जमीन की ज्यादा से ज्यादा तरक्की करने की कोशिश

(श्री मोहरसिंह)

करेगा। तो धारा १६ के तहत इन्तकाल जल्दी से जल्दी चढ़ा देना चाहिये।

इसके बाद मेरा एक कटौती प्रस्ताव और है, गंगानगर में कोलोनाइजेशन व कन्सोलिडेशन में होने वाली अनियमितताओं पर बहस करने के सम्बन्ध में।

जिस प्रकार भूखा आदमी रोटी चाहता है उसी तरह बारानी जमीन में किसान चाहता है कि हमारे यहां नहर का इन्तजाम हो। बीकानेर के महाराजा गंगासिंह 'गंग केनाल' लाये उस वक्त बीकानेर के किसान उनको धन्यवाद देते थे कि वे भागीरथ की तरह बन कर नहर लाये जो पूरा रकबा तो मुझे याद नहीं पर इतने लाख एकड़ जमीन को सैलाब करेगी। इसी तरह भाखरा बांध बना। पंजाब के सर छोटूराम और गंगासिंह ने नोहर, सूरतगढ़ व हनुमानगढ़ में इसका पानी आना चाहिये, इस प्रकार का विचार किया, इससे बीकानेर आबाद होगा, बीकानेर का किसान खुशहाल होगा। मुझे खुशी है कि हमें आजादी मिलने के बाद डेमोक्रेटिक हुकूमत के सामने यह नकशा आया और भाखरा आई पर अध्यक्ष महोदय, इसके आने के साथ साथ कुछ गड़बड़ियां और परेशानियां भी उन किसानों के लिये आईं जो साठ-साठ सत्तर—सत्तर वर्षों से लालायित दृष्टि से देख रहे थे कि कब नहर आयेगी और पीने के पानी का इन्तजाम होगा और पीने के पानी के साथ साथ सैलाब का, सिंचाई का इन्तजाम होगा। यह वे देख रहे थे कि भाखरा डेम आई। इसके साथ साथ कोलोनाइजेशन महकमा आया। किसान ने देखा कि ८० वर्ष से हर तरह की परेशानियां, तकलीफें उठा कर वह उस जमीन को रखे हुए हैं अब उस जमीन पर पानी फिरेगा, उसकी औलाद सुख पायेगी, वह आप कर रोटी खायेगा पर जिस दिन पानी आया, इस प्रकार की फांसियां रखी जाने लगी, उसके दावणा लगाया गया कि वह उस जमीन को छोड़ दे, कई प्रकार के कानून आये और उन कानूनों में यदि किसी प्रकार की कहीं खामी भी रह गई तो हमारे अफसर महानुभाव बैठे थे उन्होंने किसान के फांसी लगाई, जिस जमीन पर उस किसान को हकूक खातेदारी, मौरूसी हक मिला, ६५ के बाद यदि किसान कहीं गया, मिसाल के तौर पर १६५६ की तरह का कोई काल आ गया और किसान कमाने खाने के लिये कहीं बाहर चला गया या किसी पटवारी ने गिरदावरी में गड़बड़ कर दी उस गड़बड़ के कारण आज जिस किसान का ३०० बीघा जमीन पर कब्जा है उसे कहा जा रहा है कि ५० बीघा तुम रख लो और २५० बीघा छोड़ दो। राजस्व मंत्रीजी कह रहे हैं कि पानी आने पर कीमतें बढ़ेंगी। पर जहां भूमिहीन की व्याख्या रखी गई है वे मुझे बतायें कि दो बीघा जमीन जिसके पास है उसे भूमिहीन मान कर जमीन दी है? नहीं दी। आज वह दर बदर हो रहा है। जिसके पास २ बीघा या ४, ५ बीघा जमीन है और पच्चीस—तीस आदमियों का कुनबा है, कैसे उसका काम चल सकता है? मैं इस चीज के लिये काफी देर तक कह सकता हूं। वहां जो अनकमान्ड जमीन है उसको कमान्ड में बदल दिया गया है, टीबे हैं उस जमीन को नहरी में दर्ज कर दिया है, इसका नतीजा यह है कि अनकमान्ड को कमान्ड दर्ज

(श्री मोहरसिंह)

कर के टैक्स बढ़ा दिये, इससे वे लोग दुखी हैं। कोलोनाइजेशन में गड़बड़ियां होने के कारण आज किसान दुखी हैं। किसानों ने ढाई--ढाई, तीन--तीन हजार रुपया लगा कर मोगा बनाया। तुमने यह मोगा बनाया है इसको खत्म कर दो अब गवर्नमेंट इसको डील करेगी जो चीज़ उसने ५ हजार रुपया लगा कर बनाई उसके लिये आज उसको यह कहा जाता है कि यह नक्शे में ठीक नहीं आती है इसलिये इसको छोड़ दो। समझ में नहीं आता कि किसानों को इस तरह से क्यों परेशान किया जाता है? इसी तरह से काश्तकार लोग अपना पैसा लगा कर, मेहनत करके जिस जमीन को तैयार करते हैं और अब सरकार चाहती है उनसे उस जमीन को छीन लेती है और उन किसानों को बेदखल कर देती है। इसी तरह से जो लोग पुराने समय से जमीन को काश्त करते आ रहे हैं उनकी जमीन को उनसे छीन कर दूसरे लोगों को देती है और उनके साथ असमानता का बर्ताव करती है। इन सारी बातों को पूर्ण रूप से देख कर मैं समझता हूं कि महकमा कोलोनाइजेशन इसकी तरफ ध्यान देगा।

अब कन्सोलिडेशन......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं जल्दी ही कर रहा हूं। इसमें भी हम देखते हैं कि जिन काश्तकारों ने जमीन को अपनी मेहनत और मजदूरी से तैयार की और आज उसमें काफी पैदावार हो सकती है और आज मारकेट में एक हजार रुपये की कीमत है तो वह जमीन उन लोगों से छीन कर दूसरे लोगों को बसा देते हैं और जो गंदी जमीन है वह उनको दे देते हैं। मैं समझता हूँ कि फिर वह उसी जमीन को जो गदी है और कम उपजाऊ है उसको तीन वर्ष तक मेहनत करके ठीक करें। जब यह तीन वर्ष तक उस जमीन को ठीक करता है तो उसके बाद उसको कहा जाता है कि यह जमीन तुमको नहीं मिलेगी, तुमको कहीं दूसरी जमीन मिलेगी। तुम इस जमीन को छोड़ कर चले जाओ। मैं यह निवेदन करूंगा कि किस तरह से काश्तकार गवर्नमेंट पर विश्वास करे।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इन सारी चीजों का असर प्रोडक्शन पर बहुत भारी पड़ता है। अनाज की उपज पर इसका असर पड़ता है, आम देश की प्रोडक्शन पर इसका असर पड़ता है और किसानों की खुशहाली पर भी इसका बहुत बड़ा भारी असर पड़ता है।

इसके साथ साथ मैं एक मिनट में तीसरा मेरा कट मोशन है गिरदावरी में होने वाली अव्यवस्था पर इस पर कुछ कहूंगा। गिरदावरी किसानों के लिये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तो कहा करता हूं कि किसानों के लिये सबसे ज्यादा जरूरी चीज़ अगर कोई है तो वह गिरदावरी है। इसलिये इस संबन्ध में किसानों के लिये सबसे बड़ा अहलकार है तो वह पटवारी है। आप उस पटवारी को पटवारी मत कहिये, वह तो किसानों का ईश्वर है। उसको किसानों का ईश्वर कहिये, किसानों का खुदा कहिये, उसको किसानों का रसूल कहिये, किसानों के लिये जो कुछ है वह पटवारी ही है। अगर पटवारी न चाहे तो किसान खुशहाल कैसे बन सकता है? गिरदावरी करने के लिये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री

(श्री मोहरसिंह)

कहते हैं कि हमने सरपंच को इसके लिये अधिकार दिये हैं। मैं यह कहूंगा कि गिरदावरी किस प्रकार होती है? आप देखेंगे कि एक पटवारी गांव में अपने घर पर बैठा है और खेत की गिरदावरी हो रही है। जब वह अपने घर पर बैठे बैठे गिरदावरी कराता है तो वह कैसे ठीक हो सकती है? इसलिये राजस्व मंत्री को यह भी तसलीम करना चाहिये कि पटवारी अगर ऐसा करता है तो उचित नहीं है। मगर आप देखते हैं कि पटवारी जब कुछ भी लिख देता है तो उसके अनुसार बड़े बड़े फैसले आप उसके लिखे के आधार पर कर देते हैं। इसलिये इन सब के जिम्मेदार राजस्व मंत्री हैं। यदि पटवारी इस प्रकार की हरकतें करता है और राजस्व मंत्री अपने आप को अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं कर सकते। इस संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। अगर गांवों मे मौके पर गिरदावरी हो और गिरदावरी तो होती ही है मगर होता क्या है कि जिस समय गिरदावरी होती है उस समय उसके पर्चे नहीं दिये जाते। अगर कहीं कोई अकाल होता है तो उसके लिये मौके पर गिरदावरी होती है तो होना यह चाहिये कि उसी समय मौके पर उस काश्तकार को स्लिप दे दी जावे और उसके दस्तखत करा लिये जावें। अगर ऐसा होगा तो बहुत से बड़े बड़े झगड़े होते हैं वे बच जावेंगे। होता यह है कि आम तौर से पटवारी गिरदावरी की स्लिप को दो तीन महीने तक दबाये रखते हैं। दो, तीन, महीने ही नहीं बल्कि कभी कभी दो, दो, तीन, तीन साल तक नहीं देते और किसान उन रसीदों से मुस्तसना रह जाता है और नतीजा यह होता है कि दूसरे साल आपस में झगड़े होते हैं। इस सिलसिले में कई झगड़े हुए हैं। राजस्व मंत्री खुद अगर चाहें तो जांच कर लें और मैं उनको साबित करा सकता हूं। गिरदावरी की स्लिपे नहीं दी गई और उसका नतीजा क्या हुआ मैंने देखा हैं। एक मुकनसिंह ठाकुर ने एक खेत बोया। मगर गिरदावरी उसके नाम नहीं हुई। दूसरे खेत वाले ने दोनों खेत काट लिये। कुछ आदमियों ने जिनके हाथ में सत्ता थी उनकी मदद लेकर तहसीलदार और पंच भी उनमें मिल गये। उन्होंने गिरदावरी उसके नाम नहीं होने दी और दूसरे आदमी के नाम करा दी, और उस खेत को रातों रात काट कर ले जाया जाता है। उसने पुलिस में जाकर कहा। पुलिस ने कहा कि तुम्हारे नाम की गिरदावरी दी हो तो लाओ। उसने जाकर पटवारी से कहा पटवारी साहब मेरी गिरदावरी की स्लिप दें। पटवारी कहता है कि पिछले साल उसके नाम वह खेत नहीं है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि किसान को आपसी झगड़ों से बचाने के लिये और सुखी बनाने के लिये यह जरूरी है कि गिरदावरी मौके पर हो और साथ साथ उसी वक्त गिरदावरी के पर्चे दे दिये जावें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, अंत में इन शब्दों के साथ मैं अपने तीनों कटौती के प्रस्तावों को प्रस्तुत करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि राजस्व मंत्री इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और कट मोशन की मंशा को समझ कर, किसान-हृदय की जो यह आवाज़ है उसको

(श्री मोहरसिंह)

महसूस करेंगे और किसान को जो तकलीफें इस समय हो रही हैं उनको दूर करेंगे ।

श्री नाथूलाल करोल (लालसोट—सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व में मेरे भी दो कटौती के प्रस्ताव हैं । एक है पटवारियों का काश्तकारों के साथ किस प्रकार का संबन्ध हो और दूसरा तहसील लालसोट में लगान ज्यादा है इस पर बहस करने के लिये ।

सबसे पहले मैं लालसोट तहसील का जिक्र करूंगा ! लालसोट तहसील में काश्तकारों पर लगान आज तक बहुत ज्यादा है और वह राजाओं के जमाने से है । यहां जिस समय जयपुर गवर्नमेंट थी उस वक्त लालसोट तहसील में सेटलमेंट हुआ था और वहां पर ज्यादातर जागीरदारों के गांव ही थे, खालसा के तो ४०, ४२ ही गांव थे बाकी सब जागीरदारों के गांव थे । उस समय जागीरदारों ने क्या किया कि अपने मुआवजे के लिये जो सेटलमेंट हुआ उसमें बहुत ज्यादा रेट दर्ज करा दी और ज्यादा रेट्स होने से काश्तकार इतने दबे हुए हैं कि वे उठ नहीं सकते । लालसोट का एरिया आदिवासी एरिया है और वहां पर ६५ प्रतिशत आदिवासी लोग रहते हैं यहां तक मैं आपको बताऊं कि वहां पर रेट्स बहुत ज्यादा हैं जब कि सांगानेर और बस्सी जहां की जमीन एक सी है और पैदावार भी एक ही तरह की होती है । जब दोनों जगह की जमीन एक सी ही है तो इनके साथ ऐसा व्यवहार करना क्या उचित है ? लालसोट में चाही के लगान की दर १०)रु० है तो सांगानेर और बस्सी में ७) रुपये और कुछ पैसे हैं । इसलिये मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि लालसोट में री–सेटलमेंट होना चाहिये । यह रेट बहुत भारी है । इसके आगे अब आया सरचार्ज । अगर रेट यही रही और सरचार्ज भी अब देना होगा तो किसानों को बहुत परेशानी होगी । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि लालसोट जो आदिवासी एरिया है उसका री–सेटलमेंट होना चाहिये और नहीं तो बस्सी और सांगानेर में अभी सेटलमेंट हुआ है उसके अनुसार उनकी रेट तय होनी चाहिये ।

दूसरी बात पटवारियों के लिये है । पटवारियों के संबन्ध काश्तकारों के साथ कैसे होने चाहिये, इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि मौजूदा समय में पटवारियों के संबन्ध इतने खराब हैं और निहायत खराब हैं । हर माननीय सदस्य जानते होंगे और जान सकते हैं कि पटवारी के संबंध हमेशा काश्तकार के साथ खराब रहते आते हैं । क्योंकि पटवारी की तनख्वाह कम होती है । इसके अलावा पटवारी ही नहीं उसके ऊपर जो इन्चार्ज होते हैं वे भी कुछ ठीक नहीं होते हैं । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जब कभी काश्तकार ज़मीन अलॉट के लिये पटवारी के पास जावे या तकाबी के लिये लिखवाने के लिये जावे या गिरदावरी के लिये जावे, वह पटवारी बगैर पैसा लिये एक भी काम नहीं करता है ; यह मैंने अच्छी तरह से अनुभव किया है और हर एक माननीय सदस्य भी यह जानता है कि यह बात सही है या नहीं । अब मैं यह निवेदन करूंगा कि एक पटवारी एक ही तहसील में पांच, पांच या सात-सात साल से एक ही हलके में पड़े रहते हैं । उन्होंने काश्तकारों पर अपना पूरा अड्डा जमा लिया है । उन्होंने क्या रवैया

(श्री नाथूलाल करोल)

बना लिया है कि राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत धारा ८४ के अनुसार काश्तकार अपनी खेत की जरूरत के लिये पेड़ काट सकता है। मगर यदि किसी काश्तकार ने पेड़ काट लिया तो पटवारीजी उसको परेशान करते हैं और उससे पैसे वसूल करने की कोशिश करते हैं। पटवारियों का यह रवैया है।

इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जब अलॉटमेंट होता है और इस साल भी अलॉटमेंट हुआ और गत वर्ष भी हुआ था, १६५६ में भी अलॉटमेंट हुआ, उस जमीन का कब्जा जल्दी से जल्दी दे दिया जाना चाहिये था। लेकिन अभी ५-६ महीने हो गये हैं अभी तक उनको कब्जा नहीं दिया है। यह ही नहीं कह सकता कि पटवारी ने ही नहीं दिया है लेकिन तहसीलदार का भी उसमें हाथ है। मैं आपके द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि इसके लिये प्रबन्ध करें।

एक बात और जाइन्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिये कहूंगा कि जोइन्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग कई ग्रामों में बनी है। जोइन्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग तहसील चाकसू में ग्राम साल ग्रामपुरा में भी बना है उसको अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है। मैं यह नहीं कह सकता कि इसकी क्या वजह है? अब तक उनको कब्जा दे देना चाहिये था या तो उनका गोलमाल हिसाब नहीं बैठा होगा या कुछ न कुछ इसमें रहस्य जरूर है। हल्का नं० ३५ तहसील चाकसू में जो पटवारी है उसका नाम लालचन्द है अब मैं उसके लिए कहता हूं। हरएक पंचायत क्षेत्र में, तहसील चाकसू में, ज़मीन काश्तकारों को अलॉट हुई है लेकिन आज तक कई काश्तकारों को उस ज़मीन का कब्जा नहीं दिया है। दामोदर का वास एक ग्राम है। वहां पर ६ काश्तकारों को ज़मीन अलॉट हुई है। मैं खुद अलॉटमेंट कमेटी में मौजूद था लेकिन वहां पर भी पटवारी ने अब तक किसानों को कब्जा नहीं दिया है। चार दिन पहले मेरे पास ये लोग आये थे और उन्होंने कहा था कि आज तक ज़मीन का कब्जा नहीं दिया है। कोट खाविंदा में भी ज़मीन अलॉट हुई है वहां भी ऐसा ही हाल है। केथून में जो पटवारी है उसका नाम चिरंजीवलाल है। वह काश्तकारों को हमेशा परेशान करता है। अलॉटमेंट के टाइम पर जो कुछ भी वहां पर हुआ वह हुआ उस समय मैं वहां पर अलॉटमेंट कमेटी में मौजूद नहीं था, केथून के किसानों के लिए चरागाह न छोड़ कर कोऑपरेटिव फार्मिंग में उस ज़मीन को दे दिया और बाद में तहसीलदार और वे बैठ कर उनके आपस में राजीनामा हुआ। इस तरह का पटवारियों का वहां पर रवैया है। चार-चार पांच-पांच साल से वहां पर पड़े हुए हैं जिससे वे काश्तकारों को बुरी तरह से कुचल रहे हैं। काश्तकार कुचले जा रहे हैं इसलिए मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें।

तहसील जयपुर ग्राम बगदाने का भी यही हाल है। पटवारी ने इस ग्राम के काश्तकारों को बहुत परेशान किया है। हरिजन काश्तकार हैं जो २००३ से काश्त करते आ रहे हैं। पटवारी लोगों ने, २००८,६ की गिरदावरी की स्लिप जोरावरसिंहजी तहसीलदार को दी हैं जो कहीं तहसीलदारी

(श्री नाथूलाल कोरल)

करते फिरते हैं, कहां रहते हैं। उन लोगों ने जयपुर में एस० डी० ओ० के यहां केस दायर किया और फैसला पटवारी और गिरदावरी के खिलाफ हुआ। फिर बाद में भी जयपुर के गिरदावर साहब और पटवारी ने मिल कर जोरावरसिंहजी के लड़कों के नाम पर वह जमीन कर दी। काश्तकारों के केसेज़ दायर हो रहे हैं। अब संवत् २०१६ की गिरदावरी की स्लिप दे दी है। मैंने काश्तकारों से पूछा कि स्लिप क्यों नहीं देते ? वे कहने लगे कि गिरदावर साहब सत्यनारायणजी हैं वे हम से २००) रुपये मांगते हैं। वे इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार हैं। आज हमारा राजस्व डिपार्टमेंट इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि जिसके पीछे राज्य चलता है। उसमें यह कितना भ्रष्टाचार चल रहा है यह तो कोई शोभा की बात नहीं है।

इतना कहते हुए मैंने दो कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं, एक तो लालसोट तहसील का री-सेटलमेंट के लिए मांग का है और दूसरा काश्तकारों के साथ पटवारियों का खराब व्यवहार चल रहा है उसको खत्म करने के लिये। माननीय राजस्व मंत्रीजी मेरे कटौती प्रस्तावों को मंजूर करेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैं यहां पर किसी कारणवश उपस्थित नहीं था। मेरे बाद में श्री मुरलीधर व्यास ने कुछ आरोप मेरे क्षेत्र के विषय में, तहसील उनियारा के जागीरदार के विषय में कहे। मैं उनका जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं। उन्होंने कहा कि उनियारा के जागीरदार ने काश्तकारों को बेदखल कर दिया है और कर रहे हैं और दूसरा यह कहा कि कानून की खामियों से बेदखल हो गये। तीसरी उन्होंने यह बात कही कि रावराजा के पास १७ हजार बीघा जमीन है और चौथा यह कहा कि किसानों का डेपुटेशन मेरे पास आया। उनमें से बहुत सी बातें मेरे परम मित्र राजस्व मंत्रीजी भी जानते हैं, उनके बारे में थोड़ा संक्षेप में कहूंगा। राजस्व मंत्रीजी जानते हैं कि रावराजा साहब के पास में, कब्जे में कितनी जमीन है। मेरे पास तो १७ हजार बीघा तो क्या १,७०० बीघा जमीन भी कब्जे में नहीं है। इस तरह से ढोंग मचाना, आयन्दा इलेक्शन के लिए मोहरा बनाना दूसरी बात है। हाऊस में तो वे ही तथ्य कहने चाहिये जो कि सही हों, सत्य हों। दूसरा कहा कानून की खामियों के कारण यह हुआ। माननीय राजस्व मंत्रीजी तो इतने लिबरल हैं कि कानून में अमेन्डमेन्ट किसानों के वास्ते करते ही जा रहे हैं। यदि जिनको इजेक्ट भी किया हो टिनेन्सी एक्ट में कम टाइम था तो दो, तीन साल का टाइम भी उन्होंने बढ़ा दिया। केवल यहां पर प्रोपेगेन्डा के लिए यह कहा गया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): '१७ हजार बीघा जमीन' सारे परिवार के लिए कहा था।

रावराजा श्री सरदारसिंह: तुम्हारे परिवार के लिए अभी जिक्र करूंगा।

श्री अध्यक्ष: वह नहीं करें तो ठीक है।

रावराजा श्री सरदारसिंह: एक भी उदाहरण उन्होंने नहीं बताया। यदि बताते

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

तो मुझे कहने में सहूलियत होती और माननीय राजस्व मंत्रीजी को भी तहकीकात करने में सहूलियत होती किन किन किसानों का किस किस साल में इजेक्टमेन्ट हुआ और इस वक्त भी क्या कोई केस रावराजा साहब और जागीरदार के खिलाफ कोर्ट में दिया है या अपील में है।

श्री मुरलीधर व्यास : पहले कब ये जमीन जोतते थे ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप तो इस सदन में अब आये हैं। सन् १६२० से मेरे फार्मिंग हो रहा है। तलाश करके जाकर देखते। जिस आदमी के लिए कहते हैं कि वह किसानों का डेपुटेशन लेकर गया। वह एक शख्स है और राजस्व मंत्रीजी भी जानते हैं। वह लादुराम है। न जन्म से वह काश्तकार है बकरियां चराता था, घर वालों ने उसको निकाल रखा है। लोग-बाग कहते हैं कि उस पर इतना कर्जा हो रहा है कि वह लुकता छिपता फिरता है। एक किसान की आड़ लेकर आपने कुछ कहा, कल मैं चला गया था, मैं अब तलाश करके आया हूं....

श्री मुरलीधर व्यास : वह जन्म से काश्तकार है या नहीं लेकिन रावराजा साहब कब से काश्तकार हैं ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : परिवार के अन्दर एक ठकुरानी बेवा ठाकुर कनवाड़ की दादीजी हैं, उनकी एक जमीन थी, कुआ था, वह अमरा महाजन को जोतने के लिए बता रखी थी। तो अमरा महाजन ने वरधा धाकड़ को बता दिया तो बेवा ने कहा कि मैंने तो तुझे बताया था, या तो तुम जाओ, तीसरे को क्यों बताते हो ? उसके बाद बेवा ने जाली बना कर श्वसुर की तरफ से रुक्का लिख दिया। अदालत में वह केस चल रहा है। सबजुडिस है मामला। उसके बाद में ये कहते हैं कि वे गये। वहां सोशलिस्ट पार्टी के हैं जिनके नाम ये हैं....

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : ये कटौती प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं या नया कटौती प्रस्ताव रखा है इन्होंने ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपना स्पष्टीकरण कर दीजिये।

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो कहता हूँ....

(व्यवधान)

रावराजा श्री सरदारसिंह : उन्होंने मीटिंग की और वापिस आये, वरधा धाकड़ से ७००) रु० लेकर आये। उसको कहा कि मुझे ७००) रु० दो। हम कलेक्टर को भी लावेंगे। २० फरवरी को वहां पर गये। ठकुरानी के आदमी काट रहे थे।

श्री मुरलीधर व्यास : कोई इसकी बात भी नहीं चली। मैं तो इतना ही कह

Page No.57

(श्री मुरलीधर व्यास)

रहा था कि १७ हजार बीघा जमीन रावराजा साहब के पास में है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपकी तरफ से स्पष्टीकरण काफी हो गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : असल मुद्दे की बात तो आई नहीं। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जब ठकुरानी के आदमी खलिहान लगा रहे थे सोशलिस्ट पार्टी के २७ आदमियों को लेकर आये जिसमें कुछ तो टौंक के रहने-वाले थे, उनके भाई थे। इसके लिये आवां से पुलिस आयी, एस० डी० एम० लेकर आये, उन पर डकैती का दावा किया गया, उसकी केसबन्दी करने के लिये कहा गया और मुरलीधर व्यास आते हैं और कहते हैं....

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने व्यक्तिगत नाम कहीं नहीं लिया, मैंने कहा यह था कि उनियारा के जागीरदार साहब के पास १७ हजार बीघा जमीन है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : 'उनियारा जागीरदार' से कौन नहीं जानता ? नाम नहीं लिया तो मतलब तो मुझसे ही था।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में आप काफी कह चुके, अब जल्दी समाप्त कर दें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे किसी सदस्य की इज्जत में फर्क आवे। मुझे माननीय सदस्य ने कहा था कि मुझे १००–२०० बीघा जमीन दिला दो....

श्री अध्यक्ष : वैसे आपके पास सतरह हज़ार बीघा है, सभी को मांगते होंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय सदस्य क्या फरमा रहे हैं ? किसने आपसे ज़मीन मांगी ? आप यह तो बता दीजिये, किसने मांगी ?

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : उन्होंने तो कह दिया।

श्री मुरलीधर व्यास : किसके लिये कहा ?

श्री सोहनलाल भटनागर : आपके लिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या आपने मुझ से नहीं कहा कि मुझे आप जमीन नहीं दिलाते हो तो मैं जरूर कहूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : बहुत अच्छी बात है, इस प्रकार की बातें तो आपने कीं। यह ठीक रास्ता अपनी बात उड़ाने के लिये निकाला है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब जानते हैं। जिस व्यक्ति के लिये कहा गया उसको वे जानते हैं। उसको लेकर कितने काश्तकार आ गये। अध्यक्ष महोदय, मैं सच अर्ज करता हूं मेरे क्षेत्र में मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। यदि तकलीफ देता तो दुबारा

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

चुनाव में नहीं आ सकता था। आप भी खड़े होकर देख लीजिये....

श्री मुरलीधर व्यास : आपने एक लाख रुपया खर्च किया है, मेरे पास नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : एक लाख रुपया आप साबित तो कर दें। मैं और बातें भी निवेदन कर सकता हूं लेकिन सदन की परम्परा जो है उसके लिये मेरे मुंह से कहना शोभा नहीं देता, मेरी जुबान से अच्छा नहीं लगता है।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरे नाम का उल्लेख किया है। ये बहुत रामराज्य वाले बनते हैं, बहुत धार्मिक बनते हैं, आप धर्म के नाम से यह कह दें कि मुरलीधर व्यास ने इस बारे में बात की थी?

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने तो कई दफा मुझसे कहा....

श्री मुरलीधर व्यास : आपने मुझे यह नहीं कहा कि आप इस चीज़ को उठाओ मत, मैं आपको जमीन दिला दूंगा?

श्री अध्यक्ष : अब काफी स्पष्टीकरण हो गया है दोनों की तरफ से, अब आपका भाषण समाप्त हो गया।

एक माननीय सदस्य : अब बात कुछ बनी है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

१.४४. म० प०

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व में १) रुपये की कटौती की जाय (जमीदारों और बिस्वेदारों द्वारा अपनी संपत्ति संबन्धी सूचना देने में सरकार द्वारा सहयोग न दिये जाने पर बहस करने हेतु)

यह तो निश्चित बात है कि हम लोगों ने इस सदन में बैठ कर जिस प्रकार जागीरदारी प्रथा का अन्त किया उसी प्रकार जमीदारी और बिस्वेदारी भी समाप्त की। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूं जैसी कि आम नीति है हमने अपने देश के अन्दर जागीरदारियां, जमीदारियां खत्म की हैं उसके उपरान्त भी जो जागीरदार, जमीदार या बिस्वेदार हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिये पूरी पूरी व्यवस्था की है। मैं जिस जगह का जिक्र कर रहा हूं वह है भरतपुर और अलवर का इलाका जहां पर बिस्वेदारी और जमीदारी समाप्त करने के बाद जो कुछ कठिनाइयां उन लोगों के सामने आयीं उन कठिनाइयों को सुलझाने में सरकार द्वारा सहयोग और सहायता जो देनी चाहिये वह नहीं दी गई, उसी पर मैं कुछ निवेदन कर रहा हूं। हम लोग सब जानते हैं कि हमारे यहां जमीदारी शब्द तो बहुत बड़ा लगता है लेकिन वास्तव में देखा जाय तो जमीदारी हमारे यहां है नहीं। जो जमीदारी यू० पी०, बिहार, बंगाल और पंजाब में है वैसी जमीदारी हमारे इलाके में नहीं है और मैं समझता हूं सारे राजस्थान में भी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

नहीं है। जहां तक भरतपुर-अलवर के जमीदारों का सम्बन्ध है उसमें १०० बीघा, २०० बीघा इसके साथ २ और पांच बीघा वाले भी जमीदार कहलाते हैं और जब हमने इनकी समाप्ति का कानून पास किया तो उसमें २, ४, ५, बीघा तक वाले भी आ गये। इसके बाद जब कानून का असली रूप सामने आया तो उनकी दशा बड़ी दयनीय मालूम हुई। बतलाया गया कि हमारे राजपत्र के अन्दर यह सूचना निकली है और उसमें एक महीने का समय दिया गया है उसके अन्दर अन्दर जिन लोगों की जमीदारी समाप्त होने जा रही है वे अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा सारा लिख कर दें। मुझे मालूम है उसमें एक महीने का नोटिस था इस अवधि में किसी भी जमीदार को यह पता नहीं चला, आखिर कुछ पढ़े लिखे जमीदार भी हैं जिनके पास वकील भी हैं उन लोगों का ध्यान गया और वे दौड़े दौड़े मेरा ख्याल है रेवेन्यू मिनिस्टर साहब तक भी आये उसके बाद जहां तक मुझे स्मरण है एक महीने की मियाद और बढ़ायी गई। उस महीने में जाकर कुछ लोगों को पता पड़ा कि हमें अपनी सम्पत्ति का विवरण देना है। उसका फॉर्म मैंने देखा, पहले तो ऐसा कहा गया कि वह अंग्रेजी में है उसके बाद यह बताया गया इसके साथ साथ हिन्दी में भी दिया गया और वह भी करीब फुलस्केप साइज़ के सात पेजों में था। सूचनायें जो मांगी गई थीं उनको मैंने पढ़कर देखा है और मैं कह सकता हूं कि उस फॉर्म में जो पर्टीकुलर्स मांगे हैं साधारण ग्रेजुएट तो उसको भर नहीं सकता और मैं तो यह भी कह सकता हूं नया निकला हुआ लॉ ग्रेजुएट भी उसको अच्छी तरह से नहीं भर सकता। फिर मुझे बतलाया गया कि इसमें भी एक ही महीने का समय है, इसको छपवायेंगे, उसके बाद वकीलों के पास जायेंगे तब जाकर कहीं भरे जा सकेंगे और वकील लोग एक एक से २५ रुपया वसूल करते हैं। इससे लोगों में काफी असन्तोष रहा, इसके बारे में अलवर और भरतपुर के लोगों में काफी असन्तोष रहा बहुत पुराने कांग्रेसी भी इस विचार के हो गये और उनके दिमाग में उलझनें आ गई वे कहने लगे कि यह तो अत्याचार हो रहा है, १५–२० दिन की ही मियाद रह गई। मैंने ये बातें जाकर कलेक्टर साहब से कही, मैंने उनसे कहा कि आपको उनकी मदद करनी चाहिये। पटवारी पैसा मांगता है उसमें जो वांछित सूचना है वह पटवारी के बिना पूरी नहीं हो सकती। कलेक्टर साहब ने इतना उत्तर दिया, इसके लिये एक और अधिकारी रखा जा रहा है। मैंने कहा यह तो आपका काम है। इससे कुछ ज्यादा नहीं हुआ। इसके बाद में वहां भी वह महीना करीब करीब खत्म होने को आया तो इसके बाद में एक महीने की मयाद और बढ़ाई। मतलब यह कि काफी परेशानी हो चुकी, काफी पैसा वे खर्च कर चुके और लोगों के दिमाग में एक हमारे कानून से जो आशाएं लग गई थीं पर केवल हमारे द्वारा उन कानूनों पर अमल ठीक तौर से न होने से उनके दिमाग में जो सन्देह की भावना का उदय होना था वह हो चुका, तब आपका यह ऑर्डर निकला।

जहां तक मैं समझता हूं पटवारी के पास यह सब रेकॉर्ड होता है और वही बतावेगा। लोग इसी दुविधा में रहे। पर जब हमारे मन्त्री–मण्डल की बैठक वहां हुई तो उस

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

वक्त भी यह चीज़ उनके सामने रक्खी गई और तब बतलाया गया कि कुछ सहूलियतें दी गई हैं । लोग तो यह समझते हैं कि हमारा कितना एरिया है और हमें कितना लगान देना पड़ता है, बाकी की सूचनाएं वे समझते हैं कि पटवारी और तहसीलदार जानते हैं वे दे देंगे और पटवारी और तहसीलदारों ने यह अच्छा मौका देखा लोगों को हैरान करने का और अपनी जेबें भरने का, जैसा कि पटवारी के बारे में आम तौर पर कहा जाता है और यह सही बात है ।

तो यह एक ऐसी चीज़ रही । आखिर आपने किया वही जो आपको पहले कर लेना था । इसके साथ साथ आप यह भी समझा देते कि कोई बात नहीं, यह काम आप तीन तीन महीने में या छः छः महीने में पूरी कर लें । इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला था । आप हर गांव में तहसील में मुनादी करवाते, प्रचार करवाते, जो कि आखिर में आपने किया भी । पर किया तब जब कि लोग पूरे हैरान हो चुके थे, काफी लुट चुके थे और बहुत सा पैसा वकीलों की जेब में भर चुके थे ।

मैं इस कटौती के प्रस्ताव द्वारा इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो आप कानून बनावें और खास तौर से उस किसान वर्ग के लिये जो कानून बनावें जिसमें शिक्षा का पूरा प्रचार नहीं है, जो आपके राजपत्र को नहीं पढ़ते और कानूनों से वाकिफ नहीं हैं, बड़े बड़े जमीदार तो अपने वकील भी रख सकते हैं, पर जैसा बतलाया गया दो दो और चार चार बीघा जमीन वालों को भी हिसाब पूरा देना पड़ेगा । तो मैं समझता हूं हमारी राज्य सरकार जहां कानून बनाती है वहां आज के जमाने को देखते हुए और इस वर्ग का ध्यान रखते हुए यह बहुत उपयुक्त होता है कि उन कानूनों के अमल के वक्त व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप देख लें ताकि उनके अमल में कठिनाई न हो और लोग सहूलियत के साथ उनका पालन कर सकें, नहीं तो कानून के हितकारी होते हुए भी अमल में कुछ ऐसी चीजों के होने से जनता में अच्छी भावना फैलने के बजाय उलटी भावना आपके कानून के बारे में फैलती है ।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह ।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, इस कटौती प्रस्ताव के जरिये मैं राजस्व मन्त्री महोदय का ध्यान एक बार और झुंझुनूं जिले का जो रीसेटलमेंट टाइम पर नहीं हुआ, उससे होने वाली परिस्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

हमें यह देखना होगा कि आखिर इसकी बार बार क्यों मांग की जा रही है । झुंझुनूं का सेटलमेंट सं० १६६० में शुरू हुआ । ६८ में पर्चे मिले । दस साल बाद सं० २००८ में दुबारा होने को था क्योंकि वह दस साल के लिये था । उस वक्त का कानून भी यही था । इसके लिये बार बार मांग की गई पर यह जवाब मिला कि इस समय सेटलमेंट करना किसान के लिये मौजू नहीं होगा और दूसरी बात यह कही कि यह बीस साल के लिये है । अभी ड्यू नहीं हुआ है ।

पर जहां तक मेरा ख्याल है पहली दलील उनकी ठीक नहीं थी । अन-इकोनो-

(श्री शिवनाथसिंह)

मिकल होने की बात जो किसानों के हित में उन्होंने कही ऐसा नहीं था। यह आपके ही महकमे के रेकॉर्ड से गलत साबित होता है।

बसोतिया और परसरामपुरा का उदाहरण मैं इसके पक्ष में देता हूं। इनका सेटलमेंट उस समय हुआ था। पर चूंकि वे शेखावाटी से आ गये थे तो उनकी रेन्ट रेट्स पुरानी रेन्ट रेट्स से बिल्कुल भिन्न हैं। आज उनकी रेन्ट रेट्स बहुत कम हैं और उनको फायदा है। फिर यह किस आधार पर आप फरमा रहे हैं कि यह सेटलमेंट करना अनइकोनोमिकल था। मेरी तो यह समझ में नहीं आता। अब बन्दोबस्त का हिसाब आप ५९ पर लगाते हैं। इसमें पुरानी रेटों से दस गुना फर्क है। पहले जागीरों के समय यह हुआ था। उसमें उन का स्वार्थ निहित था इसलिये किसान को मजबूर होकर उन रेटों को मन्जूर करना पड़ा था।

दूसरी बात कही गई बीस साल की। मेरी जानकारी में जो है उस पर से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कानून उस समय था वह दस साल के लिये बना था। दस साल में ही उसकी अवधि समाप्त होती है। अगर उस समय रीसेटलमेंट हो जाता तो आज किसान पर इतना अधिक लगान का बोझा नहीं पड़ता। आज बीस साल की अवधि उस पर लागू होगी जो अब बनेगा।

अब जिन परिस्थितियों में वह सेटलमेंट हुआ था वह भी मैं आपको थोड़ा बता दूं। १९६० में स्थिति यह थी कि वह जागीरदारों के बोलबाले का जमाना था, स्टेट का समय था और झुंझुनूं जिला पूरा का पूरा जागीरदारी इलाके से घिरा था। वहां एक भी गांव खालसे का नहीं था। किसानों के सामने किसी भी कीमत पर अपनी जमीन पर टिके रहने की समस्या थी। बेदखल होने के बजाय किसी हालत में जमीन पर जमे रहना उन्होंने अधिक उपयुक्त समझा। तो उस समय जैसे नियम आज बने हुए हैं वैसे नियम भी नहीं बने हुए थे कि जिससे उनको कोई राहत मिलती। अब हालांकि लगान की रेट ऊंची थी जिसके लिये आन्दोलन भी किया उन्होंने, पर स्टेट का समय था जागीरदारों की चलती थी, उनका आन्दोलन नहीं चला उनको मजबूरन वे रेटें माननी पड़ीं जमीन पर काबिज बने रहने के खातिर किसी तरह से। मैं मानता हूं कि राजस्थान बनने के बाद उनके हित के कानून बने, पर शेखावटी का काश्तकार आज भी यही महसूस करता है कि वे कानून आज भी उनके लिये केवल किताबों में हैं। प्रेक्टिकल रूप में उनसे उनको फायदा नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है। यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

१. ५५ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

खुदकाश्त के टीनेन्ट को खातेदारी अधिकार दिये हैं। उसके मुआवजे में १५ गुना बारानी पर और ३० गुना चाही पर आप जागीरदार को मुआवजा दे रहे हैं। तो इसमें ६८ में बन्दोबस्त हुआ था जिस वक्त कि स्टेट का जमाना था। जागीरदारों ने उस वक्त में अपनी मनचाही इच्छा से और तरीकों से रेकॉर्ड बनवाये थे। हमारे यहां का पचास पर्सेन्ट

(श्री शिवनाथसिंह)

इलाका ऐसा है जो खुद काश्त में दर्ज है। उस एरिया को जागीरदार ने पूरा देखा तक नहीं होगा, काश्त करने का तो सवाल ही दूर रहा पर चूंकि उस वक्त उनका बोल-बोला था उस सारी जमीन को अपने नाम, अपने घर वालों के नाम, कामदारों के नाम यहां तक कि नौकरों के नाम खुद–काश्त में दर्ज करवाया और आज ऐसी खुद–काश्त की जमीन पर, जिस पर किसान पिछले पचास पचास, साठ साठ सालों से काश्त करता आया, पर चूंकि उसका नाम दर्ज नहीं था रेकॉर्ड में, जागीरदार पन्द्रह–पन्द्रह गुना और तीस-तीस गुना मुआवजा ले रहा है। यदि सं० २००८ में रीसेटलमेंट हो जाता तो ये तमाम रेकॉर्ड दुरुस्त हो सकते थे और इस तरह से काश्तकारों को फायदा मिल सकता था। ऐसा नहीं करने से उन जमीनों के खुदकाश्त जागीरदार बने बैठे हैं रेकॉर्ड में और उसके आधार पर बड़ा बड़ा मुआवजा आज उनको देना पड़ रहा है।

इसका दूना भार आज उन किसानों पर पड़ रहा है और जो गलती उस समय की, उसका और भी जुरमाना उनको आज देना पड़ रहा है। उन रेकॉर्डस के आधार पर उनकी रेंट रेट्स पहले से ही बहुत अधिक थी। अब उसी के आधार पर उन पर सरचार्ज लगाया जा रहा है। इसका भी उल्टा असर उन पर पड़ेगा। पहले तो ऊंची रेंट रेटस दे रहे हैं और अब उस बढ़ी हुई रेंट रेट के आधार पर सरचार्ज देना पड़ेगा। आपने पचास की लिमिट रक्खी पर बढ़ी हुई रेंट रेट्स के आधार पर वहां के ७५ फी सदी किसान इसकी लपेट में आवेंगे। यदि उस समय रीसेटलमेंट हो जाता तो किसान पर यह दोहरी मार नहीं पड़ती और सरकार को भी मुआवजे के रूप में जो आज अधिक रकम देनी पड़ रही है वह नहीं देनी पड़ती। इस तरह से पूरा पूरा ध्यान दिलाने के बावजूद भी शेखावाटी का किसान आज इन राजस्व मंत्रीजी को क्यों नहीं राजी कर सका है। मुझे फिर भी विश्वास है कि इतना ध्यान दिलाने पर भी उन किसानों के लिये वे कुछ करेंगे नहीं, पर फिर भी अपना फर्ज समझ कर मैं उन बातों को दोहराता हूं। हो सकता है कभी राजस्व मंत्रीजी राजी हो जावें तो हमारे पर बहुत बड़ी उनकी कृपा होगी और इसके लिये अपने आपको सौभाग्यशाली समझूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव नम्बर ४३ से ५१ तक हैं।

यह सही है कि राजस्थान में काफी प्रगतिशील कानून बने हैं। पर उनका इम्प्ली-मेन्टेशन देखें तो निराशा होती है। हम क्षेत्रों में जाते हैं और पास हुए कानून किसानों को बताते हैं तो किसान प्रसन्न होता है। पर इसके बाद इम्प्लीमेन्टेशन के बारे में देखते हैं तो बहुत ही दुख का वातावरण पाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के नेक इरादे होने के बावजूद भी जो मशीनरी सरकार की है, वह इसके लिये बिलकुल फिट नहीं है। इसके लिये मैं निवेदन करना

(श्री सोहनलाल भटनागर)

चाहूंगा कि इस मशीनरी को हमें रिआर्गेनाइज़ करना होगा ताकि जो कुछ आपने कानून में पास किया है उसे अमल में लाया जावे। मेरा जो पहला कटमोशन है वह जागीरदारों द्वारा किये गये पट्टों में दर्ज अधिक लगान लेने व सेंक्शन्ड रेन्ट रेट्स के अनुसार लगान नहीं लेने पर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कि जागीरें समाप्त हो रही हैं उसके पूर्व जागीरदारों ने कई लाख बीघा जमीन पट्टे दिये और जो लगान की दरें थीं वह सेंक्शन रेन्ट रेट्स से कई गुना कर दी थी और जब उन्होंने मुआवजा लिया तो मुआवजे में रकम है सेंक्शन रेन्ट रेट्स के अलावा जो कि पट्टों में ज्यादा लगान की दरें दर्ज थीं उनके माफिक मुआवजा ले लिया। तो जो दफा ६६ है उसमें स्पष्ट है कि किसी टीनेन्ट से सेंक्शन रेन्ट रेट से ज्यादा लगान नहीं ले सकते। इस दृष्टिकोण से काफी समय हो चुका है और जो नियम पास किये गये हैं उनका पालन होना चाहिए और सेंक्शन्ड रेन्ट रेट से ज्यादा लगान नहीं लेना चाहिए।

२ म० प०

दूसरा कटौती का प्रस्ताव मेरा लम्बरदारों के बारे में है। हमारे यहां पर लम्बरदारी की प्रथा है और इसके ऊपर कई बार सदन में चर्चा हो चुकी है। ऐसा एक बार सोचा जाता था कि यह प्रथा खत्म की जायेगी लेकिन हमें ऐसा मालूम हो रहा है कि वह समाप्त नहीं की जा रही है। अगर यह प्रथा खत्म की जा रह है तो यह जरूर हो जाता है कि जो काश्तकार लम्बरदारी का कार्य कर रहे हैं उनको मुआवजा बराबर दिया जाये और जिन गांवों में खालसा की व्यवस्था थी वहां तो मुआवजा मिल गया है लेकिन जो जागीरदारी क्षेत्र के गांव में और उनमें लम्बरदार हैं उनको मुआवजा नहीं मिला है वह मिलना चाहिए। इसलिए मैंने माननीय राजस्व मंत्री महोदय का इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया है।

मेरा तीसरा कटमोशन आबादी की भूमि के बारे में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह प्रावधान किया है कि टिनेन्सी एक्ट की दफा ३१ के अन्तर्गत कि काश्तकारों को मुफ्त में आबादी के लिए गांवों में जमीन दी जायेगी। लेकिन इसके बारे में किसानों की दिक्कतों को देखें तो मालूम होगा कि जो गांव में काश्तकार हैं उनको आबादी के लिए भूमि बिल्कुल नहीं मिल रही है। क्योंकि आज गांवों में भी आबादी का प्रेशर बढ़ रहा है और खास तौर से उन क्षेत्रों में जहां कि होल्डिंग बहुत छोटे छोटे हैं और जहां गांव में भूमि बहुत कम थी वहां दो-चार साल से काश्तकार आबादी के लिए जमीन लेना चाह रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल रही है। इसके लिए नियम को बहुत ही कड़ा कर दिया गया है। तो मैं राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बहुत जरूरी है कि जो किसान हैं वे अपनी भूमि को आबादी में परिवर्तित इसलिए नहीं करें कि उससे आबादी फैले लेकिन यह आवश्यक हो जाता है कि जो जरूरतमन्द किसान हैं उनको तो आबादी के लिए जमीन उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए जो आबादी संबंधी दिक्कतें हैं वे दूर की जायें।

चौथा कटमोशन मेरा खाता रद्दोबदली के बारे में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री सोहनलाल भटनागर)

खाता रद्दोबदली किसानों से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखने वाला मामला है। इसके अन्दर पटवारी लोग काफी भ्रष्टाचार करते थे और मुझे इस बात की खुशी है कि पंचायतों को इसके साथ लगाया गया है और सरपंचों को काफी अधिकार दिये गये हैं और इस नियम को निकले भी दो-तीन वर्ष हुए हैं लेकिन हर एक तहसील में हम जांच करें तो मालूम होगा कि हजारों की संख्या में खातों की रद्दोबदली नहीं हुई है क्योंकि जो पटवारी हैं वे पंचायतों के मातहत नहीं हैं। इसका नतीजा यह होता है कि किसान भटकते रहते हैं। कभी कभी देखा गया है कि सरपंच और पटवारी मिल जाते हैं और काफी गड़बड़ी करते हैं। अगर आप हर एक तहसील की जांच करायें तो हजारों की संख्या में ऐसे केसेज़ होंगे। इसलिए मैं आशा करता हूं कि जो खातों की रद्दोबदली के मामले नहीं हुए हैं उन पर शीघ्र कार्यवाही कराई जावे।

मेरा पांचवां कटमोशन लैण्ड युटीलाईजेशन एक्ट को काम में नहीं लेने के बारे में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें करीब ४ साल हुए लैण्ड यूटीलाइजेशन एक्ट को पास किए। यह एक्ट हमने इसलिए पास किया था कि अगर सीलिंग का कानून नहीं आये तो भी जिनके पास हजारों बीघा जमीन है तो लैंडलेस को जमीन देने के सिद्धान्त के अनुसार उनको जमीन दे दी जाये। इसका नियम बहुत देरी से आया, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि राजस्थान की जितनी भी तहसीलें हैं उनमें एक बीघा जमीन भी लैण्ड यूटीलाइजेशन एक्ट के तहत नहीं ली गई है जो कि लैंडलेस को दी गई हो। तो इसको देखते हुए लैण्ड यूटीलाइजेशन एक्ट को काम में लाया जाये।

मेरा छठा कटमोशन तालाब, नहरों और सड़कों के बारे में है। उसके बारे में निवेदन करना है कि तालाबों के अन्दर भी कई जमीनें डूब में आ जाती हैं। एक तरफ नहरों और सड़कों का निर्माण हो रहा है पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत। लेकिन उन जमीनों का मुआवजा देना तो दूर रहा, हर तहसील में हम देखते हैं कि डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट वाले, पी० डब्ल्यू० डी० वाले बिना किसी एक्वीज़ीशन के कार्य करने लग जाते हैं और कम्पन्सेशन देना तो दूर रहा उनसे लगान भी उस जमीन का लिया जा रहा है और लगान माफ नहीं किया जा रहा है। जब कि मंत्री मण्डल अभी अलग अलग जिलों में गया तो इसके लिए शिकायतें पेश की गई थी। मैं आशा करता हूँ कि जो जमीन उनसे ले ली गई है और तालाब की डूब में आ गई है और जिसका आज भी लगान लिया जा रहा है, उसके लिए कार्यवाही की जायेगी। मैं समझता हूं कि इस मामले में सख्ती की जायेगी और उनका जो लगान होगा वह माफ कर दिया जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सातवां कटमोशन पटवारियों की कम तनख्वाहों के बारे में है। यह बिलकुल सही है कि जो आज हमारे शासन का तंत्र है और लैण्ड रेवेन्यू सिस्टम है वह बिलकुल पटवारियों के ऊपर आश्रित है। हमने डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन कर दिया लेकिन जो गांव का किसान है उसकी जमीन के लिए और दूसरी बातों के लिए पटवारी की ओर देखना होता है। आज भी पटवारियों के अन्दर काफी अधिकार

Page No.65

(श्री सोहनलाल भटनागर)

निहित है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि पटवारियों की तनख्वाह को बढ़ाया जाये वर्ना जो उसकी आज तनख्वाह है वह बहुत कम है और कार्य उसके पास ज्यादा है। इसलिए उसमें भ्रष्टाचार होता है। आखिर वह सारा भार किसान के ऊपर ही पड़ता है इसलिए जरूरी हो जाता है कि उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाये और कम से कम एल० डी० सी० की तनख्वाह और पटवारी की तनख्वाह एक कर दी जाये।

दूसरी समस्यायें जो राजस्थान में सर्वव्यापी हैं वे हैं गवर्नमेंट लैंड के ऊपर इल्लीगल पजेशन के बारे में और इसी के लिए यह मेरा आठवां कटौती का प्रस्ताव है। इसके बारे में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हर तहसील में आज सैकड़ों बीघा जमीन ऐसे लोगों ने जो कि भूमिहीन नहीं हैं और जिनके पास सैकड़ों बीघा जमीन है उन्होंने उसके ऊपर अनधिकृत कब्जा कर रखा है। जो एन्युअल रजिस्टर्स बनते हैं उनको देखें तो उनमें वह जमीन दर्ज भी नहीं की जाती है। तो इस तरह से सरकार को काफी नुकसान होता है। न उनके ऊपर जुर्माना होता है क्योंकि उसका काफी हिस्सा पटवारी ले लेते हैं भ्रष्टाचार के रूप में। इसीलिए मैंने माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। अगर आप प्रत्येक तहसील में इस चीज को देखेंगे तो जो अनधिकृत कब्जा सरकारी लैण्ड पर कर रखा है उससे लाखों रुपयों की आमदनी हमारी राजस्थान सरकार को हो सकती है। टिनेन्सी एक्ट के अन्दर जो प्रावधान है जुर्माने का वह है सैंक्शन रेन्ट रेट के ६ गुना का वह कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि यह आज की परिस्थिति में बहुत कम है क्योंकि चीजों की कीमत बहुत बढ़ गई है। सैंक्शन रेन्ट रेट है एक आना बीघा, दो आना बीघा और इसका ६ गुना जुर्माना इतना कम होता है कि वह दे देते हैं और कभी कब्जा नहीं हटाते हैं। जो भूमि भूमिहीनों को वितरित की जानी चाहिए थी और पहले से जिनके पास जमीन है उन्होंने कब्जा कर रखा है। इसलिए इसके लिए यदि कानून में संशोधन की आवश्यकता हो तो वह भी किया जाये। जिनके पास जमीन नहीं है उनको वह जमीन दे दी जाये और जिनके पास जमीन है और अनधिकृत कब्जा कर रखा है उसको समाप्त किया जाये।

मेरा आखिरी कटौती का प्रस्ताव रेमीशन के मामले शीघ्र निपटाने के बारे में है। हमने सस्पेन्शन और रेमीशन के बारे में काफी अच्छे नियम बनाये हैं। जब कि खाली एक ही साल में खराबी होती है तो सस्पेन्शन होता है और जब दोनों साल की खराबी होती है तो रेमीशन होता है। लेकिन आज कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अन्दर कई साल तक अकाल पड़ता है। हम देखते हैं कि २, ४, यहां तक कि ५ वर्ष तक रेमीशन के जो केसेज़ हैं वे डिसाइड नहीं होते हैं और बकायात निकलते रहते हैं। इस बीच में कलेक्टर बदलते रहते हैं, एस० डी० ओ० बदलते रहते हैं और वे देखते हैं कि काफी लगान बकाया है। पर्चे बांट दिये जाते हैं। कानूनी तौर से जो रकम नहीं ली जानी चाहिए उसके लिए डिमान्ड स्लिप दे दी जाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मशीनरी की ढिलाई है। रेमीशन के नक्शे पटवारी को बनाने चाहिए। वे समय पर

(श्री सोहनलाल भटनागर)

नहीं बनाते हैं। रेमीशन के मामले जल्दी से नहीं निबटाये जाते हैं। एक साल अकाल पड़ा और स्केपर्सिटी एरिया हो तो अगर उस साल नहीं हो सके तो कम से कम दूसरे साल तक उसका निर्णय हो जाना चाहिए। लेकिन चार-चार साल तक मामले पड़े हुए हैं। यह समस्या राजस्थान के लाखों किसानों से ताल्लुक रखने वाली है इसलिए माननीय राजस्व मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे और उसमें सुधार करेंगे। इससे लाखों किसानों के साथ में राज्य का भी लाभ होने वाला है।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस मांग के ऊपर जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने में मुझे खुशी है कि इस सदन के आधे से ज्यादा महानुभावों ने किया है। तो मुझे इस बात को कहने के लिए तनिक भी संकोच नहीं है कि पटवारी समाज आज हमारे राज्य में कितना प्रबल होकर किसानों की बजाय भलाई करने के एक तरह से उनका अहित करने में एक विशेष हाथ उनका हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि वास्तव में देखा जाय तो पटवारी गांव का एक साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके अधिकार और उसके कर्त्तव्य एक गांव के लिहाज़ से सारे के सारे उसमें निहित हैं जैसे कि किसी तहसीलदार को नहीं, बल्कि कलेक्टर को हैं। कलेक्टर के जो कर्त्तव्य किसी गांव के प्रति हैं वे सारे के सारे कर्त्तव्य कलेक्टर की ओर से निभाने का दायित्व पटवारी के पास आजाते हैं। लेकिन आज-कल हम देख रहे हैं कि पटवारी कर्त्तव्यों का ध्यान न रख कर आज ग्रामीणों का जीवन बिगाड़ने में और उनके साथ सहयोग देने के बजाय उसमें बाधा डालने और उनके जीवन को अस्त-व्यस्त करने में लगा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, पटवारी जितना लाभदायक हो सकता है उसके बजाय आज वह किसानों के पारिवारिक जीवन में बहुत ही अहितकर साबित हो रहा है। हम किसानों का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए और गांवों का विकास करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं और इसके नतीजे में यही बतलाया जाता है कि किसानों का जीवन-स्तर जो है पहले के मुकाबले में १५ या १० पर्सेन्ट बढ़ा है। वास्तव में सरकार जितना रुपया खर्च कर रही है उसके लिहाज़ से यह जो अंक बतलाये हैं वे अनुचित नहीं हैं बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि सरकार किसानों के जीवन के लिए जितनी प्रयत्नशील है, जितना रुपया खर्च कर रही है उसके मुकाबले में यह उनका जीवन स्तर और ऊंचा उठना चाहिए। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि किसानों का जीवन-स्तर जितना ऊंचा उठना चाहिए उसकी अपेक्षा वास्तविक रूप में किसानों का जीवन-स्तर उतना ऊंचा नहीं उठा है। उसका मूल कारण पटवारी समाज है। आज गांवों में ज्यादातर लिटीगेशन और भ्रष्टाचार फैल रहा है उसका मूल कारण पटवारी समाज है। राजकीय कर्त्तव्यों के अलावा बहुत अधिक जनता के पारिवारिक जीवन में वह प्रवेश करके भाई को भाई से लड़ा देता है और आपस में मुकदमेबाजी करा देता है। आज वह एक भाई की ज़मीन को किसी न किसी रूप से अपना स्वार्थ सिद्ध करके दूसरे भाई को दिला देता है और उस भाई को जाकर बता देता है कि तेरी जमीन अनुचित तरीके से ली है। गर्ज़ यह है कि दोनों तरफ से

(श्री रामचन्द्र)

फायदा उठाता और लड़ाता रहता है। यह मनोवृत्ति इस पटवारी समाज की हो गई है जिसकी वजह से किसानों को बजाय फायदा होने के ज्यादा दुख और नुकसान हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी गांव की जानकारी के लिए जब कभी भी सरकार को आंकड़े या जानकारी प्राप्त करनी होती है तो वह एकमात्र साधन सरकार का पटवारी और पटवारी का रेकॉर्ड होता है, और पटवारी इस सम्बन्ध में अपना कर्त्तव्य ईमानदारी से पालन करने के बजाय किसान के साथ में व्यक्तिगत द्वेष हो जाता है तो वह गलत रिपोर्ट दे देता है और कागजों में गलत इन्द्राज कर देता है। बाज़ बाज़ मौकों पर जमीन का इन्द्राज गलत करके और अन्त में ज़मीन से उनको वंचित कर देता है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से एक समाज में उथलपुथल मचाने वाला व्यक्ति और सरकार और किसानों के बीच में द्वेष भावना उत्पन्न करनेवाला व्यक्ति पटवारी बन बैठा है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि रूल्स ऑफ कन्डक्ट जैसे कर्त्तव्यों के लिए कुछ उसके लिए मुकर्रर करने चाहिए। साथ ही साथ रूल्स ऑफ कन्डक्ट नियत किये जायं कि पटवारी को किसानों के साथ में इतना अच्छा काम करना चाहिए और अगर वह अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करता है तो सरकार को चाहिए कि ऐसे आदमी को उचित दण्ड दे।

यहां पर मैं यह कहूंगा कि पटवारी वैसे तो गांव के सभी किसानों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करता है लेकिन पटवारी के इस दुर्व्यवहार का असर गरीब भूमिहीन किसानों पर जितना पड़ता है उतना शायद किसी पर ही पड़ता हो। इस सदन में बैठ बैठ कर और मीटिंगों में बैठ बैठ कर इस बात की आवाज़ उठाते हैं कि गरीबों से साथ में, भूमिहीन हरिजनों के साथ में अन्याय हो रहा है। उसका मूल कारण यह पटवारी ही है। जब कभी जमीन की आवश्यकता होती है तो पहला स्टेज उसका यह है कि पटवारी के पास जाकर पता लगाये कि कौन सी जमीन खाली पड़ी हुई है। पटवारी को चाहिए कि जितनी भी राज की पड़त भूमि हो और जब कभी पूछे कि कौन सा चक खाली है तो उसका नम्बर बता दे।। लेकिन नम्बर बताने के लिए वह पटवारी तैयार नहीं होता है। पहले तो कहता है, बड़ी शर्म और दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जितना नम्बर बताऊंगा उतने ही रुपये देने पड़ेंगे। २५ नम्बर का बताया तो २५) रु० और ५० नम्बर का बताया तो ५०) रु०, यह बात पहले तय कर लेता है। पहले तो उसे टालने की कोशिश करता है और जब उसका पीछा करता है तो कहता है कि पहले ५००) रु० की बैलों की जोड़ी तो लाकर खड़ी कर दो तब जाकर नम्बर बताऊंगा। गर्ज यह है कि इस प्रकार का लेनदेन वह सारा पटवारी उन गरीबों के बीच में करता है। अगर किसी तरीके से पैसा दे दिला कर उसको राजी किया तो वह नम्बर तो दे देता है लेकिन उधर दूसरे लोगों से जाकर समझाता है कि तुम्हारे गांव की जमीन फलां चमार ने हड़प ली। मुझ से यदि तय करो तो तुम्हारी जमीन को बचा सकता हूं। इस तरह से इधर हाथ मारता है और उधर हाथ मारता है और दोनों को लड़ा देता है। नतीजा यह होता है कि रिपोर्ट उसी काश्तकार के लिए करता है

(श्री रामचन्द्र)

जिसके पास में पहले से ज़मीन होती है और गरीब जो है वह जमीन से वंचित हो जाता है। इसके लिए कई बार कई मामले तहसीलदार और कलेक्टर साहब के सामने रखे जाते हैं लेकिन वे वहां पर बिल्कुल अपने

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

आपको विवश बता कर रह जाते हैं और तमाम गरीब जो हैं वे इस प्रकार से जमीन से वंचित रह जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूं, समय बहुत थोड़ा है नहीं तो और ज्यादा डिटेल में बतलाता। मैं इतना ही कह कर आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि किसी न किसी तरह से इस समाज में आप कोई न कोई अच्छा सुधार कर दें तो अच्छा हो, ताकि किसानों और गवर्नमेन्ट के बीच में जो दुर्भावना आ गई है वह मिट जाय।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

आधे मिनट में समाप्त करता हूं।

वे बहुत तंग आ गये हैं इसलिये वे कहते हैं कि पटवारी हमको तंग करते हैं उसका कारण यह बताते हैं कि सरकार पटवारियों को कम तनख्वाह देती है। इस तरह से तो वे कहते हैं कि पटवार के नाम से टैक्स लगा दें और माहवारी टैक्स दे दिया करें, यदि वे सख्ती न करें तो माहवारी टैक्स देने को तैयार हैं क्योंकि वे उनसे बहुत तंग आ गये हैं। इसलिए मैंने यह कटौती प्रस्ताव रखा है।

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है मांग संख्या १, उप शीर्षक-७-राजस्व में एक रुपये की कटौती की जाय (सरकार द्वारा लगान वसूली के तरीके पर विचार करने के लिये।)

उपाध्यक्ष महोदय, लगान वसूली के तरीके के बारे में सरकार के द्वारा किसानों के लिए जो कानून अब तक बनाये गये हैं, किसानों के हित में, भूमि सुधार के हित में, वे कानून किसानों के हित में कोई काम नहीं आये और किसानों को आज किस प्रकार लगान वसूली के सम्बन्ध में पटवारियों के जरिये तकलीफ पहुँचाई जाती है, यह एक बड़ी समस्या सामने खड़ी हो गई है। किसान लोग अनपढ़ हैं, वे कानून को जानते नहीं हैं लेकिन सरकार का कानून के मामले में राहत देने का कर्त्तव्य है।

वैसे बांसवाड़ा जिले में ऐसी बहुत सी भूमि है जो एक फसली है। वहां पर फसल बरसात से किसी वर्ष होती है, किसी वर्ष बरसात नहीं होने से अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने से वहां पर लोग बड़े हताश हो जाते हैं ज़मीन में अनाज़ पैदा नहीं हुआ तो किसान को अपने परिवार का पालन पोषण करने में बाधा आती है। उसके सामने पेट पालने की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है।

सन् १६५७–५८ में बांसवाड़ा जिले में अकाल पड़ा उस समय सरकार ने इसे अकाल ग्रस्त या अभावग्रस्त एरिया घोषित किया और वहां पर सरकार ने रिलीफ कार्य खोले। रिलीफ कार्यों में लोगों ने मेहनत, मज़दूरी करके अपना गुजर बसर किया। सरकार ने उस वक्त १६५७–५८ में किसानों से लगान वसूल नहीं किया लेकिन १६५८–५६ में जिसे अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया था उसमें जो

(श्री भोगजी भाई)

राहत और छूट मिलने को थी वह न देकर सरकार ने १६५७–५८ और १६५८–५६ का दोनों सालों का एक साथ लगान वसूल किसानों से किया । लगान एक साथ वसूल शख्ती के साथ सरकार ने किया । लोगों ने जो अपने पिछले साल की भुखमरी में अपना समय बिताया किसी न किसी तरह से और खड़ी फसल जब चौमासे में गरीबों के खेतों में पक कर तैयार होती है, नवम्बर में ही सरकार लगान वसूली करने का आदेश देती है। खरीफ और रबी दोनों फसलों का एक साथ लगान वसूल किया जाता है। लगान एक साथ वसूल करने से किसानों को खड़ी फसल बेचनी पड़ती है या जो भूमि है उनके पास उसको बेच कर किसानों ने लगान अदा किया सरकार का एक ऐसा कानून है कि रबी की फसल पर लगान अलग वसूल किया जाय और खरीफ की फसल का अलग वसूल किया जाय पटवारी की गश्त-गिरदावरी के अधार पर कितना अनाज़ खेत में पका, न पका इस बारे में सरकार के पास पूरा आंकड़ा आने के बाद सरकार वसूली करती है लगान । कानून में यह बात है । लेकिन एक तरफ चौमासे की फसल खड़ी है और रबी की फसल बोने का समय आने वाला है तो भी दोनों का लगान एक साथ वसूल करती है । इससे किसानों को बहुत अधिक नुकसान होता है। उनको कानून के जरिये जो फायदा मिलना चाहिये वह नहीं मिलता । इस तरह से लगान वसूली में किसानों को ज्यादा बर्बाद होना पड़ता है। वहां पर अधिकतर आदिवासी लोग हैं और वे खेती पर निर्भर हैं, बहुत कम खेत हैं जिन पर वे अपना जीवन निर्वाह करते हैं । वहां और किसी प्रकार का धंधा नहीं है इसलिए सरकार द्वारा कानून पास करके राहत देने का सवाल सामने है । लेकिन अकाल पड़ जाता है वहां भी एक साथ रबी और खरीफ की दोनों की वसूली कर लेते हैं । दोनों साल की लगान एक साथ वसूल की जाती है । सरकार ने नवम्बर में वसूल करने का फैसला कर दिया: कई गांवों में पटवारियों द्वारा किसानों के साथ मारपीट की गई जिसकी शिकायत उन लोगों ने तहसीलदार और कलेक्टर के पास की लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई । न जाने क्यों सरकार ने किसानों के साथ इस तरह से शख्ती करके लगान वसूल करने का तरीका रखा है ? क्या वजह है कि उन लोगों के साथ लगान वसूल करने के लिए ऐसा व्यवहार किया जाता है राजस्थान में हजारों और लाखों की तादाद में किसान हैं । उनकी सहूलियत के लिये सरकार ने लगान वसूलो का कानून बनाया है जिसके अनुसार दोनों फसलों का लगान अलग अलग समय पर वसूल होना चाहिये । फिर भी इस जिले में किसानों से जगीरदारों के जमाने में जो तरीका था उसको कायम रखा है । इससे लोग बड़े परेशान हैं। इसलिये यह जो वसूली का तरीका है उसको बदला जाय ।....

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा कट मोशन ले लीजिये न अब । एक में समय ज्यादा लग गया है, नोतोड़ भूमि का ले लीजिये ।

श्री भोगजी भाई : इससे जल्दी ही खत्म कर रहा हूं । वसूली के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । अकाल में भी वसूल किया है जो किसानों को राहत आठ आना, दस आना वसूल होकर मिलने वाली थी उससे ज्यादा वसूल किया जा रहा है।

Page No.70

(श्री मोगजी भाई)

उनका राहत देने की तरफ मंत्रीजी ध्यान देंगे ।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है :

मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय ।

(बांसवाड़ा जिले में नोतोड भूमि पर ली गई पेनेल्टी पर विचार करने के लिए) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेनल्टी नो तोड़ भूमि पर सरकार जिस आधार पर वसूल करती है वह कानून के आधार पर कर सकती है कानून को सरकार को और हमें मानना होगा । लेकिन जहां मूलभूत किसान को कानून का फायदा मिलता है या नहीं ? इस कानून से अनपढ़ किसान लोग वंचित रह जाते हैं । इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना मैं ठीक समझता हूँ । पेनल्टी सरकार ने वसूल की है और अब भी लोगों को सैकड़ों की तादाद में नोटिस दिये हैं, उनको मैंने पढ़ा है । वे नोटिस १६५५-५६ से लेकर अब तक के दिये हैं । पिछले चार वर्षों की पेनल्टी वसूल की जा रही है, जब कि १६५५-५६ में जिन लोगों ने जमीन का कब्जा किया था वह नाजायज़ था । तो सरकार ने अधिकारी या पटवारी जितने हैं उन्होंने १६५५-५६ का नाजायज़ कब्जा नोट कर रखा होगा । लेकिन सरकार के ऐसे आदेश हैं जिनके आधार पर लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है, क्योंकि सन् १६५७ से भूमि अलॉटमेन्ट कमेटी का मैं भी सदस्य हूं और १६५७ में जो अलॉट की गई थी उसको बेदखल करके पेनल्टी वसूल की जा रही है । तो आज से करीब पांच साल पहले जिन लोगों ने कानूनी हालत से अलॉट की हुई भूमि पर कब्जा किया है, किसने नहीं किया है उसका जिक्र नहीं है, न पटवारी के पास रेकॉर्ड है । एक बात जरूर है कि उस जिले के रेकॉर्ड को देखने से पता चलेगा कि किसान से जितनी पेनल्टी वसूल की है, इतना पैसा सरकार के खजाने में आया है या नहीं पर जिन किसानों ने नाजायज़ या जायज़ भूमि पर कब्जा किया था वे हर साल नम्बरदार को, पटवारी को लगान भरते आये हैं । जब उन लोगों को जमीन से बेदखल किया गया, पेनल्टी के नोटिस आये तो लोग कहने लगे कि १० साल से लगान भरते आये हैं पटवारी के पास, मुखिया के पास, वह लगान दर्ज नहीं है । जो लगान हमने भरा उसकी पानड़ी पटवारी ने नहीं दी और हमको जमीन से बेदखल किया जा रहा है। तो सरकार इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देती है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लोग इस सम्बन्ध में बहुत परेशान हैं और सरकार ने आदेश निकाला है कि सिर्फ सहकारी आधार पर खेती की जाय और कृषि सहकारी समिति बनायें उन लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाय और खेती करने के लिए उन लोगों को जमीन अलॉट की जाय । इस सम्बन्ध में आदेश निकाले कि जिन किसानों के पास जमीन थी उनको एक साल के लिए दी जाय और दूसरी साल दूसरी मंजूरी लेने पर दी जाय । उसके आधार पर पुराने कायदे कानून से किसानों को जो जमीन का अलॉटमेंट हुआ है, जमीन का अधिकार मिला था उन्होंने जिस जमीन पर अधिकार किया था उससे उनको बेदखल कर दिया है ; सरकार को चाहिये कि जिसके पास भूमि नहीं थी, जमीन कहीं थी उनको

Page No.71

(श्री मोगजी भाई)

जो जमीन मिली थी उससे जो बेदखल किया जा रहा है....

(घंटी)

उनको रोक दिया जाय और उनको जमीन पर काबिज होने का अधिकार दिया जाय । सरकार के सामने यह समस्या है कि इस जमीन का राइट कैसे दिया जाय । मैं समझता हूं सरकार....

श्री उपाध्यक्ष : घंटी बजाने का महत्व है । दो बार घंटी बज चुकी है ।

श्री मोगजी भाई : दो मिनट में....

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट नहीं, आधा मिनट में समाप्त करेंगे ।

श्री मोगजी भाई : बहुत जल्दी समाप्त कर देता हूँ । सरकार इस प्रकार के आदेश दे कि जिनके पास कम से कम जमीन है, पांच एकड़, छः एकड़ जमीन और जिनके पास ज्यादा जमीन है उनका सवाल नहीं है, जिनके पास कम जमीन है उनका अधिकार, कब्जा मान लिया जाय । यह मेरा सुझाव है ।

दूसरा, अभी भरतपुर से आनेवाले माननीय सदस्य

(घंटी)

ने कहा था ....

श्री उपाध्यक्ष : आसन ग्रहण करें ।

श्री मोगजी भाई : माननीय उपाध्यक्ष, एक मिनट में समाप्त कर देता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट नहीं, आधा मिनट, पाव मिनट में समाप्त करें ।

श्री मोगजी भाई : भूमिहीन लोगों के बारे में भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रकाश डाला है कि भूमिहीन लोगों के पास जो जमीन थी, उनके सामने किस प्रकार एक कठिनाई पैदा होगी, उन लोगों को सरकार के द्वारा जो नोटिस मिले थे उससे राहत पाने के लिए सरकार से मांग की कि समय दिया जाय उस कानून के जरिये । जितने किसान जमीन वाले थे, उनके यहां के जो जमीदार थे उन्होंने हजारों बीघा पर कब्जा कर रखा था । बेचारे गरीब किसानों को बेदखल किया गया । उस सम्बन्ध में भरतपुर से आने वाले सदस्य ने बताया कि इक्कीस हजार भूमिहीन किसान हैं । मैं निवेदन करूं कि समाजवादी कार्यकर्ता ने कलेक्टर से कहा कि इक्कीस हजार भूमिहीन काश्तकार हैं, मज़दूर हैं, जो १० वर्ष, १५ वर्ष से खेती करते आ रहे थे....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करेंगे ।

श्री मोगजी भाई : एक मिनट । कलेक्टर का विज्ञापन है ....

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करेंगे । आसन ग्रहण करें कृपया ।

श्री मोगजी भाई : यह बता दूं, यह कलेक्टर का विज्ञापन है....

श्री उपाध्यक्ष : आप मंत्री महोदय से मिल लीजिये, उनसे बात कर लीजिये उनके चेम्बर में ।

Page No.72

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री शंकरलाल ।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रादेवी ।

श्रीमती सुमित्रा देवी (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष, ज्यादा अच्छा होता अगर रेवेन्यू के माननीय मन्त्री महोदय सदन में उपस्थित होते....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : मैं सुन रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : उपस्थित मंत्री महोदय बड़ी सतर्कता से सुनेंगे ।

श्रीमती सुमित्रा देवी : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो दूसरे बोलने वाले, करीब दो माननीय सदस्यों ने मेरे कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोल दिया है और खास तौर से मेरे पड़ोसी क्षेत्र से, सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे इलाके....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : धन्यवाद ।

श्रीमती सुमित्रा देवी : हमारे इलाके के किसानों के प्रति हमदर्दी प्रदर्शित की है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ....

श्री चन्दनमल वैद : धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : स्वीकार करते हैं या नहीं ?

श्रीमती सुमित्रा देवी : वे स्वीकार करें या न करें, मैं तो धन्यवाद दे दूं ।

हमारे यहां सम्वत् १६६० में बन्दोबस्त हुआ था । उसके बाद सम्वत् २००० में खतूनियां मिली थीं । वह बन्दोबस्त १० साल के लिए हुआ था लेकिन सम्वत् २००० के बाद अब १६ साल बीतने को आये हैं वहां दुबारा बन्दोबस्त नहीं हुआ है । मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस बात की तरफ दिला देना चाहती हूं कि झुंझुनू जिला समीप वर्ती और जिलों, सीकर, नागोर इत्यादि फर्टीलिटी, पैदावार यानि अन्न के उत्पादन की दृष्टि से ये जिले एक से हैं लेकिन लगान की दरें झुंझुनू ज़िले में और जिलों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है । झुंझुनू ज़िले की अव्वल दर्जे की जमीन है, उसकी दर दो रुपये, सवा दो रुपये और कहीं कहीं ढाई रुपये तक है जब कि नागोर में एक रुपया है, ज्यादा से ज्यादा एक रुपया दो आना है । इसी तरह से सीकर में सवा रुपये से ज्यादा नहीं है । मैं माननीय मंत्री महोदय से नम्र निवेदन करना चाहती हूं कि जब उत्पादन की दृष्टि से एक से जिले हैं, वर्षा उन जिलों में एक सी होती है फिर इस तरह की असमानता क्यों है ?

इसके बाद एक बात की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मैं दिला देना चाहती हूं कि वहां पर जो अव्वल दर्जे की जमीन है जिसके लगान की दर सवा दो रुपये, ढ़ाई रुपये है, मैं नम्र निवेदन के साथ कहना चाहती हूं कि वहां की उपज एक मन बीघा से ज्यादा नहीं है । जो अव्वल दर्जे की जमीन है, जिसका लगान ढ़ाई रुपया लिया जाता है, जो अच्छी से अच्छी फसल होती है, अच्छी वर्षा होती है तब दो मन बीघा से

(श्रीमती सुमित्रा देवी)

ज्यादा अनाज पैदा नहीं होता है। किसी किसान के पास २० बीघा जमीन है, अव्वल दर्जे की जमीन है जिसका लगान ढाई रुपये देना पड़ता है उसमें बहुत अच्छी फसल होती है तब मानिये कि ५० मन से ज्यादा अनाज नहीं पैदा होता है, तो उसके ऊपर उसको लैण्ड रेवेन्यू देना पड़ता है वह उसको देना पड़ेगा. वह ५० रुपये होगा। उसके बाद सरचार्ज और लगाया गया है। आप कल्पना कीजिये जिस आदमी को ५० मन अनाज घर के अन्दर खाने-पीने के लिए भी पूरा नहीं पड़ता है वह कहां से लैण्ड रेवेन्यू देगा और सरचार्ज भी कहां से देगा ? इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा नम्र निवेदन है कि जब तक हमारे यहां पर पुनर्बन्दोबस्त नहीं हो जाता है और जब तक वहां लगान की दरें और जिलों के मुकाबले के अन्दर कम नहीं कर दी जाती हैं तब तक माननीय मंत्री महोदय कम से कम वहां सरचार्ज न लगायें क्योंकि पुनर्बन्दोबस्त से पहले सरचार्ज लगाना अन्याय है, वहां के किसानों के साथ ज्यादती है और समाजवाद के सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि माननीय मंत्री महोदय इस बात को ख्याल में रख कर क्योंकि काफी वर्ष हो गये हैं बन्दोबस्त को हुए तो बिना कहे ही करवा देना चाहिए था। अब मैं माननीय मंत्रीजी का विशेष तौर से ध्यान दिलाना चाहती हूं कि आयन्दा साल के पहले पहले पुनर्बन्दोबस्त करने के साथ साथ यदि लगान की दर को और जिलों के मुकाबले में कम नहीं करवाया तो हो सकता है माननीय मन्त्री महोदय को खतरा उत्पन्न हो जाय।

श्री चन्दनमल वैद : अरे।

(हंसी)

(करतल- ध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष : खतरा क्यों होगा ?

श्रीमती सुमित्रा देवी : किसान आन्दोलन करेंगे।

श्री चन्दनमल वैद : Danger to the Revenue Minister ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : खतरा ?

श्रीमती सुमित्रा देवी : किसान आन्दोलन करेंगे।

श्री चन्दनमल वैद : राजस्व मन्त्रीजी तो हैं नहीं, उनकी जगह आप (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता की ओर इंगित करते हुए) हैं आपको खतरा उठाना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री तेजाराम गहलोत।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १ पर मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। मैं एक के बाद एक पर विचार प्रकट करता हूँ।

पहला कटौती प्रस्ताव है, जो चौसाला गिरदावरी होती है, उसका प्रभाव जो काश्तकारों पर पड़ता है, वह मैं मन्त्री महोदय को अर्ज करना चाहूंगा। गिरदावरी का रेकॉर्ड

(श्री तेजराम गहलोत)

ऐसा रेकॉर्ड है जिसके अन्दर पटवारी किस जमीन पर किस साल कौन सा काश्तकार काबिज था और उसने क्या फसल उसमें बोई थी, यह सब चीजें दर्ज करता है। इस रेकॉर्ड के आधार पर किसानों के मालिकाना हक रेवेन्यू अदालतों में तय किये जाते हैं। वह गिरदावरी लूज़ लीफ, खुल्ले पन्नों को सी कर पटवारी गिरदावरी रजिस्टर बनाता है, उसमें दर्ज़ होती है। जैसा कि काफी माननीय सदस्यों ने कहा है पटवारी गिरदावरी में रद्दोबदल करते है, मैं भी मानता हूं कि पटवारी गिरदावरी में रद्दोबदल करते हैं, कई बार राजस्व मन्त्रीजी को प्रश्नों के जरिये और अन्य जरियों से कहा गया कि अगर गिरदावरी रजिस्टर बाउन्ड रजिस्टर के रूप में हो और हर पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या छपी हुई हो तो पटवारी को रद्दोबदल करने का मौका कम मिलेगा। क्योंकि राजस्थान सरकार की तरफ से जो रेकॉर्ड मेन्टेन करने के लिये लैंण्ड रेकॉर्ड मेन्युअल निकला हुआ है उसके अनुसार वह रेकॉर्ड पटवारी के पास ४ साल तक रहेगा और उसके आधार पर पटवारी दूसरा रेकॉर्ड बनाये नई चौसाला गिरदावरी के तैयार होने के बाद भी एक साल तक वह रजिस्टर पटवारी के पास रहेगा, तो इस तरह ५ साल तक रद्दोबदल करने का, एक्स के नाम पर जैड का नाम दर्ज करने का पटवारी को मौका मिलता है और इस प्रकार किसान की अशिक्षितता का लाभ पटवारी उठाता है। अगर चौसाला गिरदावरी की बजाय एक साला गिरदावरी का सिस्टम इन्ट्रोड्युस कर दें और गिरदावरी खत्म होने के बाद तुरन्त ही तहसील में रेकॉर्ड जमा करा दे तो पटवारी गिरदावरी में रद्दोबदल नहीं कर सकेगा। इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहूंगा कि गिरदावरी के सिस्टम को चौसाला के बजाय एक साला करें और बाउन्ड रजिस्टर पटवारियों को सप्लाई करें जिनके हर पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या लगी हुई हो और साल के अन्त में उनसे वह सारा रेकॉर्ड जमा करा लिया जावे तो इस प्रकार की कोई शिकायत का मौका पैदा नहीं होगा। इससे किसानों को लाभ होगा।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है डिमार्केटिंग आफ आबादी लैंड। सेटलमेंट हो चुका है परन्तु जागीरी इलाके में सैटलमेंट नया होने के कारण आबादी में भूमि दर्ज करने का या extend करने का कोई प्रावधान नहीं रखा। जरूरत के माफिक किसान आबादी को बढ़ाता गया और कई जगह नई आबादियां कायम हो गई। कहीं स्टेशन हैं, मंडी है, उनके अन्दर एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर लोगों ने अपने मकान बना लिये हैं, दूकानें बना ली हैं। जिस तरह कि लैंड रेकॉर्डस मेन्युअल में प्रावधान है कि पटवारी को जहां लैंड रेकॉर्ड में चैंज होता है उसको दर्ज करना चाहिये परन्तु देखते हैं कि कहीं कही दस, दस साल से मकान बने हुए हैं पर रेवेन्यू रेकॉर्ड में पटवारी तरमीम करने की कोशिश नहीं करता कि यह आबादी बन चुकी है उसके अनुसार रेवेन्यू रेकॉर्ड में भी इन्दराज करवाऊं, तरमीम करवाऊं। लैंड रेकॉर्ड मेन्युअल रूल ५६ में है कि मौके की स्केल में तरमीम देखता है तो गिरदावरी में पटवारी को पैंसिल से चैंज करना चाहिये और रेवेन्यू इन्सपेक्टर इन्सपेक्शन के लिये जाता है तो स्याही से उसको चैंज करना चाहिये और फिर change चार साल तक रहता है तो

(श्री तेजराम गहलोत)

पर्मानेन्टली तरमीम कर देना चाहिये। पर इस तरह आबादी की तरमीम नहीं होती और किसानों को नोटिस दिये जाते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड में मकान बनवा लिया है इसको हटाओ, जब कि लैंड रेकॉर्ड मेन्युअल में यह प्रावधान है कि उसे चैंज कर दिया जाय, आबादी की भूमि बताई जाय। पटवारी, तहसीलदार और कलेक्टर के बीच में तीन चार साल तक कागजी कार्यवाही चलती रहती है परन्तु किसी को ऐतराज नहीं होते हुए भी उस भूमि पर किसी का काश्त का मालिकाना हक नहीं होते हुए भी। न तो पटवारी पंचायतों को सहयोग देते हैं और न आबादी में उसको चैंज करते हैं।

आजकल विकास का काम होता है। ये किसी व्यक्ति विशेष के काम नहीं, ये सार्वजनिक काम हैं फिर भी जब कि कलेक्टर साहब जाकर स्कूलों की बिल्डिंग्स की नीवें देते हैं वहां स्कूल बन जाते हैं फिर भी चार-चार साल तक पंचायत से लगान लेते हैं, उस जमीन को आबादी में कन्वर्ट नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सोजत तहसील में अटपड़ा नामक गांव में चार साल पहले जिस जमीन में कलेक्टर ने स्कूल की नींव दी थी उस जमीन का लगान आज भी लिया जा रहा है, उसे आबादी में चैंज नहीं किया गया है। यदि राजस्व मंत्रीजी और उच्च रेवेन्यू अधिकारी ताकीद करें कि लैंड रेकॉर्ड मेन्युअल और दूसरे टिनेन्सी एक्ट में प्रावधान है उसके अनुसार जल्दी से चैंज किया जाय तो यह ठीक हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : You have got two cut motions only ?

श्री तेजाराम गहलोत : नहीं साहब, तीसरा कटौती प्रस्ताव मेरा और है। राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट्स मेन्युअल राजस्थान सरकार ने रेवेन्यू कोर्ट्स के लिये बनाई है, उसकी रेवेन्यू अधिकारी सही रूप में तामील नहीं कर रहे हैं। इसमें पुराने दावों के कई फैसले हो जाते हैं और उस फैसले के माफिक यदि रेवेन्यू रेकॉर्ड में तरमीम नहीं होती है। फैसला देने वाले अधिकारी का फर्ज होता है कि जो फैसले से Records में तरमीम होती है वह तहसीलदार को भेजे और उस फैसले के आधार पर रेकॉर्ड में तरमीम कर ले पर ऐसा देखा गया है कि रेवेन्यू के मामलों को कोई देखने वाला नहीं तीन-तीन साल तक किसान तहसीलदार, कलेक्टर और सेटलमेंट के दफ्तरों के बीच में भटकता फिरता है पर उस फैसले के माफिक पटवार रेकॉर्ड में दर्ज नहीं होता है। उसे कहा जाता है कि करेक्शन ऑफ एन्टरीज़ के लिये कलेक्टर के यहां प्रार्थना-पत्र दे। जब फैसला हो जाता है तो फैसला करने वाले अधिकारी का फर्ज हो जाता है कि फैसले के माफिक एन्ट्रीज़ करवाये। इस किस्म के बीसियों केसेज़ सोजत सब डिविज़न में हैं जिनकी तामीलें नहीं हुई हैं।

इसके बाद मेरा कटौती प्रस्ताव है कि राजस्थान में जितने प्रगतिशील कानून जितनी तेजी से बने हैं उनके साथ साथ उतनी ही तेजी से इम्प्लीमेन्टेशन में रेवेन्यू के अधिकारियों ने ढील बरती है। १५-१०-५५ को लैंड रेवेन्यू एक्ट लागू हुआ। उसके अनुसार जो काश्तकार उस रोज जिस जमीन पर काबिज था उसको खातेदार दर्ज कर लेना

(श्री तेजाराम गहलोत)

चाहिये था, पर सोजत और जैतारण तहसीलों में १५-१०-५५ को जो लोग उन जमीनों पर काबिज थे उनको खातेदार दर्ज नहीं किया है। सब-टिनेन्सी को खत्म करने का ५-४-५६ को राजस्थान सरकार द्वारा कानून लागू कर दिया गया, परन्तु आज तक तहसीलदारों और एस० डी० ओज़० ने इसके अनुसार शिकमी काश्तकार जो दर्ज थे उनको खातेदार दर्ज करने का कोई कदम नहीं उठाया है। कहने का मतलब यह है कि जितनी राजस्थान के किसान को टिनेन्सी एक्ट में सहूलियत दी गई हैं और रिफॉर्म्स किये गये हैं उतनी तेजी से उनको इम्पलीमेंट नहीं किया जा रहा है और उनके इम्पलीमेन्टेशन में ढिलाई बरती जा रही है। यह ढिलाई राजस्व विभाग द्वारा बरती जा रही है इसलिये मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि जो रूल्स बनाये हैं उनकी तामील कराई जावे ताकि किसान समझ सकें कि वास्तव में उनके लिये कुछ सुधार हुए हैं।

इसके अलावा मैं माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि लैण्ड रेवेन्यू और जागीर रिजम्प्शन एक्ट सरकार ने पास किया है उसकी सही माने में तामील नहीं होती है क्योंकि इसमें ऐसा प्रावधान था कि जिस समय जागीरदारी समाप्त हो रही थी उस समय साल के दौरान में जागीरदार अपनी जागीर पर काबिज था और उन्होंने किसानों से लगान वसूल कर लिये और वे कर सकते थे कानून के अनुसार। उसके अनुसार कुछ जागीरदारों ने लगान काश्तकारों से वसूल कर लिया। कानूनन होना तो यह चाहिये कि रेवेन्यू अधिकारी उन जागीरदारों से मुआवजे में से वापिस वसूल करते मगर अधिकारियों ने किसी भी किसान को यह पूछने की कोशिश नहीं की कि कितना लगान तुमसे जागीरदारों ने वसूल कर लिया है और। जब काश्तकारों ने लगान जागीरदारों द्वारा लिये जाने की बात कही तो उनकी न बात पर ध्यान ही दिया और उन्होंने तो वही मतालबा बना दिया और काश्तकारों को लगान देने के लिये तंग करते हैं कि तुममें यह रकम बकाया है। जब काश्तकारों ने वह रकम जागीरदारों को दे दी थी तो फिर यह रकम काश्तकारों से दुबारा वसूल क्यों की जाती है ? जब आपके जागीर रिज़म्पशन एक्ट में यह प्रावधान है कि जिस समय तक जागीरदार के पास जागीर का कब्जा रहे वह लगान लेने का अधिकारी था। इस तरह से बीसियों काश्तकारों ने जागीरदारों को लगान दे दिये और फिर भी उनको सरकार के राजस्व विभाग के अधिकारी लगान देने के लिये तंग कर रहे हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि उनको दुबारा लगान देने के लिये तंग नहीं किया जावे और जागीरदार ने जो लगान ले लिया है उस लगान को जागीरदार से भुगतान कराया जावे।

इसके अलावा पर्सनल प्रोपर्टी का प्रश्न है। मैं यह निवेदन करूंगा कि चार-पांच वर्ष हो जाते हैं और उनकी पर्सनल प्रोपर्टी का प्रश्न तय नहीं हो पाता है। छोटे जागीरदारों के लिये यह है कि अगर वे अपने क्लेम्स पेश नहीं करते हैं तो सरकारी रेकॉर्ड में इन्द्राजात को देख कर उनको मुआवजा दे दिया जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री तेजाराम गहलोत)

इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जिस प्रकार छोटे जागीरदारों का मुआवजा रेकॉर्ड के आधार पर दे दिया जाता है और तय कर दिया जाता है उसी तरह से बड़े जागीरदारों का जिन्होंने अपने क्लेम नहीं दिये हों उनके रेकॉर्ड में एसेसमेंट उनके आधार पर सूओ मोटो कम्पेन्सेशन तय कर दिया जाना चाहिये और उनको मिल जाना चाहिये।

इसके अलावा मेरा एक कट मोशन है, "To discuss the non-cooperation of the Patwaris with the Panchayats for mutation works" म्युटेशन वर्क्स के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देकर राज्य सरकार ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन यह देखना है कि पंचायतों के साथ पटवारी किस हद तक सहयोग करते हैं। इस बात को बारीकी से देखी जावे तो मैं यह कहूंगा कि आपने ये पंचायतों को अधिकार दिये हैं उससे यह प्रोब्लम हल नहीं होती है क्योंकि लैंड रेवेन्यू मेनुअल के हिसाब से पटवारी को चाहिये कि कोई जमीन सेल से या गिफ्ट से या किसी और तरीके से इधर उधर हुई हो उसका पूरा इन्द्राजात रखे और यह सूओ मोटो उसकी ड्यूटी है। इसके अलावा जो प्रोपर फॉर्म पंचायतों के पास भेजे जाने चाहिये उन फार्मों को पटवारी उनको कई बार कहने पर भी नहीं भरते हैं और अगर कोई काश्तकार उस फॉर्म को भराने में सफल भी हो जाता है तो रेवेन्यू इन्सपेक्टर साहब आडे हो जाते हैं और इस तरह से करेक्ट रेकॉर्ड मेन्टेन करने का मकसद जो होना है वह हल नहीं होता है। वास्तव में देखा जावे तो एक काश्तकार के पास आज ५० बीघा भी जमीन नहीं है जबकि उसके पास ५ वर्ष पहले दो सौ बीघा जमीन जोइन्ट फेमिली में थी। इस तरह से पटवारियों का नॉनकोऑपरेशन रहने से काम ठीक तरह से नहीं होता इसलिये राजस्व मंत्री इसके लिये ताकीद करें कि वे कोऑपरेट करें।

इसके अलाव मैं गांवों के पाश्चर लैंड (Pasture land) यानि गौचर भूमि के बारे में कहूंगा। मैं यह कहूंगा कि गौचर भूमि के केसेज़ को ठीक करें। मैं अभी तक यह नहीं समझ सका कि सरकार के आदेशों को सही माने में पालन क्यों नहीं किये जा रहे हैं और क्यों नहीं पालन होते? हमारे सोजत व जैतारण में जब ५४–५५ में सेटलमेंट हुआ था उसके केसेज़ तहसील में पड़े हैं? तो कुछ एस० डी० ओ० और कुछ कलेक्टर के पास गये हुए हैं मगर उनका अभी तक तसफिया नहीं हो पाया है। मैं चाहता हूं कि आम जनता के फायदे का यह काम है इसको सरकार को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करनी चाहिये जिससे जनता और जानवरों, दोनों को राहत मिले सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण।

(अनुपस्थित)

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : I may be allowed to speak for five minutes, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस ग्रान्ट पर जितने भी

(श्री आबिदअली)

कट मोशन्स आये हैं उनमें ज्यादा अलॉटमेंट और पटवारी के विरोध पर आये हैं और दूसरा जो विचार यहां रखा गया है उसका तथ्य यह है कि काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी सुविधा मिले और उनको अपने खातेदारी के सम्बन्ध में जो कठिनाइयें आती हैं उनको दूर किया जावे। इस सम्बन्ध में मैं अपने कुछ विचार रखूंगा और कुछ सुझाव भी देने की कोशिश करूंगा। जहां तक पॉवर के डीसेन्ट्रलाइज़ेशन का प्रश्न है, राजस्व विभाग बधाई का पात्र है और खास तौर से हमारे राजस्व मंत्री साहब।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): All Revenue Ministers.

श्री आबिदअली : इसमें भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। यह हाउस में तमाम रेकॉर्ड है, लेजिस्लेशन बना है इसका श्रेय रेवेन्यू मिनिस्टर को है। इसलिये, मैं यह कह सकता हूं कि एप्रीसियेशन उन्हीं को है और यह करेक्ट एप्रीसियेशन है। अब प्रश्न रह जाता है इम्पलीमेंटेशन का। मैं दूसरे विषय पर न जाकर पटवारी पर ही कहूंगा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): आपके इसको वे एप्रीशियेट करते हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : That is all right. That is for the House to see.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Mutual appreciation society.

श्री आबिदअली : जहां तक पटवारियों का प्रश्न है हमको यह देखना होगा कि पटवारी किस स्टेज पर, किस मुकाम पर गड़बड़ी करते हैं और किस प्रकार से इसको दूर किया जा सकता है। राजस्थान में मैं समझता हूं कि जितनी भी लैण्ड है सब सेटल्ड लैण्ड हो गई है और सब खातेदारी राइट्स सब को मिल गये होंगे और पर्चे काश्तकारों को मिल गये। जहां तक प्रोपराइटरी राइट्स हैं पटवारी कोई गड़बड़ नहीं करेगा क्योंकि यह तो डॉक्युमेंटरी एविडेन्स है। पटवारी गड़बड़ करेगा तो किस स्टेज पर करेगा ? वह गड़बड़ करेगा म्युटेशन की स्टेज पर और उस समय पटवारी निश्चित रूप से गड़बड़ करता है और उसके बाद फेक्टम ऑफ पजेशन का प्रश्न आता है। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पटवारी लोग ही ६६ प्रतिशत इसमें गड़बड़ी करते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि लोगों को अदालत में जाना पड़ता है और आप देखेंगे कि जितने भी रेवेन्यू कोर्ट्स में मुकदमें हैं उनमें आपको फेक्टम ऑफ पजेशन पर ६६ प्रतिशत केसेज़ चलते हुए मिलेंगे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (अश्रव्य)

३. म० प०

श्री आबिदअली : यह ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ आपको क्रिमिनल केसेज़ भी देखने को मिलेंगे, १०७, १४५ रोइटिंग के, ४४७ के कई केसेज़ चलते हैं। पता नहीं कितने केसेज़ पटवारी की एक कलम मार देने से, स्ट्रोक ऑफ पेन से, कितने केसेज़ पैदा हो जाते हैं और आज आपको

(श्री आबिदअली)

जितने ही केसेज़ मिलेंगे वे कहां से आते हैं ? वे फेक्टम ऑफ पजेशन के सिलसिले में होते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि गश्त गिरदावरी को अपनी एक स्ट्रोक ऑफ पेन से गड़बड़ कर देते हैं । इसलिये मेरा यह सुझाव था कि गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाये वह ठीक कदम था, गश्त गिरदावरी मिल जानी चाहिये थी । पटवारी पहले पेन्सिल से रेकॉर्ड में लिख देते थे उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मिटा दिया है । मैं समझता हूं और मेरा यह सुझाव है कि एक मेंडेटरी कन्डीशन रूल्स में यह रख दी जावे कि मौके पर जब पटवारी जावे तो गश्त गिरदावरी की स्लिप उसी दिन काश्तकार को दे दे । इसी प्रकार से म्युटेशन का सवाल आता है । मैं अर्ज़ करना चाहूंगा कि वे पटवारी अपने एक स्ट्राक ऑफ पेन से किसी के भी रेकॉर्ड में एन्टरी कर देते हैं । उदाहरण के लिए एक खातेदार की मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है, उसके लड़का मौजूद है । फर्ज़ कीजिये लड़का मौजूद नहीं है कोई वारिश मौजूद है, उसके नाम कल्टीवेशन दर्ज़ कर देते हैं । उसका म्युटेशन करते नहीं । इसलिए जहां म्युटेशन का सवाल है वहां पर एक कन्डीशन यह दर्ज कर दी जावे कि एक टाइम लिमिट में, चार, पांच दिन में पटवारी की यह ड्युटी होगी कि वह इन्द्राज कर दे । जब ऐसी इन्स्ट्रक्शन गवर्नमेंट की ओर से दी जाती है और उसको पटवारी नहीं करता है, नहीं मानता है तो यही मानना पड़ेगा कि इन्सपेक्शन की कमी के कारण पटवारी पर हाथ नहीं होता । मेरे पास इन्स्टान्सेज़ हैं । ऐसे ऐसे केसेज़ मौजूद हैं कि डेलिबरेटली पटवारी ने किया । एक केस में दो काश्तकारों को लड़वा दिया । दो काश्तकारों का आधा आधा हिस्सा था । एक काश्तकार का १।२ और दूसरे काश्तकार का १।२ हिस्सा था । लैंड ऑफ पार्टीशन नहीं था । नकशा था उसमें सुर्ख लाइन से पटवारी ने एक लाइन खींच दी थी । उसने अपने हाथ से लाइन खींच दी । जब केस में वह नकशा पेश हुआ तो पता चला कि सेटिलमेंट नहीं किया । जब इसकी स्क्रुटिनी की गई, यह साबित हो गया कि यह पटवारी के हाथ से किया गया । इसको कोर्ट को बताया गया कि इस पर स्ट्रिक्चर दीजिये । यह डेलिबरेटली किया गया है पटवारी के द्वारा, इसका स्ट्रिक्चर दीजिये और इस प्रकार का फैसला दीजिये । यह हो सकता है कि किसी कारण से या तो सोफ्ट कोर्नर से, या नेग्लीजेन्स से या डेलिबरेटली ऐसा कर दिया गया हो । तीसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है वह यह है कि प्रोपर इन्सपेक्शन होना चाहिये । जब कोर्ट में मामले जाते हैं तो जब पटवारी की गलती होती है तो कलेक्टर को, तहसीलदार को फैसले में लिखना चाहिये कि पटवारी ने डेलिबरेटली ऐसा किया । लेकिन कोई लिखता नहीं । यदि प्रोपर इन्सपेक्शन किया जाय और स्ट्रिक्चर देने के रवैये को ध्यान में रखा जावे तो बहुत मामले आज अदालतों में होते हैं वे समाप्त हो सकते हैं । हाईकोर्ट में क्या होता है ? एक मुन्सिफ के खिलाफ सेशन्स जज एक स्ट्रिक्चर दे देता है तो उसको बड़ा फील होता है, दस, पन्द्रह दिन तक उसके दिमाग में बड़ी हलचल हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है कि उसके स्ट्रिक्चर आ गया । लेकिन स्ट्रिक्चर का तरीका न होने से पटवारी बिलकुल बेपरवाह हो गये हैं । इग्नोर नहीं किया

(श्री आबिदअली)

जा सकता। जैसे जुडिशियरी में होता है कि जैसा मैंने अभी बताया कि एक मुन्सिफ के खिलाफ यदि एक सेशन्स जज स्ट्रिक्चर दे देता है तो वह स्ट्रिक्चर उसके प्रमोशन में बाधक हो जाता है। वे सतर्क रहते हैं। इस किस्म की बातें पचासों हैं और रोज कोर्ट्स में आती हैं। अपीलों में आती हैं। यदि डेलिबरेटली तहसीलदार या पटवारी ने गड़बड़ी की हैं तो ध्यान में आ सकती हैं और इस एक्शन के द्वारा वे समाप्त हो सकती हैं। लेकिन नहीं इसके लिए यह महसूस किया जाता है कि इनका व्यूपोइन्ट क्या है। स्ट्रिक्चर उन पर कोई पास नहीं होता। इसलिए इस सम्बन्ध में स्ट्रिक्चर दिया जाना चाहिये कि जिससे यह चीज़ समाप्त हो सके। इसकी डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी की जानी चाहिये।

तीसरा मामला इस चीज़ को समाप्त करने का है और वह है इन्सपेक्शन का। आज अन्फोर्चुनेटली यह चीज़ चल रही है कि एक सुपीरियर ऑफिसर जाता है। बिल्डिंग को देख लिया, अलमारी को देख लिया, ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर उठा कर देख लिया कि कितने केसेज़ का इन्स्टिट्युशन हुआ और कितना डिस्पोज़ल हुआ। मेटीरियल कोई चीज़ नहीं देखी जाती। सन् १६४४ में मैं प्रेक्टिस में था श्री वाजपेयी चीफ जस्टिस थे, उनके किस्से मैं सुना करता था। उनका इन्सपेक्शन का एक तरीका था। कोर्ट में खुद जाकर बैठ गये। जुडिशियल केसेज़, क्रिमिनल केसेज़ की ही यह बात नहीं थी, रेवेन्यू केसेज़ में भी खुद जाकर बैठ जाते थे। अपने सामने वकील, हाकिम की पैरवी को देखते। एक एक घंटा तक सुनते रहते थे, देखते रहते थे। उसका क्या रिजल्ट था? लेकिन आज हम देखते हैं कि यहां तमाम बातें हो गई, रिजल्ट वही। राजस्थान में इतनी कोर्टर्स हैं, मेरा निश्चित रूप से यह मानना है कि तहसीलदार ६६ पर्सेन्ट करप्ट हैं। यह ट्रुथ है और इसको खत्म नहीं कर सकते। वे तो पॉवर ऑफ इन्सपेक्शन से ही पकड़े जा सकते हैं। फाइल्स में घुसा जाय, उनको देखा जाय। मैं एक नहीं अनेक मिसालें दे सकता हूँ। तहसीलदार के ज्युरिस्डिक्शन में नहीं है और उसने सेन्क्शन कर दिया। गवर्नमेन्ट को अधिकार है कि यदि किसी एग्रीकल्चरल लैंड को किसी दूसरे पर्पज़ के लिए काम में लें, मिसाल के तौर पर इन्डस्ट्रीज लगाने के लिए, इसको सेंक्शन का अधिकार गवर्नमेन्ट को है। लेकिन तहसीलदार अपनी सेंक्शन से एक जगह नहीं कई जगह इन्डस्ट्रीज़ लगा रहे हैं। पचास हज़ार के लिए क्या सर्कमस्टान्सेज़ हो सकती हैं, नेचुरली वे सेन्क्शन देंगे तो उसमें करप्शन करेंगे। इसलिए प्रोपर इन्सपेक्शन होना चाहिये। वे केसेज़ पकड़े जाने चाहिये और डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी होनी चाहिये।

इसलिए म्युटेशन के लिए टाइम लिमिट दे दीजिये और रूल्स में कन्डीशन डाल दीजिये। गश्त गिरदावरी उसी रोज़ मिल जानी चाहिये और यदि प्रोपर इन्सपेक्शन हो तो इस डिपार्टमेन्ट में सुविधा हो सकती है और काश्तकारों को भी राहत मिल सकती है।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, भू-राजस्व के सिलसिले में सदन में चर्चायें हो रही हैं। उसके बारे में मैं अपने

(श्री सूबेदारसिंह)

विचार रखना चाहता हूँ। इसमें कोई शंका नहीं कि राजस्थान प्रान्त बना तब से भूमि सुधार के लिए एक क्रान्तिकारी कदम उठाया गया। जागीरदारी और जमींदारी समाप्त करके भूमि सुधार का कार्य किया। यह एक ऐतिहासिक कार्य है।

राज्य में कर लगाने की नीति को देखा जाता है कि जो कर लगाने की अभी हमारे राज्य में व्यवस्था है वह सामान्यतया एक ही प्रकार से सारे प्रान्त में लागू होती है। भूमि पर लैंड रेवेन्यू (कर) लगाया जाता है तो उदाहरण के तौर पर किसी जिले में कुछ नीची रेट है तो किसी जिले में बहुत ऊंची रेट है। क्या ही अच्छा होता कि जब भूमि सुधार का कार्य किया गया इसी बीच में साथ साथ यह कार्य भी किया जाता कि जमीन की किस्म एक की जाती और उन पर पैदावार की दृष्टि से एक रेट कायम की जाती। माननीय सदस्यों की तरफ से कल से सदन में वातावरण बनाया हुआ है। चुरू ज़िले में २) रु. २॥) रु. बीघा रेंट है तो धौलपुर में २०) रु. बीघा रेन्ट है। गंगानगर में चार आना बीघा की रेंट है जहां कि नहर से जमीन को पानी दिया जाता है और गंगानगर का किसान आराम से नींद लेता है जब कि धौलपुर का किसान दिन रात कड़ी धूप में, बरसात में भी अपनी वह फसल नहीं पैदा कर सकता। आज जहां हम कहते हैं कि समानता का बर्ताव करना चाहिये, देश के गांवों के लोगों को समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं, उनके नैतिक स्तर को उठाना चाहते हैं तब हमारा ध्यान इधर भी जाता है कि शहर के रहने वाले लोग अपने बीच मज़दूरी करने वाले भी अपने बच्चों को मामूली खर्चे से पढ़ा लिखा सकते हैं जब कि गांवों के काश्तकारों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है और परेशानी उठा कर भी हाई स्कूल तक कराने में मजबूर होते हैं। यही तरीका रहा और रेटस एक नहीं की गई और समय आते आते कृषि पर रेट्स बढ़ती गई, तो जहां हम कहते हैं कि जनता के हित में ऐसे कार्य करेंगे वह हमारा कहना यों ही रह जायेगा। प्रान्त के और नेताओं की स्पीचों को सुना जाय तो यही कहा जाता है कि हमारे देश के ८० प्रतिशत किसान हैं, हम उनको उठाना चाहते हैं। जमीन के बारे में एक बात देखी है। मेरे हृदय की वह बात कहना चाहता हूं, प्रजातन्त्र का जमाना एक दिन आवेगा यह कहा जाता है हमने जमीन के बारे में विचार किया। हर साल काश्तकार जमीन में पानी देता है, मेड़ बनाता है खेतों की, इन्डस्ट्रीज़, कारखानों की तरह चलाता है और जो कुछ पैदावार होती है उससे अपने कुनबे का पालन करता है। लेकिन अगर वही जमीन किसी अर्बन एरिया में चली जाती है उसका एक मुश्त देकर उस जमीन का मालिक हो जाता है। उसी एक बीघा जमीन में चार, पांच मन अनाज होता है उसकी जगह आलीशान बंगला बन जाता है और उससे ५००—७०० रुपया किराया वसूल हो जाता है और इस तरह से उसकी लैण्ड रेवेन्यू हमेशा के लिये बन्द हो जाती है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि हमारी सरकार को चाहिये कि वह भी किसान को अपनी जमीन का मालिक बना दे और उसकी कीमत एक मुश्त में ले ले जिस तरह से अर्बन इम्प्रूवमेन्ट में हम जिस तरह से जमीन को दे देते हैं और लैंड

(श्री सूबेदारसिंह)

रेवेन्यू से उसको मुक्त कर दें। आप उसमें जो पैदावार होती है उस पर जिस तरह से एक मिल का उत्पादन पर आप उससे प्रोड्-क्शन का चार्ज लेते हैं, सेल्स टैक्स लेते हैं उसी प्रकार उस जमीन से भी ले लीजिये। सदियों से जो लैण्ड रेवेन्यू का सिलसिला चला आ रहा है उसे हमें बन्द करना चाहिये। आज लैण्ड रेवेन्यू के साथ साथ उस पर सर चार्ज भी लगा रहे हैं। इस बारे में रेवेन्यू मिनिस्टर साहब जरूर सोचेंगे। इसका असर ८० प्रतिशत जनता पर जो किसान हैं उन पर पड़ता है। आज कानून के शिकंजे में गरीब आदमी फंस जाता है किन्तु जो ज़बर्दस्त होता है वह आदमी निकल जाता है। कहीं ऐसा न हो कि ये ८० प्रतिशत लोग बिगड़ जाय और आपका जो कानून बनाया हुआ है उसको फाड़ कर फेंक दें। इसलिये मेरा निवेदन है जिस तरह आप अर्बन एरिया में मकान आदि बनाने के लिये जमीन देते हैं उनसे एक मुश्त रकम में उसकी कीमत लेते हैं उसी प्रकार इस किसान के साथ भी क्यों नहीं करते? लैंड रेवेन्यू उसका माफ कर दिया जाय और उस जमीन की कीमत उससे एक साथ ले ली जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस डिमान्ड के ऊपर माननीय सदस्यों ने कट मोशन के रूप में अपने अपने विचार काफी सदन के सामने रखे और उसके साथ साथ बहुत से सुझाव अलग अलग बातों के ऊपर अलग अलग तरीके से दिये हैं। खास तौर से लैण्ड रेवेन्यू के म्युटेशन आदि के साथ साथ पटवारी की जो ड्यूटी है उसके ऊपर रेमीशन और सस्पेन्शन वगैरह के बारे में भी बातें कही गई। मैं आपके समक्ष जो अलग अलग सुझाव आये हैं उन पर अपने विचार सदन के सामने रखूंगा। सब से पहले मैं कुछ जनरल बातें अर्ज कर देना चाहता हूँ। कुछ कटमोशन्स पटवारीज़ के बारे में थे पटवारीज़ के जो फरायज़ आदि हैं, वे काम के अन्दर गड़बड़ी करते हैं इस ओर भी काफी सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि आपका जो कानून है उसके अन्दर जो रूल्स है उनको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि पटवारी के ऊपर काफी पाबन्दियां लगी हुई हैं। आज हमने जो विकेन्द्रीकरण किया है उसके अन्दर पंचायतों को काफी अधिकार दिये हैं। उसमें पंच, सरपंच काफी सतर्क हैं इसलिये केवल पटवारी तक ये अधिकार मिनिमाइज़ हो जाय, यह बात नहीं। जहां तक काश्तकारों का सम्बन्ध है पटवारी मिस्चीफ नहीं कर सकते। हमने कानून और कायदे के अन्दर किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं रखी। आर्बिट्ररी एक्शन्स म्युटेशन करने गश्त गिरदावरी आदि के बारे में काफी चैक्स रखे हैं। मिसाल के तौर पर अर्ज करूं, म्युटेशन के लिये काफी कहा गया, दाखिला खारिज कर देता है, किसी के नाम दर्ज कर देता है, किसानों की होल्डिंग्स के बारे में काफी गड़बड़ी करता है इन्द्राज खसरे में करता है, उसमें गश्त गिरदावरी में कब्जा इधर का उधर कर देना, गलत इन्द्राज कर देना ये सब बातें पटवारियों के लिये खास तौर से कही गई हैं। तीसरी बात लैण्ड अलॉटमेंट के सम्बन्ध में भी कही गई, उसमें भी वह गड़बड़ कर देता है, रिश्वत की भी शिकायत है, इसी प्रकार की कई शिकायतें

(श्री दामोदरलाल व्यास)

की गई। मैं आपको अर्ज कर देना चाहता हूँ जहां तक गश्त गिरदावरी में गलत दर्ज करने का सम्बन्ध है हमने कानून में प्रोविज़न किया गश्त गिरदावरी वह खुद नहीं करता। उसके साथ लम्बरदार होते हैं, उसके साथ में उस गांव के पंच और सरपंच होते हैं। पटवारी के लिये यह लाजमी रखा गया है वह अपने टूर प्रोग्राम की सूचना हर पंच को दे। जिस इलाके में वह जाता है अमुक गांव में इस दिन हाजिर रहूंगा, इस सब की सूचना पंच और सरपंच को देनी होती है उसके साथ साथ जिस जिस जगह की गश्त गिरदावरी करेगा वह भी सूचना देनी होती है। इसके साथ साथ पंच, सरपंच को यह अधिकार दिया गया है वे पटवारी के साथ खेतों में जाय उनके साथ रहें और इसके साथ साथ यह भी है गश्त गिरदावरी में दर्ज करने का अधिकार पटवारी को नहीं दिये वह इन्द्राज डायरी में करता है उसकी इत्तला तहसीलदार को दी जाती है, वह मौके पर पहुँच कर जांच करके फैसला करता है। अगर इस नियम की पाबन्दी पंच, सरपंच करते हैं तो आप ही खयाल फरमाइये कहां गुंजाइश पटवारी को गड़बड़ी करने की रहती है ! पंच सरपंच जाते हैं और गश्त गिरदावरी करते हैं तो डायरीज में दस्तखत करने पड़ते हैं। अब कहना कि पटवारी मौके पर नहीं जाकर गाव में ही बैठ कर गश्त गिरदावरी करता है तो ज्यादा आवश्यक यह बात हमारे पंचों और सरपंचों के लिये है। वे अपने को ज्यादा मजबूत बनायें और सतर्क रहें। अगर वे सावधानी बर्तते हैं तो किसी प्रकार की मिसचीफ करने की किसी को गुंजायश नहीं रह सकती।

एक बात कही जाती है कि पटवारी इस तरह से मेन्युपुलेट करता है कि पंचायतों को इत्तला ही नहीं होने देते। कई इस प्रकार की भी शिकायतें आती हैं कि पंचायतों को सूचना नहीं दी जाती। वहां हमने बराबर एक्शन लिया और सजा भी दी है। मैं यह नहीं कहता कि सेन्ट पर्सेन्ट ठीक कर दिये हों। हो सकता है कोई पटवारी अब भी नहीं देता हो; आपका कर्त्तव्य है कि मेरे नोटिस में लायें हम तुरन्त कार्यवाही करेंगे। अभी अभी हमने १८ जिलों का दौरा किया। वहां केबिनेट की मीटिंगें की। पटवारियों की शिकायतें जरूर आयी हैं। हमारे साथ प्रधान भी रहते थे उन्होंने भी यह माना है कि पंच और सरपंच भी साथ नहीं जाते।

एक माननीय सदस्य : क्या माननीय मंत्री महोदय....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर दूं, बाद में आप पूछ लें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : बाद में मौका कहां मिलता है ?

डॉ० चन्दकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, फिर तो किसी को बोलने ही नहीं देते ....

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको तो मैं अभी उत्तर दे सकता हूँ पूछिये।

श्री पी० के० चौधरी : इस तरह से तो आप सदन में discrimination करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : iscrimination नहीं, लिबरल व्यू है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज यह कर रहा था कि अगर नियम के अनुसार कठोर चैक रखा जाय गश्त गिरदावरी आदि में तो पटवारी किसी प्रकार से भी गड़बड़ी नहीं कर सकता। इसकी बुराइयां तो बहुत बतलाई मगर जो कायदा कानून बना रखा है, जो चैक कर रखा है उसको अगर बराबर अमल में लाया जाय तो गड़बड़ी होने की कम संभावना हो सकती है। इसके अतिरिक्त भी अगर माननीय सदस्यों का कोई सुझाव हो और वह प्रेक्टिकेबल हो सकता हो तो वह मानने के लिए तैयार हूँ।

श्री पी० के० चौधरी: पंचायत समिति को सौंप दीजिये। डाइरेक्शन दे दिये जायं ऑफिसरों को इन्सपेक्शन करने के।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे लायक दोस्त ने बहस की लेकिन दर असल इस बात की जानकारी नहीं। उन्होंने कहा इन्सपेक्शन करने के लिये कहा जाय इन्सपेक्शन बहुत बड़ा चैक है। लैन्ड रेकॉर्ड्स मेन्युअल आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हरएक ऑफिसर के ऊपर लाजिमी रखा गया है कि वे इतने नम्बर चैक करें। तहसीलदार के ऊपर नायब तहसीलदार लैन्ड रेकॉर्ड्स इन्सपेक्टर से पिछले दो सालों से बराबर हिसाब लिया जाता रहा है। यहां तक कि एस० डी० ओ० तक को पुनिशमेन्ट दी गई दो तीन के ग्रेड इन्क्रीमेन्ट रोक दिये गये हैं मौके पर जाकर चैक नहीं किया इसलिये। तो सजा नहीं मिली यह बात नहीं है। एस.डी. ओ. तक को सजा मिली है। मैं तो यह कह रहा हूँ। जहां तक तहसीलदार और नायब तहसीलदार या इन्सपेक्टर के मुआयने का सवाल है उनके लिए तादाद मुकर्रर है कि इतने दिनों में इतना चैक तो करेंगे ही। गश्त गिरदावरी को चैक करने का उनका काम है। नहीं करते हैं तो वहां उनको पुनिशमेन्ट मिलता है।

अब रहा सवाल लैंड अलॉटमेन्ट का। आप जानते है कि अलॉटमेन्ट पटवारी नहीं करता। अगर रूल्स की सही तरह से पाबन्दी की जावे तो इसका तो कहीं नाम निशान ही नहीं आता इसमें। एम. एल. ए. साहब, प्रधान और उस गांव के सरपंच की एक कमेटी मुकर्रर है, एडवाइजरी कमेटी जो एब्सोल्यूटली अलॉट करती है। इसके लिये कायदा है। यह भी तहसील में बैठ कर नहीं करते, मजमे आम में अलॉट करेंगे। गांव में अमुक जगह पर जनता की इसके लिये मीटिंग बुलाई जावेगी उसमें नाम ऐलान किये जावेंगे और जिस किसी को आपत्ति होगी तो उसको सुना जावेगा और उस पर विचार और निर्णय किया जावेगा और यह सब वे ही करेंगे। तो इतना इस पर चैक रखा गया ताकि महज़ पटवारी की रिपोर्ट पर ही किसी को भूमिहीन शुमार नहीं कर लियां जावे और तहसीलदार खुद ही अलॉटमेन्ट नहीं कर दे। पटवारी से रिपोर्ट जरूर ली जाती है कि यह खेत अन्ऑकुपाइड है या नहीं, इसकी रिपोर्ट जरूर वह करता है। इसके अलावा तो सारा का सारा काम मौके पर इन लोगों की कमेटी के द्वारा किये जाने की बात है।

अब कोई फर्ज करिये कि किसी जगह इसकी पाबन्दी नहीं होती है तो मैं अर्ज करता हूं कि इसके लिए भी कई तहसीलदारों को सजा दी गई है, सस्पेन्ड किये गये हैं और दो, चार केसों में सजा भी दी गई है जिसमें उसने खुद ने बैठ कर अलॉट कर दिया है

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अथवा कमेटी के मेम्बरों को सूचना नहीं दी या शॉर्ट नोटिस देकर कानून को बाई-पास करने की कोशिश की हो तो वहां हमने बराबर सजा दी है। हम तो खुद चाहते हैं कि इस तरह की गड़बड़ी न हो और काम ठीक तरह से हो और इसीलिये इतनी रेस्ट्रिक्शन्स लगाई हैं, नियम बनाये हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह से प्रधान, सरपंच और एम. एल. ए.साहबान मौके पर पहुंच कर सारी कार्यवाही करें तो वाकई में कोई वजह नहीं कि पटवारी क्यों गड़बड़ करेगा।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : अगर इत्तला ही नहीं पहुंचे तो क्या करेंगे आप? I can quote atleast 50 cases from Sawai Madhopur istrict.

श्री दामोदरलाल व्यास : There may be 500 cases. मैं कहता हूँ उनको बिल्कुल हक है। अगर एम. एल. ए., सरपंच, प्रधान नहीं पहुँचें तो काम बन्द नहीं हो सकता। यह ठीक है वे नहीं पहुंचते हैं तो उसे पहुंच कर काम करना पड़ता है।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : जबानी फैसले होते हैं और अलॉटमेंट हो जाता है तो जमीन नहीं दी जाती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मास्टर साहब, आपका तो बहुत लम्बा केस है। इसलिये मैंने पहले पटवारी को लिया। मैं नहीं कहता कि पटवारी बहुत अच्छे ही होते हैं, वे भी गल्तियां करते हैं। पर नोटिस में आने पर सजा भी हम देते हैं। पर ऐसा सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वे पचासों बातें ऐसी रख सकते हैं। वे एम. एल. ए. हैं उनका क्या कर्त्तव्य नहीं कि वे पहले इन केसों को मेरे नोटिस में लाते, पहले क्यों नहीं लाये ?

श्री आबिदअली : वे ऐसे वक्त में नोटिस देते हैं जब या तो असेम्बली चलती है या एम. एल. ए. वहां होते नहीं, बाहर काम से चले जाते होते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह नामुमकिन है कि असेम्बली के जमाने में नोटिस दें ही नहीं। क्योंकि अलॉटमेंट का वक्त ही यही अप्रेल, मार्च का होता है। अगर इस वक्त अलॉटमेंट नहीं करेंगे तो कब किसान जमीन तैयार करेगा और कब काश्त बोएगा? तो इस लिए यह पाबन्दी आप नहीं लगा सकते कि असेम्बली के जमाने में मीटिंग न करें। जनरल ऑर्डर जरूर यह है कि जितना सम्भव हो आपकी सहूलियत को भी अकोमोडेट करें। पर मौके भी देखने पड़ेंगे कि अलॉटमेंट कब किया जाना जरूरी है। हो सकता है सवाई माधोपुर में ऐसा न हो पाया हो पर मैं समझता हूं कि आम तौर पर तहसीलदार अकोमोडेट करते हैं।

तीसरी बात क्या है? जैसा झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अलॉटमेंट करने के बाद कब्जा नहीं देते। यह हो सकता है किसी सूरत में। मैं पटवारियों के लिए उनकी जब शिकायत आती है तब रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिये तैयार हूं। जब इस तरह की शिकायतें आती हैं तभी तो हमें जानकारी मिलती है कि रूल्स में क्या क्या खामियां हो सकती हैं और तभी हम उनके लिये चैक्स, काउन्टर चैक्स सजेस्ट करते हैं

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ताकि वे खामियां आगे से रुकें और पटवारी को मौका न मिले कि वह मनचाही कर ले। अब सवाल यह है कि उसको अलॉटमेंट होने के बाद कब्जा नहीं देता तो मैं यह अर्ज करूंगा कि निशानी देही करने की जरूरत है। आम तौर पर हर किसान नम्बर नहीं जानता। ऐसी बात होगी और अगर ऐसा आप ध्यान में लावेंगे तो मैं एक्शन लूंगा और कब्जा दिया जावेगा। फिर अगर वह और किसी कारण से कब्जा नहीं दिलावेगा तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जावेगा।

म्युटेशन की बात कही गई। यह भी एक इम्पोर्टेन्ट आइटम है जिसमें पटवारी को शरारत करने का मौका मिल सकता है। पर रूल्स में आपने देखा होगा, प्रोविजन है। रूल्स में जो पॉवर्स हैं तहसीलदार को वे सारे के सारे पॉवर्स डेलीगेट किये गये हैं पंचायत को। यों ही शामिल होने के लिए पंचायत को नहीं कहा गया है बल्कि डेलीगेट किये हैं। यदि कोई शिकायत हो तो इन पॉवर के तहत में वे वही एक्शन ले सकते हैं जो तहसीलदार पटवारी पर ले सकता है। मैंने कई जगह म्युटेशन के कागज स्वयं चैक किये हैं। करता क्या है? पटवारी उन्हें पेश नहीं करता। यह शिकायत तो मैंने जरूर देखी है। जिनका नहीं होना चाहिये उनकाम्युटेशन कर दिया। इसके लिए जैसा अर्ज किया पंचायत अपने पॉवर्स का उपयोग कर सकती है।

अब रहा सवाल इस बात का कि म्युटेशन में गल्तियां होती हैं और इन्सपेक्टर बीच में आ जाता है। वह इसलिए आता है कि म्युटेशन एक इम्पोर्टेन्ट आइटम है लैंड रेकॉर्ड का। किसान की जमीन पर किसका हक है, कौन उसका मालिक है, खातेदार कौन है तो यह ट्रान्सफर होने के मामले से सम्बन्धित होने से एक इम्पोर्टेन्ट चीज़ है। यह ऐसा राइट है किसान का कि जिसको सेफगार्ड करना जरूरी है। इसलिए मेन्युवल में यह रखा गया है कि इन्सपेक्टर सेन्ट परसेन्ट इनको चैक करे, इसके बाद तहसीलदार खुद जावेगा तब पंचायत को सब्मिट होगा। डाइरेक्ट नहीं। तो यह तो जरूरी चैक है। नहीं तो जैसा मैंने कहा मैंने खुद ने देखा है कि ऐसे ऐसे म्युटेशन हो गये हैं जिनमें सारा काम जबानी हो गया। पंचायत की कार्यवाही को मैंने पढ़ा। लिखा है कि फलां आदमी हाजिर है और बयान करता है कि कुआं कीमत ६ हजार रुपया फलां को बेच दिया। पंचायत ने लिख दिया कि हां, कर दिया जावे। अब उसका रजिस्ट्रेशन नहीं, जांच रिपोर्ट नहीं, कोई डॉकुमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एक ही गांव में, इस तरह से करीब साठ, सत्तर हजार की कीमत के म्युटेशन हो गये एक साल में। रजिस्ट्रेशन नहीं, डॉकुमेंट्स नहीं, जांच रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। सिकराय से जो माननीय सदस्य आये हों तो वे इसे देख लें। मैंने वहां पर्सनेली जाकर यह देखा है।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : डीसेन्ट्रलाइजेशन जो हो गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अब इसमें क्या हुआ? यह तो हुआ सो हुआ सरकार का भी नुकसान हुआ। दो-ढ़ाई पर्सेन्ट ड्युटी की इन्कम चली गई, दो पर्सेन्ट और ड्युटी जो आनी चाहिये वह चली गई। इस तरह से चार पर्सेन्ट का घाटा सरकार को हो गया

(श्री दामोदरलाल व्यास)

और जबानी जमा खर्च से ही सारा काम हो गया।

इसके अलावा एक बात है, एक साहब ने सिवाय चक की जमीन है उसकी रजिस्ट्री करा दी, बेच दी और पंचायत में रिपोर्ट पेश कर दी। आॅर्डर दे दिया पंचायत ने। ऐसी कोई दस, बीस नहीं चार सौ बीघा जमीन है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस तरह का चैक करना जरूरी है। इस तरह के चैक से ये बातें रुकेंगी। पटवारी को डाइरेक्टली इन मामलों में डील नहीं करना चाहिये। क्योंकि पंचायतों को भी पूरी तरह से मेन्टीनेन्स ऑफ लैंड रेकॉर्ड में ट्रेन्ड करना है। It will take some time बहुत सी पंचायतें बहुत अच्छा काम भी इस मामले में कर रही हैं। ज्यादातर पंचायतें म्युटेशन का काम अच्छा कर रही हैं पर कुछ जगह ऐसी गड़बड़ी हैं। इस पर परफेक्ट चैकिंग होना, उनको ट्रेन्ड करने के लिहाज़ से भी जरूरी है। पंचायतों को अधिकार देने का मतलब यह है कि पंचायतें अपना सुपरविजन रखें कि करेक्ट एन्ट्री हुई है या नहीं और म्युटेशन ठीक वक्त पर हो गया है या नहीं और पटवारी मिस्यूज़ तो नहीं कर रहा है। इतना चैक करने के बाद में और कोई सजेशन आप बतावें कि इसके साथ में और चैक लगाने से मिसचीफ न कर सकेगा तो मैंने अर्ज किया कि ऐसे सुझाव को मैरिट पर विचार करने को तैयार हूँ। ऐसा सुझाव होगा तो उसको मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब इसके बाद इन्सपेक्शन के ऊपर सवाई माधोपुर से आने वाले माननीन सदस्य ने कहा कि कुछ ऑफिसर्स जाते हैं और जाकर उन्होंने कोई जमीन देख ली, बिल्डिंग देख ली और बहुत जोर लगाया तो रजिस्टर्स देख लिए। मैं अर्ज करूंगा कि वह महज़ इसलिए जाते हैं कि वहां जाकर वहां की हालात देखें। लेकिन इन्सपेक्शन के लिए तहसीलदार से लेकर कमिश्नर तक यह बिल्कुल सैट इन्सट्रक्शन्स हैं कि उन्हें किस तरह से इनसपेक्शन करना चाहिए। मैं यह अर्ज करता हूं कि उनका टाइम मुकर्रर है कि तहसीलदार अपनी तहसील का कितनी दफा इन्सपेक्शन करेगा और तहसीलदार का एस० डी० ओ० कितनी दफा इन्सपेक्शन करेगा, एस० डी० ओ० का कलेक्टर कितनी दफा करेगा और कलेक्टर का कमिश्नर कितनी दफा करेगा। कमिश्नर को भी उतना ही सेट इन्सट्रक्शन्स हैं कि किस किस तरह से उनको इन्सपेक्शन करना चाहिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जहां जहां ऐसा हुआ है और तहसीलदारों और एस० डी० ओ० ने ऐसे इन्सपेक्शन किये हैं और इन्सट्रक्शन्स के मुताबिक नहीं हुए हैं तो उनको वार्निंग्स मिलनी चाहिए थीं वह मिली हैं और हर लेवल पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस बात को एग्ज़ामिन करता है और कन्ट्रोलिंग ऑथेरिटी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बराबर इसको देखता है कि इन्सपेक्शन इन्स्ट्रेक्शन्स के मुताबिक हुए हैं या नहीं? वह छपे हुए इन्सट्रक्शन्स हैं और उन्हें कोई भी देख सकता है और उन्हीं के अनुसार कार्यवाही होती है। यह ठीक है कि ऑफिसर्स को सर्प्राइज़ विज़ीट्स करनी चाहिए और उस लिहाज़ से कुछ ऑफिसर्स जा सकते हैं और स्पेसिफिक काम के लिए जाते होंगे और उसको देख कर आ जाते होंगे। लेकिन जब इन्सपेक्शन के लिए जाते हैं तो आप बराबर देखेंगे कि २२

Page No.88

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पेज का इन्सपेक्शन नोट आता है। अगर माननीय सदस्य को ऐतबार नहीं है तो वह मेरे पास आएं तो मैं उनको यह इन्सपेक्शन नोट्स बता सकता हूं और पर्टिकुलरली वह अपने डिस्ट्रिक्ट का देखना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा। मैं खुद महसूस करता हूं कि इन्सपेक्शन बहुत बड़ी रेमेडी है हर मिस्चिफ को कम करने के लिए। इसलिए night halts, inspections, tours for different officers उनके बराबर Rules प्रेसक्राइब किए गए हैं और जिनके टूर कम होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन कॉल होता है और पनिशमेन्ट भी मिलता है। अब जो माननीय सदस्यों ने अपने कटमोशन पेश किये थे उनके उत्तर में यह अर्ज करना है कि लूणकरणसर और राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्यों ने करीब करीब अपने बारानी इलाके और नहरी इलाके के ऊपर कुछ बातें कहीं। यह ठीक है कि यहां सदन में एक बार नहीं कई बार जब जब भी टिनेन्सी एक्ट की धारा ५०ए में अमेन्डमेन्ट्स आये तो काफी बहस हुई और उस समय भी उन्होंने इसका विरोध किया था और मैंने भी अपनी दलीलें पेश की थीं कि मैं इसको क्यों रखना चाहता हूं ? इसी सदन ने इस कानून को बना कर दफा १५ में जब खातेदारी के राइट्स पैदा हुए तो प्रोजेक्ट एरिया चम्बल, भाखरा, गंग कैनाल और जवाई इन चार को शुरू से एग्ज़ाम्प्ट कर दिया गया था। उस समय राजस्थान कैनाल की स्कीम कम्पलीट नहीं हुई थी इसलिए उसके अन्दर उसको शामिल नहीं किया गया था लेकिन ज्यों ही स्कीम कम्प्लीट हुई और प्रोजेक्ट मन्जूर हुआ तो यह लाजमी हो गया कि इस सेक्शन के अन्दर इसको भी लेते। अब इस सेक्शन को वहां इन्सर्ट करने के बारे में माननीय सदस्य शिकायत करते हैं। वे यह करते हैं कि राजस्थान कैनाल के अन्दर लोगों को जो खातेदारी के अधिकार मिलने चाहिए थे वे नहीं दिए गए और उनसे उनको वंचित किया गया और यह उनके साथ बहुत अन्याय है। इसके लिए मेरा जबाब इतना सा है कि यह राजस्थान कैनाल का प्रोजेक्ट केवल राजस्थान के लिए ही नहीं है, यह सारे देश की अन्न की समस्या को हल करने वाला प्रोजेक्ट है और यह इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि आज इस स्थिति को मान लिया जाये कि जिनकी जमीन है उनके खातेदारी के राइट्स उतनी ही जमीन पर मान लिए जायें तो पोज़ीशन यह होगी कि सरकार के पास कोई भी जमीन लोगों को देने के लिए नहीं रहेगी। आज खातेदारी के अन्दर उस जमीन को रिकग्नाइज़ कर लेते हैं दफा १५ में तो नतीजा यह होगा कि एक अरब रुपया खर्च करके तो प्रोजेक्ट बनाया सिर्फ अन्न की समस्या हल करने को और भूमिहीनों को भूमि देने का तो खातेदारी राइट्स दे देने से सरकार के पास अलॉटमेन्ट के लिए जमीन नहीं रही और भूमिहीनों की समस्या हल नहीं हुई। पहले जिनके पास वहां पर दो, तीन सौ बीघा बारानी जमीन और अब वहां नहर आ जाने से वह उस नहरी जमीन को ले बैठे। मेरे ख्याल से कोई माननीय सदस्य इस बात को नहीं मानेगा कि जिस समस्या के हल के लिए हमने इतना रुपया खर्च किया है उससे कोई लाभ न हो और अन्न की समस्या और भूमिहीनों की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। जी हां, यह ठीक है कि जिन आदमियों को इस कानून के बनने के पहले मिल गई तो उनसे हमने

-(श्री दामोदरलाल व्यास)

नहीं छीनी है। मगर टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत सारी जमीन पर खातेदारी के राइट्स देना किसी तरह से भी राजस्थान कैनाल के अन्दर देना जस्टीफाई नहीं हो सकता।

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि बीकानेर के क्या अधिकार थे? बीकानेर में सैटलमेन्ट के जमाने में जिनको खातेदार मान लिया उनको हमने भी खातेदार ही माना है और वे अब भी खातेदार ही हैं। लेकिन बीकानेर के जमाने में जो खातेदार नहीं था और जो आरज़ी काश्तकार था उनको हमने भी आरजी काश्तकार ही माना है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनको ऐसा कहा है कि जब नहर आ जायेगी तो प्रायोरिटी दी जायेगी, सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी। इसलिए उनके राइट्स पर कोई असर नहीं पड़ता। जमीन उनको बराबर मिलेगी और वह नहरी जमीन होने पर मिलेगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सीलिंग के अन्तर्गत जितनी जमीन आती है उतनी तो कम से कम उनको मिल जाये।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्यों मिल जाये? यह डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बनवाना चाहते हैं कि सीलिंग में जो कल तक या आज बारानी जमीन है वह कल नहरी होगी? मेरे दोस्त समाजवाद की बहुत बातें करते हैं। मुझे अफसोस हो रहा है इस बात का कि वे कहते हैं कि जिनके पास बारानी जमीन बीकानेर के इलाके में थी उनको नहरी जमीन उतनी दे दी जाये, जैसे किसी के पास २०० बीघा बारानी जमीन थी तो उसके स्थान पर उन्हें २०० बीघा ही नहरी दे दी जाये, यह कैसे हो सकता है? आप खुद ही सोचिये। आपका समाजवाद मानने का मतलब यही है कि उनको खातेदारी दे दी जाये, सारी जमीन पर? इस स्प्रिट को देखिये और आप देखिये कि जिस कारण से हम उनको अधिकार नहीं दे रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम जब समाजवाद की बात करते हैं तो उस समय हमें अपने स्टेन्डर्ड को उसी दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा जैसा कि दूसरों को देखते हैं। हमें एक दृष्टि से यह देखना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है जिसको हम करना चाहते हैं। हम कोलोनाइजेशन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हर एक आदमी जिसके पास जमीन नहीं है हमारे यहां के लोगों को ही नहीं बल्कि दूसरी जगह के भी लोगों को जमीन मिले। हम यह नहीं चाहते हैं कि वहां जितने आज लोग हैं वह बड़े बड़े होल्डिंग्स लेकर कल से नहरी जमीन के मालिक बन जायें। तो यह कानून सदन ने बनाया है, वह बन चुका है और उस पर अमल भी हो चुका है। मैं समझता हूं कि उसके अन्दर संशोधन करना ठीक नहीं होगा।

अब दूसरी बात यह है कि मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए भी आपसे कहूं कि मैकेनाइज्ड फार्म का कोई प्रोविजन सीलिंग में नहीं है। वैल मैनेज्ड डेफिनेशन तय करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मैकेनाइज्ड फार्मिंग क्या है?

अब दूसरी बात यह है कि एक माननीय सदस्य ने यह कहा, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि ५५ में जिनको अधिकार मिल गये हैं उनसे १९५६ में एक एमेंडमेंट लाकर अधिकार ले लिये गये हैं। उनको अब ट्रेसपासर्स डिक्लेअर करके पीनाल्टी ली जा रही है। मैं समझता हूं कि अगर पिछली पेनेल्टी ली जाती होगी और कोई ऐसी बात होगी जो कि मेरे ध्यान

(श्री दामोदरलाल व्यास)

में नहीं है कि इस तरह की बात अगर होगी तो जरूर उसको बन्द करेंगे जिस तरह की बात उन्होंने बतलाई है।

मालिकाना के लिए वे खुद भी कह गये कि जो एरिया कमान्डेड है राजस्थान कैनाल का, पहले से ही उनके यहां कम करने के लिए आदेश दे दिये गये हैं....

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : बांसवाड़े का था।

श्री दामोदरलाल व्यास : I am coming to Banswara. Wait please, मालिकाना के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि लिफ्ट इर्रिगेशन की कोई स्कीम नहीं है गवर्नमेंट के पास में। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उसके अन्दर कमान्ड एरिया में कोई कमी बेशी हो सकती है। मगर इर्रिगेशन डिपार्टमेंट ने कितना एरिया फ्लो में होगा और कितना लिफ्ट में होगा वह समूचा तय कर रखा है। उनको गलतफहमी है इसलिए वे समझे कि कोई स्कीम नहीं है। स्कीम है और एरिया मुकर्रर है। उनको कहीं से गलत सूचना मिल गई है। सिंचाई मंत्री महोदय ने जो जबाब दिया था उसको वे गलत समझ गये हैं। उन्होंने यह नहीं कहा स्कीम नहीं है। कमाण्ड का एरिया नहीं है। वह दुबारा सुधार लें अपनी जानकारी को।

लैण्ड कमीशन की रिपोर्ट के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा कि उसकी रिकमन्डेशन के इम्प्लीमेन्टेशन के लिए कार्यवाही नहीं की गई। तो लैण्ड कमीशन की रिपोर्ट के लिए मैं अर्ज करूंगा कि जो भी उन्होंने रिकमन्डेशन दी हैं आप मुलाहिजा करेंगे तो पता लगेगा कि रिकमन्डेशन्स का बराबर इम्प्लीमेन्टेशन होता है। इम्प्लीमेन्टेशन होता है या नहीं, इसको देखने के लिए एक कन्सलटेटिव बोडी बना दी है। कुछ एम. एल. एज़. साहबान भी उसमें हैं। वे उसको बराबर देखते हैं।

भाखरा के लिए एक माननीय सदस्य ने कहा कि भाखरा प्रोजेक्ट के अन्दर पहले २५ बीघा जमीन दी गई है भूमिहीनों को और फिर बाद में १५ बीघा कर दी गई। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं भाखरा के अन्दर, मेरे पास स्टेटमेंट तो इस वक्त नहीं है, मगर भाखरा के अन्दर जितनी ज़मीन थी उस हिसाब से २५ बीघा भूमिहीनों को देने के लिए तय किया गया। लेकिन भूमिहीनों की तादाद बढ़ गई लेकिन जमीन कम थी तो लाज़िमी तौर से उसको कम करना पड़ा और १५ बीघा रखना पड़ा। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को महसूस करेंगे कि १५ बीघा इर्रिगेटेड नहरी जमीन एक भूमिहीन किसान के लिए कम नहीं है। ....

कई माननीय सदस्य : काफी है, सफिशियेन्ट है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिए उसका क्रिटिसिज्म किसी तरह से वाजिब नहीं होता है कि कम कर दिया।

कीमत के लिए कहा गया कि भूमिहीन किसानों से किश्तों में ली जाती है और पेशगी कीमत ली जाती है। यह बात सही है, मगर भूमिहीन किसानों में से आज तक किसी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ने रिप्रेजेन्ट नहीं किया कि कीमत नहीं लेना चाहिए। जिस जमीन की सरकारी कीमत १०,०००) रु० उसकी कीमत बाजार के अन्दर २०,०००) रु० हैं। उस जमीन के लिए कोई भी भूमिहीन उस बात के लिए ऐतराज नहीं करता है। फिर वह १५ किश्तों में लेंगे और १५ किश्तों में जाकर कीमत वसूल करेंगे। एक मुश्त कीमत लेने का सवाल नहीं है।

इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने चरागाह के ऊपर काफ़ी अपने अपने इलाके की बात कही है। तो मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक चरागाह का प्रश्न है, नियम का सवाल है वह बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें किसी तरह की कमी नहीं है कि किस तरह से चरागाह डिमार्केट होंगे। चरागाह के लिए जहां सेटलमेंट होता है तो सेटलमेंट ने डिमार्केशन कर रखा है। चरागाह और घासमारी के लिए पाली से आने वाले माननीय सदस्य और जोधपुर की तरफ से आने वाले माननीय सदस्य को काफी ऐतराज़ है। तो चरागाह के लिए इतनी बात अर्ज़ करूंगा कि जहां पर अन्ऑक्युपाइड, सिवाय चक जमीन है तो जमीन के अलॉटमेंट रूल में पहली बात यह है कि अलॉटमेंट तब होगा जब कि चरागाह का डिमार्केशन हो जायेगा। एलॉटमेंट का जहां सवाल है तो बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं कि जिनमें जमीन नहीं है उनमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि चरागाह के लिए लैंड-एक्वायर करके देना पोसिबल नहीं है। उसके लिए यही है कि किसानों को या उन लोगों को जो कि प्रोफेशनल पशुपालक हैं उनको इस आदत को डालना पड़ेगा, उनको स्टाल फीडिंग की आदत को डालना पड़ेगा, जो कमर्शियल बेसिस पर जानवर रखते हैं उनको इस बात के लिए इन्तज़ाम करना पड़ेगा। जहां पर ज़मीन एवेलेबल है वहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रेजिंग ग्राउन्ड को दी है, और ग्रेजिंग ग्राउन्ड्स को पंचायतों के सुपुर्द करने के आदेश हैं। यह ठीक है कि कई जगह से शिकायतें आई हैं कि पंचायतों को ग्रेजिंग ग्राउन्ड सुपुर्द नहीं किया गया है, उनका डिमार्केशन नहीं किया गया। डिमार्केशन नहीं होता है तो उसके लिए मैं अर्ज करूंगा कि जहां पर डिमार्केशन नहीं होता है या उसमें देरी होती है तो उसका कारण सिर्फ यही है कि जमीन एवेलेबल नहीं है। अगर ज़मीन एवेलेबल है तो ट्रेसपासर्स ने बहुत सारों के कब्जा कर रखा है और ट्रेसपासर्स को इजेक्ट करने के लिए जितना समय लगता है वह माननीय सदस्य खुद जानते हैं। इस वजह से देरी होती है वर्ना इन्स्ट्रक्शन्स बड़े क्लिअर हैं। अगर माननीय सदस्य किसी खास जगह की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करेंगे कि अमुक जगह चरागाह पंचायत के सुपुर्द नहीं किया गया है और डिमार्केशन में देरी हो रही है तो अवश्य उसकी जानकारी करके कार्यवाही करने की कोशिश करूंगा।

घासमारी का जहां तक सवाल है जोधपुर स्टेट में यह एक सेस था। राजस्थान का यह अलग सेस नहीं है। असल में यह ग्रेजिंग चार्जेज़ हैं और ग्रेजिंग चार्जेज़ उस जमीन के ऊपर हैं कि किसी गांव के अन्दर कॉमन ग्रेजिंग ग्राउन्ड निकालने के बाद में जितनी सरकारी जमीन रहती है उस पर नेचुरल, प्रोड्यूस के चार्जेज़ हैं। तो, पशु पालक जो कमर्शियल बेसिस पर ऊंट रखते हैं, भेड़े रखते हैं वे

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अगर चरागाह के लिए जो जमीन है उससे अलग चराते है तो चार्जेज लिये जाते है। यह जो सेस या चार्जेज़ हैं वे डिफ्रेन्ट जगह पर डिफ्रेन्ट हैं, अलग अलग जगह अलग अलग हैं। जागीर से जागीर में डिफ्रेन्ट हैं, खालसे से खालसे में डिफरेन्ट हैं। उनको रेशनलाइज़ करके घासमारी किस तरह से बन्द की जाय और बन्द करके जो अनुऑक्युपाइड लैण्ड सरकारी है उसकी नेचुरल प्रोड्युस, चरागाह के लिए ज़मीन निकालने के बाद, किसी तरह से सिवाय चक बनने के बाद सरकारी लैण्ड रेवेन्यू की तरह सेस है। उस लैण्ड के लिए सरकार विचार कर रही है और बहुत जल्दी ही निर्णय कर दिया जायेगा।

इसके साथ साथ यह भी माननीय सदस्य ने कहा कि जहां तक पंचायतों का प्रश्न है चरागाहों को डेवलप करने का, मैनेज करने का एडमिनिस्टर करने का उनको पूरा अधिकार है, अगर वह उसको कर सकता है।

एक माननीय सदस्य जो जयपुर से आये हैं उन्होंने एक बात पूछी और वह बात बहुत महत्व की है। उनके ख्याल से लैण्ड रेवेन्यू के एरियर्स बहुत ज्यादा हैं। कई करोड़ रुपया बतलाया। कितने एरियर्स हैं, वह यह जानना चाहते थे कि इतने एरियर्स क्यों रह गये। तो उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उनके खयाल में जितने एरियर्स हैं उतने एरियर्स हैं नहीं। लेटेस्ट एरियर्स की जो पोज़ीशन है वह इस तरह से है :—

डिमान्ड फर्स्ट ईअर की थी ७,०५,००,०००)रु. उसमें से६,७६,००,०००) रु. का बेलेन्स था। ५० लाख एरियर्स वसूल हुए थे। लास्ट इयर की करेन्ट डिमान्ड ७,६१,२७,७७६) रु. की थी। उसमें से ६,६४,१६,३१२) रु. वसूल हुआ। ८६ पर्सेन्ट रियलाइजेशन करेन्ट डिमान्ड के अन्दर हुआ था। अब सवाल यह है कि १४ करोड़ एरियर्स में से ७ करोड़ वसूल हो गया और ७ करोड़ रहा तो कुल ११ करोड़....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): ६,३४,००,०००) रु० का है।

श्री दामोदरलाल व्यास : You are probably having an old figure. I will give you the latest figure. It is now exactly 7,05,64,045/-.

तो ७,०५,७४,०४५ का एरियर है। तो ७ करोड़ का हिसाब बता देता हूं कि वह किस तरह से है तो आपको मालूम हो जायेगा कि दरअसल में इतना एरियर है नहीं।

जो अमाउन्ट सस्पेन्डेड है वह है ११,०८,०२८) रु.। अमाउन्ट जो रेमिट करना है वह है २६,५२,५१३) रु.। यह रेमिट करना है। रेमिटेन्स के ऑर्डर्स नहीं हुए हैं। इसलिए एरियर्स बताये गये हैं। स्टे जिसको कर रखा है वह है १६,५६,१३३) रु.। अमाउन्ट जो राइट ऑफ करना है वह है ३,६५,७६,२३६) रु. उसमें ३,४०,००,०००) रु. को राइट ऑफ करने का फैसला हो चुका है। अब इसमें डिसीज़न बाकी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह फैसला किसने किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्नमेंट ने फैसला किया है। वह इसलिए किया है कि जागीरदारों में बकाया था वह बख्शी खाने की पेनल्टी तफावत का बकाया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह कौन सा ठिकाना है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ईसरदा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसको बेच दें तो भी पूरा न होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : But the position is जो अमाउन्ट कायम किया गया वह गलत था, कागज में ही निकलता था इसलिये उसे राइट ऑफ करना पड़ा।

यह है १ करोड़ ५१, लाख रुपया। इस तरह से रिकवरेबल कुल बकाया देखेंगे तो १,०१,३८,१४२) रु. की रहती है, बाकी रिकवरेबल नहीं है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बहुत बढ़िया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप जो बताते हैं कि इतना अमाउन्ट रह गया है, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि मैंने बताया ८६ पर्सेन्ट रिअलाइजेशन करेन्ट डिमान्ड का है। एरियर्स के लिये...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह एक करोड़ कब राइट ऑफ हो जायेगा ताकि हिसाब बराबर हो जाय ?

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): आप शहर में रहते हो आपको क्या मालूम !

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह बता रहा था कि एक्चुअली बाकी नहीं था, कागज़ों में था....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो केवल इतना ही पूछना चाहता था कि कमेटी ने ऐसा फैसला दिया था क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, उसकी रिकमन्डेशन्स हैं It was scrutinised by Officers and the Committee both.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : And then that Committee made this recommendation ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Certainly. And if you want more details you can put me a question and I will give you more details.

रिलिजियस ग्रान्ट्स के बारे में माननीय सदस्य ने कहा कि अब तक उनको रिज्यूम क्यों नहीं किया गया तो मैंने अर्ज किया कि जहां तक जागीरदार से संबंधित रिलिजियस ग्रान्ट्स का सम्बन्ध है वे रिज्युम हो गई हैं अब तो सेकिन्ड मार्च का नोटिफिकेशन है there is not a single bigha of jagir left un-resumed in Rajasthan. जागीरदारों और बिस्वेदारों के लिये ऑर्डर हो चुका है वेस्ट होने का। जो रिलिजियस जागीर्स हैं उनको इन्कमवाइज़ ले रहे हैं। पहले १० हजार की रिज्युम की, फिर ५ हजार की की। We will go further ahead. यह मैं बतादूं कि देरी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन क्योंकि खास तौर से मन्दिरों का सवाल है इसलिये उनको इस तरह से रिज्यूम करना चाहते हैं कि मन्दिरों की व्यवस्था में गड़बड़ न हो। उनके कम्पेन्सेशन का, मेन्टीनेन्स का सवाल तय करना है, स्लो जाने का सवाल नहीं है। मेग्नीट्यूड का वर्क है इसलिये यह देखना पड़ेगा कि मन्दिरों के इन्तज़ाम में खामी न हो क्योंकि मन्दिरों में गांव भर के लोग श्रद्धा रखते हैं।

घासमारी के बारे में मैं पहले अर्ज कर चुका हूं।

सरदार समन्द तालाब के बारे में माननीय सदस्य ने कहा कि यह ऐसा तालाब है जिसमें पानी न होने से किसानों को इससे पानी नहीं मिल रहा है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टिनेन्सी लॉ में ऐसा प्रोविजन है कि जहां ऐसे सरकम्सटान्सेज हों कि किसानों को पानी नहीं मिल रहा हो तो एबेटमेंट की कार्यवाही कर सकते हैं। जनरल कम्पलेन्ट है तो मैंने जांच करवाई है कि आया सरदारसमन्द इस योग्य है या नहीं। पर्मानेन्टली पानी देने योग्य नहीं है, ऐसी रिपोर्ट आई तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि लगान नहीं लिया जायेगा। यदि बारानी है और पानी मिलने की आशा नहीं है तो सरकार के पास लगान लेने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और न सरकार लेना ही पसन्द करेगी।

अलॉटमेंट के बारे में बताया था, टेम्प्रेरी अलॉटमेंट का कायदा नहीं है। जहां के बारे में वे कहते हैं वहां की जानकारी कराऊंगा और वाकई ऐसा हुआ है तो उस पर कार्यवाही की जायेगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि सारी जमीन जितनी भी है उसको कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिये देना है और उस बात को रिव्यू करना पड़ेगा। कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिये इमिजियेटली नहीं दे सकने की हालत में जमीन खाली पड़ी रहती इसलिये कहीं कहीं एक साल के लिये इमिजियेटली किसानों को अलॉट करने के लिये कहा था ताकि जमीन यों ही पड़ी न रह जाय। ऑर्डिनरिली लैंड अलॉटमेंट के रूल्स हैं उनको माना जाना चाहिये।

अब रहा सवाल जमीदारी एबोलिशन के लिये। माननीय सदस्य जो डीग से आये हुए हैं उन्होंने इस के बारे में सदन में कहा है कि बजाय जमीदारों को राहत देने के उन्हें तकलीफ दी जा रही है। एक माननीय सदस्य जो धौलपुर से आये हैं उन्होंने कहा कि जमीदारी जहां एबोलिश हुई है वहां किसानों पर दुगुना वजन पड़ा है। मैं यह नहीं कहता कि उनकी सूचना गलत है क्योंकि यह उनकी कॉन्स्टिट्युएन्सी की बात है शायद उनको जानकारी होगी उन्होंने कहा गड़बड़ी हुई है तो जमीदारी एबोलिशन एक्ट में ऐसा प्रोविजन है कि सरकार वही लगान लेगी जो काश्तकार जमीदारों को देते थे। यह प्रोविज़न एक्ट में मौजूद है इसलिये दुगुना, तिगुना लेने का सवाल नहीं है। कल उनके जानकारी देने के बाद मैंने वहां के एस० डी० ओ० से बात की तो उन्होंने इससे अनभिज्ञता प्रकट की और कहा कि ऐसी उनकी जानकारी नहीं है। सरकार ने वही लगान लिया है जो जमीदारों द्वारा लिया जाता था। वे माननीय सदस्य अभी यहां पर हैं नहीं, यदि वे बतायेंगे तो उस पर एक्शन लूंगा। दुगुना-तिगुना लगान लेने का सवाल

(श्री दामोदरलाल व्यास)

नहीं है । नो लोस नो प्रोफिट बेसिस पर चल रहा है ।

दूसरी बात डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने कहीं कि जमीदारों को तकलीफ हो रही है । हो सकता है कि उन्होंने इनके पास रिप्रजेन्टेशन किया होगा कि बड़ी तकलीफ हो रही है लेकिन मैं कहना चाहता हूं....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उन्होंने मन्त्रीजी से भी कहा था।

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे कहा था और मैंने उनको जबाब भी दिया वही अर्ज करता हूं । जमीदारी एबोलिशन में जितनी जमीन जमीदारों की है वह स्टेट गवर्नमेंट में वेस्ट होती है । अब जमीदार चाहते हैं कि उनकी प्रोपर्टी वेस्ट होने से अलग रखी जाय तो उसके लिये प्रोपर्टी की लिस्ट कौन पेश करेगा कि अमुक जमीदार के पास कितनी बावड़ियें हैं, कितने तालाब हैं, कितने कुए हैं, कितने बाग हैं । इस सब की लिस्ट पेश करनी पड़ेगी....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : नोटिस कम था इस बात की शिकायत है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक क्लेम भरने का सवाल है' हमने हिदायत कर दी कि पटवारी यह काम कर देंगे....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह ऑर्डर तो अब किया है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : केबिनेट मीटिंग होने से पहले ही यह ऑर्डर दे दिया था । जमीदारों ने यह चाहा कि प्राइवेट प्रोपर्टी की तफसील भी तहसीलदार दें तो उनके लिये यह मुमकिन नहीं है । प्राइवेट प्रोपर्टी की लिस्ट तो जमीदारों को ही देनी पड़ेगी । आप यदि यह महसूस करते हैं कि टाइम कम दिया है तो और बढ़ा देंगे, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, उनको राहत पहुंचाने को तैयार हूं । मैंने पहले भी कहा था कि एबोलिशन करने का जो फंडामेंटल प्रिन्सिपल है उसमें कोई लीनियेन्सी नहीं हो सकती वर्ना जागीरदारों की, जमींदारों की या बिस्वेदारों की जो दिक्कत है उसको मिटाने को मैं हर वक्त तैयार हूं । अगर आप यह ख्याल करते हैं कि टाइम कम दिया है तो मुझे आपत्ति नहीं है । यदि इसमें लेजिटिमेटली टाइम देने की आवश्यकता है तो मैं उसके लिये तैयार हूं ।

अब एक अहम बात यह कहना चाहता हूं रेन्ट रेट के बारे में काफी माननीय सदस्यों ने दिलचस्पी ली । रेन्ट रेट जो राजस्थान में है उसको दोहराने के लिये कट मोशन्स भी आये हैं कि रेन्ट रेट को रेशनलाइज़ क्यों नहीं किया जाय । मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जहां रेशनलाइजेशन का प्रश्न है मैं समझ नहीं पाया कि आखिर आपकी क्या मुराद है ? यदि आप की यह मुराद है कि बारानी की एक लगान कायम कर दी जाय, नहरी की एक रेट कायम करदी जाय तो मैं अर्ज करूंगा कि यह हो नहीं सकता । यह मुराद है कि जो कानून पास किया है, प्रिन्सिपल्स कायम किये हैं, उन पर जो रेन्ट रेट्स कायम होंगे यदि यह मुराद है तो अर्ज करूंगा कि जहां पर सेटलमेंट और रीसेटलमेंट हुआ है वहां इन प्रिन्सिपल्स को फोलो किया गया है और यदि सरकार के ध्यान में

(श्री दामोदरलाल व्यास)

यह बात आवे कि ज्यादा लगा दी है तो रूल्स इसलिये बनाये हैं कि हार्डशिप लगान में कम कर दें

४ म० प०

चाहे वहां सेटलमेंट रीसेन्टली हुआ हो। ऐसी बहुत जगह हुआ है....

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : टौंक में हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : टौंक में नहीं हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए....

श्री चन्दनमल वैद : और जगह हुआ है, टौंक में नहीं हुआ है। शेरशाह की लड़ाई हुई तब की रेन्ट रेट्स वसूली की जाती हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन से जमाने की ?

श्री चन्दनमल वैद : शेरशाह के जमाने की।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको धौलपुर की फिक्र है। धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य कल से कहते आ रहे हैं कि २० रुपया बीघा रेंट रेट है, २२ रुपया बीघा रेंट रेट है। मैंने रेंट रेट्स वहां से मंगा ली है, मैं उन्हें पेश करता हूं फिर कैसे २२ रुपया बीघा रेंट रेट है, यह देख लीजिये। उनके यहां परगना राजाखेड़ा, परगना बसेड़ी, परगना बाड़ी, परगना गिर है। धौलपुर के इन चारों परगनों में जो रेंट रेट है वह मैं अर्ज करता हूं इसे ध्यान में रखें कि जमीन चाही है। राजाखेड़ा में ६.५० एक एकड़। दूसरी बात देखियेगा बसेड़ी में There is no Chahi in Pargana Barhi. परगना बाड़ी में ६ रुपया एक एकड़....

श्री सूबेदारसिंह : ६ रुपया एकड़ है या बीघा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एकड़ बता रहा हूं।

श्री सूबेदारसिंह : हां, तो ६ रुपये का १७ रुपये हो गया।

श्री चन्दनमल वैद : कितना फर्क हो गया जिसका आप उलहना दे रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : १७ रुपया राजस्थान में सब जगह है। मैं अर्ज करता हूं कि जमीन चाही ए है, आप समझ लीजिये। यह ठीक है कि सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य चाही का महत्व न समझें, क्योंकि वहां जमीन बारानी है। मैं चाही 'ए' के लिए बता रहा हूं....

श्री चन्दनमल वैद : It is equal to Ganganagar, not better than that.

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं बता रहा हूं। It is much better than that. चाही ए का महत्व समझें, नहरी जमीन। चाही 'ए' में ज्यादा पैदा होती है। यह दूसरी बात है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है।

अब भाखरा, गंगानगर के लिए शिकायत है। मुझे भी थोड़ी बहुत शिकायत है....

श्री चन्दनमल वैद : शिकायत नहीं है।

Page No.97

श्री दामोदरलाल व्यास : लेकिन आपको यह जानकारी नहीं है कि लगान क्या रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि चार आने, छः आने ले रहे हैं, यह सही नहीं है। भाखरा प्रोजेक्ट, गंग केनाल में यह लगान नहीं है। वहां नहरी का लगान कायम है, जो बीकानेर स्टेट ने लागू किया था, वह चल रहा है....

एक माननीय सदस्य : गंग केनाल में नहरी लगान क्या है, वह बता दीजिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे याद पड़ता है, दो रुपये, तीन रुपये बीघा है....

श्री सूबेदारसिंह : चाही जमीन का है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां चाही नहीं है, आप फिक्र मत कीजिये। आपने जोश में आकर धौलपुर के लिए २२ रुपया बताया। मैंने कोशिश करके देखा और सोचा कि लगान इतना है तो उसको कम करने के लिए कार्यवाही करेंगे। आपने २२ रुपया २४ रुपये बीघा का बताया था....

श्री सूबेदारसिंह : ६ रुपये बीघा लेते हैं, जमीदार क्या ले रहा है, राज्य क्या ले रहा है, वह सब २५ रुपये के करीब बैठेगा ...

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं सेटलमेंट की रेट्स बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा हूं कि मुझे अब धौलपुर के लगान के सम्बन्ध में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके अनुसार चाही 'ए' का लगान इतना हो सकता है तो और जमीन का लगान क्या होगा ?

अब रहा सवाल जमीदारी का' जमींदारी खत्म हो गई। जमीदारी खत्म होने के बाद सरकार ने वही रेंट रेट्स लगाई, जो सेंक्सन्ड थी। अब री-सेटिलमेंट करने की दृष्टि से, मैं इस बात को इन्कार नहीं करता कि री-सेटिलमेंट के लिए ड्यू है और री-सेटिलमेंट काश्तकारों के हक में पड़ता है तो भी मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन री-सेटलमेंट के लिए हमको सर्वे करानी पड़ेगी, जो 'लैंड रेवेन्यू एक्ट है, उसके प्रोविजन्स के अनुसार यह देखना पड़ेगा कि यह काश्तकारों के हित में है या नहीं और री-सेटलमेंट में जो खर्चा होगा उस दृष्टि से भी कराना ठीक होगा या नहीं लेकिन प्राइम फेसी अगर रेंट रेट ज्यादा हो गई हैं तो रेंट रेट्स को कम करने के लिए कार्यवाही करने में मुझे आपत्ति नहीं है, मगर आप अपनी रिपोर्ट के साथ मुझे कन्विन्स कर देंगे।

अब सेटिलमेंट के बारे में कुछ....

श्री मोहरसिंह (चुरू) : गंग केनाल में आने बीघा का है।

श्री चन्दनमल बैद : He is challenging your statement.

श्री दामोदरलाल व्यास : He might challenge, but I don't accept it. उनको पता नहीं है कि गंग केनाल के अन्दर Malikana is a part of land Revenue मालिकाना जो है it is a part of land Revenue. यह चार्ज करने के लिए

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कोलोनाइजेशन एक्ट में प्रोविजन है We can impose it immediately wben the water comes. वह मालिकाना उन लोगों से लेते हैं जो मौरूसी नहीं हैं। उनसे चार रुपये तक मालिकाना वसूल किया जाता है, वह आपको पता नहीं है....

श्री मोहरसिंह : मुझे पूरा पता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मालिकाना चार्ज होना शुरू नहीं हुआ है। नहरी जमीन का बारानी जमीन पर रेंट चार्ज नहीं होने वाला है, इसकी चिन्ता होने की बात नहीं है। इसके लिए आपको धन्यवाद है कि सरकार के नफा-नुकसान की तरफ आप ध्यान दिलाते रहते हैं....

श्री चन्दनमल वैद : आपको आभारी होना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कह रहा हूं, मैं आभारी हूँ, मैं धन्यवाद दे रहा हूं।

अब नागोर से आये हुए माननीय सदस्य को बहुत परेशानी है कि पहले सेटलमेंट हुआ, वह वन-थर्ड बेसिस पर हुआ था, अब वन सिक्स्थ बेसिस का कानून बन गया है, इसलिए सारा सेटलमेंट रद्द कर देना चाहिए। वे चाहें तो मैं इस तरह की रिपोर्ट बता सकता हूं कि वन-थर्ड के बेसिस पर जो हुआ था वही वन सिक्स्थ में होगा उसमें अन्तर नहीं होगा। चाहे वन-थर्ड का बेसिस हो, चाहे वन-सिक्स्थ का बल्कि जो कमी हुई है उससे मंहगाई कम्पेन्सेट कर देती है। इसलिए उस चीज के लिए कहें कि वन-थर्ड हुआ उसको वन-सिक्स्थ कर देना चाहिए, यह गलत बात है; इसे मंहगाई के साथ में रखते हुए देखेंगे तो दूसरी बात है। जब जो सेटिलमेंट है उसका एक तरीका है, उसकी एक मियाद है, होच पोच नहीं है कि चाहे जब कर सकते हों, चाहे जब बना दें। इससे सेटिलमेंट की सैंक्टिटी कायम नहीं होगी। इसके साथ ही जहां हार्डशिप होगी उन जगहों को अलग तरीके से कन्सीडर किया है और करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने लैंड रिफॉर्म्स के इम्प्ली-मेंटेशन के बारे में, पर्टिक्युरली १५ ऑफ टिनेन्सी एक्ट एन्ड १६ ऑफ टिनेन्सी एक्ट के बारे में काफी कहा और बतलाया कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक इम्प्लीमें-टेशन का सवाल है, दफा १५ ऑफ टिनेन्सी एक्ट और दफा १६ के लिए जो इन्स्ट्रक्शन दिये गये हैं वे बराबर बहुत डेफिनेट और क्लीअर इन्स्ट्रक्शन रेवेन्यू ऑफिसर्स को वक्त वक्त पर दिये गये हैं कि किस तरह रेकॉर्ड करना चाहिए। मगर कुछ जगह से शिकायत आई कि उन इन्स्ट्रक्शन के मुताबिक रेकॉर्ड नहीं हुआ। तो अब जो लास्ट इन्स्ट्रक्शन दिया है उसको मैं आपको पढ़ कर सुना दूं, जिसमें दो महीने का टाइम दिया गया है कि within two months. पहले मैंने माननीय सदस्यों से कहा था कि जब दो महीने खत्म हो जायेंगे तब मैं इस स्थिति में हो जाऊंगा कि मैं बता दूं कि राजस्थान में कुल कितने आदमियों को खातेदार का राइट मिल गया, सब-टिनेन्ट, टिनेन्ट, खुद-काश्त, टेम्प्रेरी कल्टीवेटर्स, गैर खातेदारी थे उनमें से कितनों को मिल

(श्री दामोदरलाल व्यास)

गया। जो लास्ट लैटर लिखा गया है, उसमें जो इन्स्ट्रक्शन दिये गये हैं, यह नहीं है कि कोई स्टेप नहीं लिया गया है। जो लास्ट लैटर लिखा है वह १६ फरवरी का है, उसमें दो महीने का टाइम दिया है, दो महीने के टाइम में कम्प्लीट करके, कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भेज दें। अब क्या ऑर्डर दिया गया है उसकी क्या तामील हुई है, वह बता दूं "The Government are anxious to know whether persons of the categories mentioned in para 3 have actually been recorded as khatedari tenants and necessary mutations effected. How many applications for declarations..." जिसके नाम एनुअल रजिस्टर में दर्ज नहीं हुए उनके नाम दर्ज कराये हैं "...How many applications for declarations under sub-section (2) of Section 19 of the Tenancy Act have been filed by persons mentioned in paragraph 4 above and how many of them have been disposed of. Detailed reports on this point may kindly be furnished within two months from the date of receipt of this letter. I may also add that if any action has not been taken, for that explanation should be furnished and who is responsible for that." मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि १६ फरवरी का लैटर है, उसमें दो महीने की मयाद दी थी। जब माननीय सदस्य यहां से, विधान सभा से जायेंगे तो देखेंगे कि हर तहसील में, जहां रेकॉर्डिंग नहीं हुआ वहां हो रहा है and the Government will positively get the information within two months.

श्री मोहरसिंह : On a point of Olarification...

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow any clarification on this point.

श्री दामोदरलाल व्यास : The Chair has not allowed you. मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूं।

श्री पी० के० चौधरी : शिकमी काश्तकार का....

श्री दामोदरलाल व्यास : I am just coming to your Bapotidars. तो मैंने एक बात बता दी कि जहां तक रेकॉर्डिंग का सवाल है Record will be completed everywhere by the end of April positively and every Commissioner and Collector is getting it done under their personal supervision. इसलिये इसमें आपके बपौतीदार हैं Bapotidars will also be covered by this. इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। माननीय सदस्य ने बार बार कहा कि सांभर शामलात में कई बपौतीदार हैं जिन्होंने टिनेन्ट्स को बेदखल करने की कार्यवाही की है, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेज़ चला कर और और तरह से। जहां तक क्रिमिनल केसेज़ का सवाल है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि the law must have its own course. मैं कुछ कर नहीं सकता। I cannot help it. मैं कुछ नहीं कर सकता पर उनके स्टेटस का प्रश्न है, उनको टिनेन्ट्स माना, वह बिल्कुल ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टिनेन्ट माना है, टिनेन्ट्स मान लिये हैं तो जो काश्त कर रहे हैं सब-टिनेन्ट्स हैं और १६ सेक्शन के तहत अधिकार पाने के

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हकदार हैं । दिक्कत इसलिये आ गई थी कि फीस का सवाल आ गया था इसलिये देरी हो गई, रेकॉर्डिंग नहीं हुआ पर जिस तारीख का मैंने बताया है उस तारीख तक रेकॉर्डिंग हो जायेगा ।

श्री चन्दनमल बैद : रेट्स की बाबत जवाब नहीं दिया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : Rates according to law वसूल हो रही हैं और यह अगर माननीय सदस्य का मतलब हो कि तीसरे बांटे से रेट्स कायम हुई थीं, आज छठा बांटा हो गया तो इस बांटे के अनुसार रेट्स होनी चाहिये तो मैं यह अर्ज करूंगा कि हमने केवल एक एरिया में ही नहीं डिफरेन्ट एरिया में वर्क आउट करवाया है पहले से आज जो कीमतें कई गुना बढ़ी हैं उस लिहाज से यही रेट्स ठीक हैं । किसानों के ऊपर ज्यादा बोझा न पड़े, इसके लिये गवर्नमेंट खुद कोशिश करती है कि जहां ज्यादा लगान है वहां कम लगान हो ।

श्री सूबेदारसिंह : धौलपुर का नहीं बताया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : धौलपुर की दरें बता दें ।....

श्री सूबेदारसिंह : दरें नहीं, धौलपुर में किस्में कई कायम की हुई हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : बेटरमेंट लेवी के लिये बीकानेर से आये हुए माननीय सदस्य ने गुढ़ा की लेवी के लिये कहा...

श्री मुरलीधर व्यास : गुढ़ा की नहीं बूंदी की ।

श्री दामोदरलाल व्यास : बूंदी की बेटरमेंट लेवी के बारे में समझ नहीं पाया कि जो प्रोजेक्ट्स सरकार के खर्च से तैयार किये गये हैं, जिनसे किसानों की जमीन की हालत सुधरी है, कीमतें बढ़ी हैं, उपज बढ़ी हैं और जिसके लिये विधान सभा ने कानून बना रखा है हमारी तरफ से हमारे कोई डिस्क्रिशनरी पॉवर्स से नहीं There is a special Act-Special Irrigation Act इर्रिगेशन का एक्ट है उसके अनुसार बेटरमेंट लेवी चार्ज की जाती है और इसका एक प्रिन्सिपल है । आपने कहा कि किसानों की जमीनें खराब हो गईं, पानी ज्यादा आ गया पर आप यह महसूस नहीं करते कि हमेशा के लिये किसानों की जमीन की कीमत बढ़ गई है, उसकी किस्म बढ़ गई है, उसकी पैदावार बढ़ गई है और किसान की आमदनी बढ़ गई है ।

बेटरमेंट लेवी वर्क आउट करने के लिये जब तक एरिया मेच्योर्ड नहीं होगा तब तक बेटरमेंट लेवी वसूल नहीं करते । बेटरमेंट लेवी, बेटरमेंट लेवीकह कर पहले से ही उसकी पेशबन्दी करना चाहते हैं । अभी तक तो इसमें बेटरमेंट लेवी की वसूली का सवाल नहीं, असेसमेंट का बोर्ड बना है उसने रिपोर्ट नहीं दी है । जो मेच्योर्ड होगा उसकी वसूली जरूर होगी ।

श्री मुरलीधर व्यास : जमीन कम-ज्यादा की तादाद पर पर्सेंटेज है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई पर्सेंटेज नहीं बना सकते । आपने कहा कइयों के पास दो बीघा जमीन है । मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना

(श्री दामोदरलाल व्यास)

चाहता हूं कि माननीय सदस्य को इस इलाके की जानकारी नहीं है, जितनी बड़ी होल्डिंग्स बूंदी कोटा में हैं, उतनी कहीं नहीं हैं, बीकानेर में है, आपको कोई और जगह की खबर होगी, बूंदी के साथ उसको लगा दिया....

श्री मुरलीधर व्यास : यदि वहां दो बीघा या इससे कम हो तो आप उन्हें देंगे ? मुझे वहां की पूरी जानकारी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप उनको दिलवाना चाहते हैं तो कायदा बना हुआ है, ले लें।

क्योंकि बीकानेर से आये हुए माननीय सदस्य के कट मोशन पर बात कर रहा हूं, हमारे उनियारा से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि उन्होंने क्या कहा, आपने क्या कहा पर हाउस में जवाब देना लाजिमी है इसलिये वस्तुस्थिति जरूर पेश करूंगा। बीकानेर से आये हुए माननीय सदस्य की जानकारी में कुछ कमी रह गई है।

(हंसी)

श्री चन्दनमल वैद : आप पूरी कर दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : उन्होंने शायद कहा कि उनियारा से आये हुए माननीय सदस्य तो इनमें और रावराजा साहब उनियारा, इनमें फर्क नहीं है तो उन्होंने कहा कि उनके पास केवल ४६ बीघा जमीन थी, बाकी १५ हज़ार बीघा जमीन काश्तकारों से बेदखल करके ली है। मैं अर्ज करूंगा कि यह बिल्कुल गलत है कि सारी की सारी जमीन किसानों से ली है। पर वस्तुस्थिति जरूर पेश करूंगा कि रावराजा साहब की खुद की, जो दीगर रिश्तेदार हैं, सबके नाम मिला कर कुल १,५६० बीघा जमीन है। यह जो जमीन है, जिस तारीख को ठिकाने का चार्ज दिया उन कागजात के आधार पर अर्ज कर रहा हूँ, उन कागजात से यह साफ है और यह जमीन संभवतः १९९८-९९ में सेटलमेंट हुआ था वहां किस तरह दर्ज थी, मैं पेश कर देता हूं। यह उन्हीं के रेकॉर्ड से है, १५,०५७ का हिसाब इस तरह है : Entries that are shown in the Khasras of Sambat 1998 relating to this area, मिल्कियत सरकारी १४,७७३, खातेदारी ऑफ आसामी ५३३ बीघा १६ बिस्वा, माफी १७४ बीघा ३ बिस्वा, हवाला २७५ बीघा ६ बिस्वा।

तो २७५ बीघा ६ बिस्वा ही उनकी खुद काश्त में थी। अब बाकी जमीन उनकी खुदकाश्त में कैसे आई, उनके कंवरों को देंगे, रिश्तेदारों को देंगे, वह सारा मामला जागीर कमिश्नर के यहां अन्डर डिस्प्यूट है, इसलिये मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो आपने सूचना दी कि हजारों किसानों को बेदखल करके ली वह गलत है और यह जो सूचना दे रहा हूं वह ठिकाने के रेकॉर्ड के आधार पर अर्ज कर रहा हूं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं अर्ज करूं....

श्री उपाध्यक्ष : अभी आपको अधिकार नही, इनका भाषण समाप्त होने दीजिये,

(श्री उपाध्यक्ष)

शासन उपयुक्त समझेगा तो आपको आज्ञा देगा।

श्री मुरलीधर व्यास : जो जमीन जोतते थे उनके बारे में कहा नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि आप मेरिटस पर हिसाब लगालें। मैंने रेकॉर्ड से बताया है : उनके पास है :

२७५ बीघा ६ बिस्वा
५३३ बीघा ६ बिस्वा।

१७३ बीघा माफी में थी और २३४ बीघा उनके हवाले में थी। अब मैं मेरिट्स पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि Jagir Commissioner is seized of the matter and he will give his decision.

उपाध्यक्ष, यहां पर लैण्ड रेवेन्यू को पंचायत समितियों को देने का प्रश्न था। माननीय सदस्यों ने बार-बार कहा और अपने कट मोशन के ज़रिये से कहा है कि लैण्ड रेवेन्यू पंचायत समितियों को दे दी जाये। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने उनके इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है और यह एलान किया है कि लैण्ड रेवेन्यू का अधिकार उन्हें दिया जावेगा। मगर अब यह देखना है कि इतना बड़ा लैण्ड रेवेन्यू का काम कौनसी पंचायत को दिया जावे ? बाकी अल्टिमेटली यह काम उन्हें देना है। लेकिन धीरे धीरे देना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह कार्य उन्हें दे दिया जावे। इसलिये माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उनका स्वागत करता हूं और यह निवेदन करूंगा कि राज्यपाल महोदय ने उसे अपने भाषण में स्वीकार कर लिया है। पंचायत समितियों को उन्हें तय करना है कि क्या एजेन्सी लगावें that is their function.

गवर्नमेंट इसके लिये बाकायदा रूल्स बनाएगी It is too early yet for us to say anything. कि क्या रूल्स होंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : (अश्रव्य)

श्री दामोदरलाल व्यास : अब रहा सवाल आपके लम्बरदारों को एबोलिश करने का। इसके लिये में पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि यह लम्बरदारी की प्रथा, पुरानी पड़ गई है और इसलिये इसको समाप्त करना चाहिये। और हमने फैसला कर लिया यह कि इसको जल्दी खत्म करना है। अब रहा सवाल यह कि इसको खत्म करके (अश्रव्य) इसके लिए दूसरा सब्स्टीट्यूट क्या हो, इसके लिए हमने सीनियर ऑफिसर्स की एक कमेटी कम्प्यूट कर रखी है और इसके लिये आपके सामने रिपील का बिल पेश कर दिया जावेगा। इसके लिये ऑर्डर पास कर दिये गये हैं कि नये लम्बरदार नहीं लिये जावें और अगर कहीं बहुत ही आवश्यकता हो तो टेम्परेरी ले लिये जावें। नये लम्बरदार की मंजूरी देने का कोई सवाल नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि चाहे जमीन पर काश्तकारों ने अपने निजी खर्चे से और मेहनत, मज़दूरी से जमीन में कुआं आदि खोद कर इम्प्रूवमेंट किया हो मगर वह जमीन चाही घोषित कर दी जाती है और उससे चाही का लगान ले लिया जाता है।

श्री सूबेदारसिंह : वह जमीन जिस पर काश्तकारों ने निजी खर्च से इम्प्रुवमेंट किया वह उनकी जमीन चाही में आ गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बिल्कुल ठीक है। मगर आप रेवेन्यू टीनेन्सी एक्ट देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि किसान अपनी जमीन पर कुआं खुदाए तो २० वर्ष तक उससे उस जमीन का वही बारानी रेन्ट लिया जायेगा और चाही का लगान नहीं लिया जायगा। यह बात नहीं है कि उसे एक दम चाही का लगान लेना शुरू कर दिया जाय। यह बात मैंने कल भी कही थी।

एक माननीय सदस्य : इसकी टर्म २० वर्ष की है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अब रहा, माननीय सदस्य जो जयपुर से आई हैं उन्होंने दो कटौती के प्रस्ताव रखे। गो वे नाराज़ भी हुई मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अमीन, पटवारी या इन्सपेक्टर आदि जो भी हैं उनके लिये उनको जितना दर्द हुआ, मुझे भी दर्द हुआ। यह तो नहीं हो सकता कि जिस डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं हो वहां पर भी व्यक्तियों को रखे जावें और वेतन दिया जावे। इसके अलावा सेटलमेंट कॉलोनाइजेशन आदि,केवल टेम्प्रेरी डिपार्टमेंट होते हैं। सेटलमेंट चलता है तब तक काम रहता है अन्यथा काम नहीं रहता। इसलिये इसमें चाहे कोई अमीन हो, चाहे इन्सपेक्टर हो सब टेम्प्रेरी ही होते हैं। जब काम नहीं होता उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है। आपने कहा कि उनको कहीं दूसरी जगह एब्ज़ोर्ब नहीं किया। मैं यह कहूंगा कि हमने बराबर डिपार्टमेंटों को लिखा है और उन्होंने इन्सपेक्टर वगैरह को कन्सोलिडेशन में एब्जोर्ब किया है। इस तरह से हर एक व्यक्ति को एब्जोर्ब किया गया है क्या अमीन, क्या इन्स्पेक्टर। यहां तक की फोर्थ क्लास के लोग थे उन सब को एब्जोर्ब किया। आपने कहा कि कहीं पर किसी कारण वश आप रीसेटलमेंट करेंगे। मैं यह कहूंगा कि अभी धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उधर सेटलमेंट में ज्यादतियें हुई है। अगर उसमें गवर्नमेंट को री-सेटलमेंट कराने का फैसला करना हुआ तो स्टाफ भी रखना होगा। मगर जब हम ६ महीने बाद काम शुरू करेंगे तो उससे पहले स्टाफ तो नहीं रख सकते और मेरे खयाल से आप की भी यह मंशा नहीं होगी और किसी की भी यह मंशा नहीं होगी और न यह गवर्नमेंट के लिये उचित भी होगा कि ६ महीने पहले जब काम नहीं है तो भी उनको रखे और रिट्रेन्च न करें। यह कहना कि उनको एब्ज़ोर्ब नहीं किये गये, मैंने खुदने अपने यहां से मंत्रियों को लिखा कि आपके यहां नये रिक्रूटमेंट होता हो तो इनको प्रायोरिटी दी जावे और उनको जगह मिली है। यह बात नहीं है कि उन्हें जगह नहीं मिली। इसलिये आपको जितनी जानकारी है उससे ज्यादा जानकारी मैं भी अपने डिपार्टमेंट की रखता हूं इतना आप नहीं समझते कि मेरे पास मेरे डिपार्टमेंट की जानकारी नहीं है। आपके पास तो किसी ने आकर आपको कहा होगा तब आपको मालूम हुआ होगा और मैं तो पर्सनली डील करता हूं।

अब रहे डीडवाने से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये। उन्होंने बड़ा क्रान्तिकारी भाषण दिया और क्रान्तिकारी सुझाव दिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई क्रांतिकारी देश से होकर आये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : उन्होंने जिस तरह के सुझाव दिये वे ठीक हैं। मगर इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जैसा उन्होंने कहा कि तहसीलदारों को हटा दिया जावे, पटवारी....

श्री चन्दनमल वैद : रेस्ट्रिक्शन है।

श्री दामोदरलाल व्यास : डिपार्टमेंट के लिये हैं। मगर बड़े क्रांतिकारी हैं। अभी यहां पर वह स्टेज नहीं आया है कि उनको लागू किया जावे। जब स्टेज आवेगी आपके सुझाव जरूर माने जावेंगे।

अब रहा सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक आदि का। अभी माननीय सदस्य बहस करेंगे इसलिये उनको मैं उन्हीं पर छोड़ देता हूं। उनको बहुत ज्यादा शक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्रान्तिकारी हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि क्रांतिकारी हैं।

अब हमारे बांसवाड़ा से आनेवाले माननीय सदस्य ने कई बातें यहां पर रेमिशन, सस्पेन्शन आदि के बारे में कहीं और यह बताया कि बड़ी गड़बड़ी हुई। रेमिशन लॉ है बहुत cumbersome. जो नुकसान होता है पटवारी उसकी प्रोपर एन्ट्री ठीक समय पर नहीं करते और क्रोप्स बर्बाद होती है उसका रेमिशन काश्तकारों को नहीं मिलता। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमने लेटेस्ट अमेंडमेंट इसमें किया है और वह यह कि गश्त गिरदावरी पर इसका अन्दाज़ा लगाए। जितना डेमेज बतावेंगे तहसीलदार उसको पब्लिक करेगा। उसके बाद में लोगों के ऑब्जेक्शन्स आवेंगे, जिनको किसी प्रकार का एतराज होगा और वे बतावेंगे कि पटवारी ने यह ठीक नहीं लिखा है, then the Tehsildar should decide that within seven days and after inspection on the spot, should take a decision. जो उसमें प्रोविज़न रखा है इसमें मैं आपको अर्ज़ करूं कि यह बहुत अच्छा चैक हो सकता है, पंच और सरपंच उसमें शरीक होते हैं। इसलिये कोई ऐतराज करे तो तहसीलदार उसको फेमिन रिलीफ वर्क्स के तहत, सस्पेन्शन या रेमिशन आदि जैसा भी उचित हो, करे और काश्तकार को राहत उससे मिल सकती है। इसके लिये यह ऑलरेडी प्रोविज़न है। इससे ज्यादा क्या राहत हो सकती है?

बांसवाड़ा से आनेवाले माननीय सदस्य ने ५७-५८ की हालत बताई। मैं वहां तीन दिन के दौरे पर गया था, मगर माननीय सदस्य वहां कहीं भी किसी भी, गांव में आ कर नहीं मिले। वहां पर वे नजर नहीं आए जो आज यहां पर कह रहे हैं। हम बाहर निकलते तो वे कहीं गांव के बाहर कौने में इधर उधर होते थे। आज मेरे पास फिगर्स नहीं हैं कि कितना रेमिशन दिया कितना सस्पेन्शन दिया और कितनीतकावी आदि दी व फेमिन का काम शुरू किया गया। आज इस वक्त मेरे पास आंकड़े नहीं हैं क्योंकि आज सेक्रेटेरियेट बन्द था....

श्री मुरलीधर व्यास : आंकड़े तो....

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order.!!

श्री दामोदरलाल व्यास : मगर यह बात जरूर है, वसूल कर ली गई। आपको यह शिकायत है कि ५७–५८ का लगान वसूल कर लिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों को चाहिये कि सरकार का जायज़ लगान वे सरकार को समय पर दे दें और तकावी लोन जो उनको दिया जाता है वह भी वक्त पर अदा कर दें। अगर कोई स्केयरसिटी है तो उनको राहत मिल जाती है और फेमिन रिलीफ के काम शुरू होने चाहिये। मगर यदि हम यह चाहें कि किसानों से जायज़ लगान भी वसूल नहीं करें और उसमें कोई रोड़े अटकाना चाहे और यह कहें कि सरकार के पास पैसा नहीं जाना चाहिये तो मैं समझता हूँ कि यह वाजिब बात नहीं है। और वाजिब बात इसलिए भी नहीं है कि जो रेमिशन के काबिल अमाउन्ट था उसको रेमिट कर भी रहे थे और सस्पेन्शन का जो अमाउन्ट है वह तीन साल के बाद इस बम्पर क्रोप में वसूल कर रहे हैं। उस हालत में क्या दिक्कत हो सकती है।

श्री मोगजीभाई : राहत मिली या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो आपने शब्द कहे थे वे बड़े मजेदार थे। आपने कहा कि नोतोड़ जमीन पर काश्तकारों पर पीनाल्टी लगायी गई थी। अगर इसके साथ साथ यह कहते कि नोतोड़ विद्आउट कल्टीवेशन जमीन पर कब्जा है तो वह ट्रेस्पासर है और उस पर पीनाल्टी लगाई जाती है तो यह ज्यादा स्पष्ट हो जाता। मैं अभी केबिनेट मीटिंग के सिलसिले में वहां पर गया था तो मुझे मालूम हुआ कि काश्तकारों ने बिना इजाजत के जमीन काश्त कर ली है और वे उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इस पर काफी सोच विचार कर यह निर्णय किया गया कि यदि वे इस प्रकार के लोग हैं कि वे वाकई भूमिहीन हैं और भूमिहीनों ने बिना इजाजत यदि कब्जा कर लिया है, आयन्दा तो हम किसी प्रकार से उनको माफ नहीं करने वाले है, उनको इजेक्ट करेंगे। लेकिन वाकई भूमिहीन तो है उसको रेगुलराइज़ कर दिया जावेगा। उनका अलॉटमेंट रेगुलराइज़ कर देंगे बशर्ते कि उस तारीख में वे भूमिहीन हैं और कोई भूमि उनके पास नहीं हैं पीनाल्टी तो जिस साल में कब्जा किया देना होगा।

श्री मोगजी भाई : अलॉटमेंट की गई वह तो....

श्री उपाध्यक्ष : Order please! Order!

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिए अदालतें बनी हुई हैं। उनके पास ले जाया जाय और मेरे पास लावेंगे तो मैं उसको देखूंगा और जो उचित कार्यवाही करने की है वह करूंगा। वेग बातों के ऊपर कोई इन्क्वायरी नहीं होती। कुछ ऐसे मसले हैं कि जिन पर यहां माननीय सदस्यों को विचार करना होगा। यह कहा गया कि आबादी की जमीन में मकान बनाने के लिए ज़मीन फ्री मिलनी चाहिये। काश्त की जमीन में काश्तकार बाड़ा बना सकता है, बीज के लिए गोदाम बना सकता है इसके लिए कानूनन इजाजत है लेकिन सरकारी जमीन

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पड़ी हुई है उसमें कन्स्ट्रक्शन की इजाजत नहीं है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि मकान बना रहे हैं, बाड़े बना रहे हैं, कन्वर्शन नहीं होता। यह ठीक बात है कि उस जमीन का कन्वर्शन नहीं होना चाहिये। अगर इस प्रकार की छूट दे देते हैं कोई किसान हो, चाहे कोई जागीदार हो, किसान को आज़ादी है कि मकान बनाये, गोदाम बनाये अपनी जमीन में लेकिन यह कहना कि आबादी की जमीन डिलिमिटेड जमीन नहीं है, यह कहना गलत है। इसको हर एक नक्शों में बताया गया है। यह हो सकता है कि कहीं आबादी में जमीन कम हो गयी हो तो और जमीन उसमें शामिल करने का सवाल आ सकता है। कलेक्टर साहबान को इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन्स दिये जा चुके हैं कि वे इस प्रकार से देख कर जमीन को कन्वर्ट कर दें। काश्तकार अपनी खुद की जमीन को काम में लेता है तो उसको अधिकार है, अपनी होल्डिंग पर मकान बना सकता है, बीज के लिए गोदाम बना सकता है। लेकिन उस जमीन को प्लॉट बना कर या कमर्शियल पर्पज़ के लिए कन्वर्ट नहीं किया जावेगा। इस प्रकार की जमीनों के कन्वर्शन के बारे में, इसके सिद्धान्त के मैं खिलाफ हूं। कम आबादी की जमीन के लिए तो जैसा मैंने बताया कि कलेक्टर्स को अधिकार दिये जा चुके हैं वे कर सकते हैं।

और बातें ऐसी हैं जिनमें माननीय सदस्यों ने बताया कि अलॉटेड ज़मीन का कब्जा नहीं हुआ। कोई स्पेसिफिक बात मुझे बतावेंगे तो मैं जरूर एक्शन लूंगा।

झुंझुनू के री-सेटलमेन्ट की बात है। यह ठीक है कि जिन परिस्थितियों में सेटिलमेंट हुआ नहीं हुआ था लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि सेटिलमेंट का री-सेटलमेंट करने की बात नहीं है। माननीय सदस्या....

श्री चन्दनमल वैद : वहां खतरा है।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्या ने कहा था उसके लिए धन्यवाद। उन्होंने खतरा भी कहा होगा। मेरे हाथ की बात होगी मैं उसको देखूंगा। किसानों को दिक्कत के लिए, मैं उसको देखूंगा। यदि लगान ज्यादा है तो मैं उसके लिए आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

सड़कों, तालाब वगैरह के लिए कई जगहों की शिकायतें हैं। कई जगह ऐसा हुआ है फिर भी उनसे लगान वसूल किया जा रहा है। इसके लिए एक जनरल ऑर्डर यह दे दिया गया है कि हर जगह इस प्रकार की स्थिति में इमीजियेट सस्पेन्शन हो जाय। फिर भी अगर कहीं इसकी तामील नहीं हुई हो तो मेरे ध्यान में लावेंगे तो मैं उस पर कार्यवाही करूंगा।

पटवारियों की तनख्वाह के लिए अर्ज किया था। जब रेशनलाइजेशन ऑफ पे स्केल का हुआ था उस समय उनका भी हुआ। हमने इस साल यह किया है कि १० पर्सेन्ट पटवारियों की तनख्वाह सिलेक्शन ग्रेड की रखी जावेगी। इसका बजट में प्रोविज़न आवेगा। हमने यह फैसला किया है कि इस प्रकार से सिलेक्शन ग्रेड रखी जावे। जब इस पर डिमान्ड आवे तो देखें।

डॉ० चन्द्रकला : डिमान्ड चल रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह आ जायेगी। हमने १० पर्सेन्ट सक्लेशन ग्रेड की पोस्ट्स रखी हैं।

मैं समझता हूँ कि इसके सिवाय तो और कोई बात रह नहीं गई है।

हां, एक बात सोजत से आये हमारे माननीय सदस्य ने कही और उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये थे। मैं समझता हूं कि बहुत से उनके सुझाव काफी अच्छे हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। खास तौर से उन्होंने खसरों के तरतीब के लिए कहा, नम्बर नहीं हैं, पेजिंग नहीं होता है। इसके लिए पहले भी शिकायतें कर चुके हैं। मैं चेयरमैन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कह चुका हूं कि वे इसको देख कर तरीका निकालें कि जिससे नम्बर, पे, मोहर वगैरह ठीक हो। वे कार्यवाही कर रहे हैं। दूसरी बात, आबादी वाली भूमि के लिए कहा, मैंने वह बता दिया। रेवेन्यू कोड मेन्युअल के बारे में उन्होंने सवाल भी पूछा था, जिसका मैंने जबाब भी दे दिया। जो प्रोविज़न्स हैं उनके अनुसार तामील नहीं होती है तो उसके आदेश दे दिये जावेंगे कि तामील हो जाय। यह बात ठीक है कि सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट के हायर ऑथोरिटीज़ के फैसले हो जाते हैं उसके लिए फिर काश्तकार से कहें कि डिक्लेरेटरी सूट लाये। मैं स्वीकार करता हूं कि आपने जो बात कही वह ठीक है। जागीर डिस्ट्रिब्युशन में रिडिमेबल की बात कही। जुलाई के बजाय सितम्बर में करते हैं तो जागीरदारों को भी कर देंगे। जागीरदारों को अधिकार दिया है वह उन महीनों का कर देंगे। लेकिन खरीफ और रबी दो फसलों की टाइम लिमिट होती है। कई काश्तकारों ने बताया कि जागीरदारों ने कर दिया। वेस्टिंग का टाइम जागीरदार को हम दें, यह नहीं हो सकता। इसके अलावा भी काश्तकारों की यह शिकायत है कि उनसे लगान वसूल कर लिया। यह काश्तकार और जागीरदार के बीच का सवाल है और टिनेन्सी एक्ट में प्रोविज़न है, उसके अनुसार कार्यवाही करनी चाहिये।

पर्सनल प्रोपर्टी की बात बतायी। जागीर कमीश्नरी से काफी फैसले हुए हैं। जागीर डिपार्टमेन्ट की वर्किंग की प्रोग्रेस से आप लोगों को संतोष होगा। फाइनलाइजेशन ऑफ क्लेम्स का इतना तेजी से काम चल रहा है कि इसमें शायद आपकी दो राय नहीं हो सकती। कोई रुक गया होगा तो हो सकता है कि उसमें कोई तहकीकात बाकी हो।

अब मैं ज्यादा समय माननीय सदस्यों का न लेकर यह अर्ज करूंगा कि मैंने अपने विचार दिये हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपने कटौती के प्रस्ताव हैं उनको विद्ड्रॉ कर लेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं कुछ स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री पी० के० चौधरी : He should be given a chance of Personal explanation.

श्री उपाध्यक्ष : No; he has been given that chance. He has clarified the matter at personal level before that.

Page No.108

रावराजा श्री सरदारसिंह : बार बार भ्रम हुआ है उसको दूर कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : भ्रम है तो बाद में राजस्व मंत्री महोदय से मिल कर दूर कर लें।

रावराजा श्री सरदरसिंह : यह गलतफ़हमी है कि मेरे पास १५ हजार बीघा जमीन है। मेरे पास जमीन है उसमें पहाड़ और नदियां है........

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! I am sorry. Hon'ble Member.

प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री भीमसेन ने रखे हैं उन्हें स्वीकृत किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मैं विथड्रा नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिरे गये ।

(विराम)

श्री मूलचन्द डागा

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मुझे अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री मूलचन्द डागा को कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने दिये जायं।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

विराम)

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री बहादुरसिंह ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिरे गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री रामकरणसिंह ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मन्त्री महोदय

(श्री मुरलीधर व्यास)

बड़े स्पष्ट विचार रखे उससे मुझे बड़ा सन्तोष हुआ है; अतः मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री मुरलीधर व्यास को कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने दिये जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I beg leave of the House to withdraw my cut motions.

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री पी० के० चौधरी को कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my cut motions.

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री चन्दनमल वैद को कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल वैद : मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने के लिये सदन की अनुमति चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि डॉ० चन्द्रकला को कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० चन्द्रकला : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कटौती के प्रस्ताव जो श्री मोतीलाल ने रखे हैं, उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गि . . .

(विराम)

श्री मोहरसिंह (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरे तीनों कटौती के प्रस्तावों का राजस्व मन्त्री द्वारा कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, अतः मैं वापिस नहीं लेना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री मोहरसिंह ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गये।

श्री नाथूलाल करोल (लालसोट सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या सदन की अनुमति है कि श्री नाथूलाल करोल को कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने दिये जायं।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री नाथूलाल करोल : मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी को कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री शिवनाथसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : I beg leave of the House to withdraw my cut motions.

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री सोहनलाल भटनागर को कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने दिये जायं।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर : I withdraw my cut motions.

श्री रामचन्द्र (डग सु.) : मुझे अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री रामचन्द्र को कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामचन्द्र : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री भोगजी भाई ने जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गये।

श्रीमती सुमित्रा देवी (पिलानी) : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्रीमती सुमित्रा देवी को कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्रीमती सुमित्रा देवी : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री तेजाराम गहलोत को कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री तेजाराम गहलोत : मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग सख्या १, मुख्य शीर्षक ७ भू-राजस्व के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,९५,६६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या २७ - भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हूं कि मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५४-खा भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १५,२०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

श्री मूलचन्द डागा।

[इस मांग पर आज निम्न लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए

श्री मूलचन्द डागा :-

(२) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५४-खा-भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते में १) रु० की कटौती की जाय [उदयपुर नरेश को चेरिटी के लिए एलाउन्स देने पर बहस करने हेतु)

(३) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५४-खा-भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान में बीकानेर, जयपुर व जोधपुर के नरेशों को फ्री बिजली व पानी देने पर बहस करने हेतु)]

श्री चदनमल बैद (सरदारशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, अब केवल १०, १५ मिनिट रह गये हैं, अत : इसको कल लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : यह कोई चटशाला है जो आप छुट्टी मांग रहे है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो जमाने की बातें होती हैं जो जमाने के साथ बदलते हैं उसके साथ हमें भी बदल जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी बदल जाना चाहिये....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी तरह बदलता नहीं हूँ।

श्री मूलचन्द डागा : आज की बदलती दुनियां में हर एक को बदलना ठीक है। मेरा कथन यह था कि राजस्थान फाइनेन्स इन्क्वायरी कमीशन ने १९५८ के अन्दर लिखा था "Outstandings of water supply charges on 31. 3. 56 amounted to Rs. I, 13, 34, 000/-, The major portion of the outstandings is against Ex. Ruers and the Municipalities" रूलर्स के खिलाफ निकला ७,४६,११४ रुपया १९५५ तक, यह बात थी। इसके पीछे लिखा था " The Superintending Engineer says the Government of Rajasthan has taken decision that the princes of Bikaner, Jodhpur are not to be charged water charges for the period prior to April 1956, while in the case of Jaipur the exemption has been given for the period prior to May, 1956." आज हम बात कर रहे हैं १९६१ की और जो ६० चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं यह चाहता हूं कि यह जो आपके पहले

(श्री मूलचन्द डागा)

से जो आप वाटर वर्क्स चार्जेज़ के लिए एक लाख रुपया एग्ज़म्प्शन दे रहे हैं एक लाख बीकानेर को और जयपुर को १ लाख ५० हजार रुपया, यह न दें।

इसके साथ साथ दूसरा मेरा जो कटमोशन है उदयपुर नरेश को पचास हज़ार रुपये की धनराशि जो आप चैरिटी के लिये दे रहे हैं उसे न देने के लिये, उस पर मैं कहना चाहता हूं कि हम यह देना क्यों चाहते हैं ? जब कि आपका एक कांग्रेस का एक नया नारा निकल गया, समाजवादी समाज की रचना का जिससे आप समाजवादी समाज रचना के आधार पर समाज की रचना करना चाहते हैं, तो इस नारे के आने के बाद आपका इस तरह का दान देने-करने का इरादा बदल जाना चाहिये। आज समय भी इसको नहीं चाहता। समय ने करवट बदली है। अब या तो आप इनको यह दो-चार लाख रुपया और चैरिटी के लिये रुपया और पानी बिजली का रुपया दो और इस नारे को छोड़ दो, या फिर नारा नहीं छोड़ना चाहते यह समाजवाद का, तो इस तरह से रुपया देना छोड़ दो।

सवाल यह है कि पहले राजा-महाराजा जिनकी शक्ति जनता में आकर घुल-मिल गई तो हमने उनको रोजगार में लग जाने के लिये वे बेकार होकर तकलीफ न उठावें इस वास्ते उनको रिहेबिलिटेट करने के लिये हमने अपने वादे के अनुसार कोवेनेन्ट के अनुसार उनको काफी धनराशि दी। आज वे व्यापार में लग गये हैं। उन्होंने अपने अपने धन्धे शुरू कर दिये हैं। उनकी फर्में चलती हैं, उनके बड़े बड़े फार्म चलते हैं, उनके होटलें चलती हैं, उनके पास काफी रकम हो गई है इन्वेस्ट करने के लिये और वह सारी रकम व्यापार में उन्होंने इन्वेस्ट कर दी है और उनसे उनको आज काफी अच्छी आमदनी है। वे रिहेबिलिटेट हो गये। हमने पहले यह माना कि हिन्दुस्तान को एक बनाने में उन्होंने अच्छा सहयोग दिया, त्याग भावना का परिचय दिया। हमने इस वास्ते उनको दिया। पर आज हमारा नारा बदल गया, वे भी रिहेबिलिटेट हो गये। इसी वास्ते हमने बिजली पानी उनको मुफ्त दी, पर अब देना नहीं चाहेंगे। आप प्रैस के युग में, प्रचार के युग में रहते हैं, समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं। समय बदल गया है, अभी थोड़े दिन पहले हमारे प्रधान मन्त्री ने इनको लैटर्स लिखे थे अलग अलग इस आशय के। उन्होंने पर्सुएशन के द्वारा उनको बतलाया कि अब उनको स्वेच्छा से अपनी इच्छाओं को थोड़ा बदलते हुए जमाने का साथ देना चाहिये। हम उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाते, हुए, चाहते हैं कि वे स्वयं समय के साथ बदल जायं। आज एक लाख रुपया एक फेमिली को पानी–बिजली का हम देना चाहते हैं, आज के समय से और आज के हमारे नारे से और आज की सर्व साधारण की आम आर्थिक हालत से यह मेल नहीं खाती बात। आज हमने अपनी भावना बदल दी है, आज हमने व्रत लिया है सभी को समान आर्थिक स्तर पर लाने का, नीचे पड़े हुओं को भी कुछ ऊपर उठाने का, और जो बहुत आसमान में पहुंच गये हैं या जो नीचे नहीं रहना चाह रहे हैं उनको कुछ नीचे उतारने का। तो मैं चाहता हूं कि यह जो हम बिजली पानी का और चैरिटी का पैसा देना चाह रहे हैं बन्द कर दें।

(श्री मूलचन्द डागा)

आज चैरिटी की भी परिभाषा विनोबाजी के अनुसार बदल गई है । बदले युग की हवा को पहचान कर उन्होंने चैरिटी की नई परिभाषा की है । जमाने के अनुसार परिभाषा बदलती है सिद्धान्तों की ओर जब बदलती है तो शब्दों का मतलब दान का अलग ले लिया और दान की परिभाषा अब बदल चुकी है तो हमें इस मामले में भी सतर्क रहना चाहिये । विनोबाजी ने अपने सिद्धान्त के आधार पर कहा कि हम चाहते नहीं कि दुनिया में कोई किसी को दान दे । दान देने से मोहताज और गरीब बनता है, हम दान को हटाना चाहते हैं, काम देना चाहते हैं । दान न दें, काम दें । दान देने की प्रथा गलत है । हिन्दुस्तान में आज दान की वजह से कई तरह के भिखमंगे पैदा हो गये हैं । इसलिये दान देने की प्रथा को मिटाना चाहते हैं । आप आज सोशल वैलफेयर बोर्ड चला रहे हैं, उनको दीजिये न यह पैसा ताकि उनकी हालत सुधरे और दान के बदले में उनको काम मिले । तो इसलिये सिद्धान्ततया मेरा यह कहना है कि यह चैरिटी का पैसा और पानी बिजली का पैसा बजट में आपने रक्खा है यह नहीं देना चाहिये । आज जरूरत नहीं है, वे एस्टेब्लिश हो गये हैं, काफी आमदमी उनकी आज हो रही है । उनके लिये आगे बढ़ने के आज सारे मार्ग खुले हैं । हम सहारा तब तक देना चाहते थे जब तक कि वे एस्टेब्लिश न हो जाते । आज वे एस्टेब्लिश हो चुके हैं । तो हम आज अपनी भावना इस रूप में रखना चाहते हैं । फिर रहा सवाल कोवेनेन्ट का। आप फिर इसमें भी किसी रूलर्स को देते हैं तो किसी को नहीं । इस आधार पर भी इसे बन्द कर देना चाहिये । फिर असल कोवेनेन्ट में ये बातें नहीं थीं, आपने कइयों से बिजली पानी का पैसा वसूल किया है, ये तो बाद में अलग से कुछ बातें तय हुई हैं, तो उनसे आप बाउन्ड नहीं हैं । आप यह बन्द कर सकते हैं । आज कोई वादे का दबाव नहीं है । आज आपकी जन-लेखा समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हम आज उन रूलर्स से पानी बिजली का पैसा वसूल करना चाहते हैं । फिर कुछ राजाओं को एग्जेम्पशन है कुछ को नहीं । वाई ? दूसरे रूलर्स की क्या बात है ? उनकी तो आर्थिक हालत और भी कमजोर हो सकती है । मैं आर्थिक हालत का नाम लेना इसमें किसी के लिये उपयोगी नहीं मानता हूं । कोवेनेन्ट में यह बात नहीं थी, ये बातें तो पीछे उठी हैं । ५६ में रिकवरी का सवाल उठा तो सरकार के सामने उन्होंने यह बात रक्खी कि हमें एग्जेम्प्शन मिलना चाहिये । वे कहने लगे कि हमने जो वादे किये थे उनके खिलाफ बात है यह वसूली करना । हम वादों की कदर करते हैं । एग्रीमेन्ट पर हम रहना चाहते हैं और उस पर हम हैं । लेकिन सवाल यह है कि जो वादे पीछे से हुए हैं उनको हम तरीके से नहीं मान सकते । हम हर काम तरीके से करना चाहते हैं । हमारे जितने काम हुए हैं मेल मुलाकात के तौर तरीकों से हुए हैं । हमने जो वादे किये हैं उनके बारे में भी सद्भावनापूर्वक उनको बतलाया है कि आप अपनी इच्छा से आज के जमाने की रफ्तार देखते हुए कम कर दो । उनके बारे में फिर भी हम आज दबाव नहीं दे रहे हैं । पर इस बजट में यह लाखों रुपयों का पानी बिजली का प्रोविज़न, चैरिटी का प्रोविज़न ठीक नहीं मालूम होता और यह हमारे समाजवादी समाज रचना के मूल उद्देश्य से मेल नहीं खाता, दान की परिभाषा

(श्री मूलचन्द डागा)

जो हमने नई मानी है उससे मेल नहीं खाता, जमाने की रफ्तार से मेल नहीं खाता। यह समय की पुकार के सर्वथा खिलाफ है। फिर यह डिस्क्रिमिनेटरी भी है। जिनको दिया जा रहा है वे अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो चुके हैं। हम छोटे-बड़े नरेशों में भेद भी इससे करते हैं, यह भी अच्छी बात नहीं है, हमें शोभा नहीं देती। समय बदल चुका है और हम भी बदलना चाहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : We now adjourn to meet on 21st at 11 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही १६ मार्च १६६०, को सांय ५ बजे, शनिवार, दिनांक २१ मार्च, १६६० के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(शनिवार, १६ मार्च, १९६०)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शोर्षक

बीकानेर में हटाये गये दलित वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को रोकने की कार्यवाही।

झालावाड़ जिले की भीमसागर बांध योजना !

दिल्ली की विश्व कृषि प्रदर्शनी के राजस्थान पेवेलियन में राजस्थान के 'रिलीफ-मेप' का प्रदर्शन

राजस्थान नगरपालिका सेवाओं की स्थापना।

नाथद्वारा जांच आयोग की कार्यवाहियों हेतु नियुक्त एडवोकेट जनरल एवं डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट।

सवाई माधोपुर जिले में कालीसिंध बान्ध के निर्माण हेतु अर्जित भूमि के लिये प्रति-पूर्ति।

पाली जिले में एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिसेज़।

३६४८ बीकानेर के अस्पतालों के कम्पाउन्डर्स का ग्रेड।

गवर्नमेंट होस्टल जयपुर के कर्मचारी।

'नवयुग' का निरीक्षण।

अजमेर पुलिस का राजस्थान पुलिस में हुआ फाइनल इन्ट्रीग्रेशन।

जयपुर शहर में सफाई की व्यवस्था।

ग्राम राजपुर बड़ा, तहसील राजगढ़ (अलवर) में औषधालय।

नीमूंचाना, तहसील कोटपुतली में डाका।

जयपुर से चौमू के बीच बांडी नदी पर पुल।

बस यातायात का राष्ट्रीय-करण।

जयपुर शहर से आमेर तक लगी स्ट्रीट लाइट्स।

भवानी टॉकीज़, जयपुर के पीछे के इलाके के विकास की योजना।

Page No.117

माध्यमिकशाला पंचगाव, तहसील धौलपुर के भवन को सरकार के कब्जे में लेने के सम्बन्ध में।

बीकानेर के जी. बी. एम. हॉस्पिटल में कपड़ों की सिलाई में व्याप्त भ्रष्टाचार की हुई शिकायतों पर कार्यवाही।

अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ के डयूटी के घंटे।

जयपुर शहर की सड़कों का निर्माण, सुधार व मरम्मत।

नोहर-भादरा रोड के निर्माण हेतु आमंत्रित एवं स्वीकृत टेण्डर।

ग्राम बडल्यास, तहसील कोटड़ी के पास भैरूंघाटी नामक तालाब का सर्वेक्षण।

रतनगढ़ सालासर सड़क।

मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७—भू-राजस्व ३७०६

उपरोक्त मांग पर आज भी विचार किया गया तथा ३६ कटौती प्रस्ताव और प्रस्तुत किये गये।

राजस्व मंत्री के उत्तर के पश्चात् इस मांग पर प्रस्तुत कुल ५५ कटौती प्रस्तावों में से ३५ कटौती प्रस्ताव वापस ले लिये गये तथा शेष अस्वीकृत हुए। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५४-ख-भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते

उपरोक्त मांग श्री दामोदर लाल व्यास, राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तावित की गई। इस मांग पर आज २ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

सदन की बैठक ठीक ५ बजे सोमवार दिनांक २१ मार्च, १९६० को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

कार्य-विवरण दिनांक २१ मार्च, १९६० की कार्य सूची

(१) पुरःस्थापित विधेयक :—

राजस्थान कृषि-भूमि उपभोग (संशोधन) विधेयक, १९६०।

(२) मांगों पर अग्रेतर मतदान :—

(क) मांग संख्या २७—भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते। (पूर्व क्रम मे)

(ख) मांग संख्या १७—जन-स्वास्थ्य।

———

परिशिष्ट -१

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५०८ का उत्तर देखिये)

Inspection Note of the Working Journalists.

Inspector and Labour Inspector, Jaipur dated 11. 1. 1960.

Inspected the Navyug daily to-day. Shri Mishra is not available. On inspecting the records made available to me, it was found that there were 12 Working Journalists working in this paper. Recently servires of 2 of these Working Journalists have been terminated.

2. As far as the emoluments are concerned they are getting more than the minimum of the scales recommended by the Wage Committee. As the designations and the scales in which they are fixed are not clear, the management was requested to send the same at an early date.

3. As per information supplied, this paper comes in the category of class 'F'.

The present salary of the employees of the Editorial Section is as follows.

		Salary.
1.	Shri R.K. Mishra.	Not covered by category 'F'.
2.	" L.M. Bapna.	275/—P.M
3.	" Rajendra Kumar Ajaji.	250/— "
4.	" Sobhag Mal Jain.	220/— "
5.	" Kailash Misra.	195/— "
6.	" Ramesh Dube.	195/— "
7.	" Siddha Nath Tiwari.	175/— "
8.	" Vijaya Bhandari.	150/— "
9.	" Sita Ram Jhalani.	150/— "
10.	" Yagya Valkya Guru.	150/— "
11.	" Rajesh Mathur.	110/— "
12.	" Satya Narayan Shastri.	110/— "

4. The working hours are as prescribed under the Act-

5. The employees are getting their leave according to the provisions of the Working Journalists Act.

Sd/—M.M. Sharma.

11. 1. 1960.

————

Inspection Note of the Working Journalists.

Inspector and Labour Inspectors, Jaipur dated 18. 1. 1960.

A letter was also sent on 15. 1. 1960 to send the required informations but it was not responded. Again on 18. 1. 1960, I went to the office of the Navyug for inspection. Shri Mishra and the Accountant both were not available. I met Shri Nirbadh, the Manager of the Paper. He expressed his inability to show any record or to give any information at that time. He was requested to send Shri Misra with all the relevant records on 19. 1. 1960 at 3 P. M.

Sd/M.M. Sharma.
18. 1. 1960.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५१० का उत्तर देखिये)

Copy of Circular No. F. 4 (2) Apptts. (C) /58, dated Jaipur, the 20th, August, 1958 from the Special Secy. to Government, Appointments (C) Department, Rajasthan, Jaipur to the All Heads of Departments etc.

Sub:—Promotion of Government servants pending the final disposal of representations against positions assigned in the interlaced seniority lists by the Advisory committees.

The question whether substantive promotions can be allowed to Government servants pending finalisation of the representations against positions assigned in the interlaced seniority lists drawn up as a result of the merger of Ajmer, Abu and Sunel areas in Rajasthan under the States Reorganisation Act had been under the consideration of the Govt. the matter has been examined and it has been decided that no substantive promotions should be made till the finalisation of the representations by the respective Advisory Committees. This will not, however, restrict the power of authorities concerned to make officiating, appointments in accordance with the provisional interlaced seniority lists.

No. C/GIV. 3. 58 (IV)/9905 Dated 8. 9. 58.

Copy forwarded to the:—

1. All D. I s. G. P. incl CID/Hqrs.
2. All S. Ps. incl. CID/SB/PRO/GRV
3. All Commandants incl. MBC
4. Principal, PTS/Kishangarh.
5. P. A. to I.G.P., Rajasthan.
6. A.O. PHQ-Rajasthan, Jaipur,
7. P.Z. Os. Jodhpur/Ajmer.
8. All I/C Sections of PHQ

for information and necessary action.

Sd/-(S.R. SHARMA) I. P. S.
A. Dy. I. G. of Police(Hqrs. Rlys.)
Rajasthan, Jaipur.

———

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५२४ का उत्तर देखिये)

सड़कों की सूची जो राजस्थान निर्माण विभाग के अन्तर्गत हैं :

१. अजमेर सड़क ; मय पूरी मिर्जा इस्माइल रोड।

२. दिल्ली सड़क।

३. टोंक सड़क ।

४. लोथियन सड़क।

५. चांदपोल दरवाजे से रेलवे स्टेशन तक की सड़क।

६. भगवानसिंह सड़क : रामसिंह हाई वे से रेजीडेन्सी तक :

७. जेकब रोड : रेजीडेन्सी से रेलवे स्टेशन लेविल क्रॉसिंग तक द्वारा नाटानियों का बाग ।

८. सवाई मानसिंह हाई वे ।

९. तिलक सड़क : सवाई मानसिंह हाई वे व सवाई रामसिंह हाई वे के मध्य:

१०. चांदपोल दरवाजे से तीसरी चौपड़ तक की सड़क ।

११. अजमेरी दरवाजे से आमेर सड़क तक: द्वारा ब्रह्मपुरी व किशनपोल बाजार:

१२. जौहरी बाजार सड़क।

१३. सिरह ड्योढ़ी बाजार सड़क।

१४. मोती कटला बाजार की सड़क आमेर की सड़क तक।

अर्बन इम्प्रुवमेन्ट बोर्ड के अन्तर्गत :

१५. समस्त सड़कें योजना ए. सी. ई.

नगरपालिका के अन्तर्गत :

१६. समस्त सड़कें अलावा ऊपर लिखी दोनों विभागों के।

———

INDEX OF ROAD IN ALL THE SCHEMES OF URBAN IMPROVEMENT BOARD.

Sl. No.	Particulars.	Mileage unmettled	Mileage of mettled & carpetted.	Remarks.
1.	Bani Park Scheme	32 miles	13 miles	
2.	Labour Colony	3 „	1.96 „	
3.	Jothwara	—	—	
4.	New Colony	2.3 „	2.5 „	
5.	Fateh Tiba	3.6 „	—	
6.	'C' Scheme	37.33. „	32.5 „	
7.	Park House	—	—	
8.	Gandhi Nagar.	2.7. „	3.9 „	
9.	Moti Doongri Zone A			
10.	Moti Doongri Zone B			

BANIPARK

Sl. No.	Particulars	Total width	lenght of	metelled portion	FootPath	Remark
1.	Khasa Kothi to Jaisingh Circle	90'	1720'	16'	74'	
2.	Jai Singh Circle	„	1550'	„	74'	6570 x 74 / 10
3.	A-23 to Park	„	3300' / 6570	„	74'	9. 4 miles
4.	A-22 to D. 24 to D-117	50'	2470'	„	34'	

1	2	3	4	5	6	7
5.	Madho Singh Circle	50	800'	16'	24'	
6.	D. 60 to D-54	,,	1300'	,,	,,	6461
7.	A-25 to B-18	,,	1416'	,,	,,	
8.	Shiv Circle	,,	475'	,,	,,	
9.	B-17 to B 12	1400'	50'	,,	,,	
10.	Kanti Chandra	3825'	60'	,,	44'	
11.	D-158 to D-148	2300'	40'	,,	24'	
12.	D-268 to D-275	650'	,,	,,	,,	
13.	D-268 to D-215	500'	,,	,,	,,	
14.	D-133 to D-123	600'	,,	,,	,,	
15.	D-134 to D-123	766'	,,	,,	,,	
16.	D-115 to D-131	—	—	—	—	
16.	D-115 to D-131	1000'	,,	,,	,,	
17.	D-141 to D-138	640'	,,	,,	,,	
18.	D-147 to D-142	920'	,,	,,	,,	
19.	C-18 to D-263	755'	,,	,,	,,	
20.	D-251 to D-236	615'	,,	,,	,,	
21.	D-283 to D-12	584'	,,	,,	,,	
22.	D-251 to D-105	2119'	,,	,,	,,	
23.	D-100 to D-18	3667'	,,	,,	,,	
24.	D-71 to Govt.Bungalow	2600	,,	,,	,,	
25.	A-24 to D-39	1220'	,,	,,	,,	
26.	Hathi Babu Marg.	1430'	,,	,,	,,	
27.	D-53 to D-48	605	,,	,,	,,	
28.	D-84 to D-44	1608'	,,	,,	,,	
29.	D-45 to D-36	1130'	,,	,,	,,	

1	2	3	4	5	6	7
30.	B-17 to Kantichandra	725'	40'	16'	24'	
31.	D-162 to 167	780'	,,	,,	,,	
32.	D-168 to 177	1700'	,,	,,	,,	
33.	D-185 to Malgar	317'	,,	,,	,,	
34.	D-128 to D-194	825'	,,	,,	,,	
	Metalled 13 Miles unmetalled 32 miles					
1.	Plot No 1 to 37	870'	30'	12'	18'	
2.	2 to 38	873'	,,	,,	,,	
3.	9 to 10	136'	,,	,,	,,	
4.	28 to 27	137'	,,	,,	,,	
5.	37 to 182	1400'	,,	,,	,,	
6.	68 to 124'	682'	,,	,,	,,	
7.	105' to 172'	138'	,,	,,	,,	
8.	175' to 178'	235'	,,	,,	,,	
9.	75 to 76	133'	,,	,,	,,	
10.	121 to 122	133'	,,	,,	,,	
11.	67 to 171	1032'	,,	,,	,,	
12.	183 to M temple	225'	,,	,,	,,	
13.	169 to 170	181'	,,	,,	,,	
14.	155 to 156	135'	,,	,,	,,	
15.	40 to 149	1110'	,,	,,	,,	
16.	39 to 46	180'	,,	,,	,,	
17.	60 to 49	300'	,,	,,	,,	
18.	1 to 6	8300'	,,	,,	,,	
19.	142 to 139	161'	,,	,,	1.9 mile	3 miles

JOTHWARA.

1. Boan factory 5522
2. Brass factory 1900
3. Potato factory 2800

NEW COLONY

Sl. No.	Particulars.	Length	Width	Metalled Mileage 10'vide of metalled posts.	Mileage of unmetalled.
A.	Form M.I. Road to	719	50'	22'	
1.	From Panch Basi to centre of road near C. I.				
		683	,,	,,	3784x22 / 10	3784x28 / 10
2.	B-2 to	1382'	,,	,,		
3.	E-3 to E-5	273'	30'	17'	8324.8	
4.	B-9 to B-22	1000'	50'	22'	1758x17 / 10	1758x13 / 10
5.	B-3 to B-18	1000'	30'	17'	2888.6	
6.	B-18 to C-18	176' 1758'	30'	17'		
7.		206	19'		208	200
8.	Mori Road.	100'	40'	20'	100x29 / 10	100x20 / 10
9.	C-14 to C-8	200'	20'	16'	408x16 / 10	408x4 / 10
10.	B-14 to B-8	208'	20'	16'	652.22	
		159	15'	10'	159x10 / 10	159x5 / 10
				—	159.00	
				Total :—	12223.00	
				Total :-	203 Miles	2.5 Miles.

FATEH TIBA

	L.	B.	A. P.	UM. P.	Mileage of M. P.	Mileage of U. M. P.
Road No. 1.	2200		12'-0'			
2.	1100		„			
3.	500'-0"		„			
4.	700'-0"		„			
5.	2400'-0"		„			
6.	1500'-0"		„		15900x12	
7.	900'-0"		„		10	
8.	500'-0"		„			
9.	1400'-0"		„			
10.	1600'-0"		„			
11.	900'-0"		„			
12.	500'-0"		„			
13.	450'-0"		„			
14.	800'-0"		„			
15.	450'-0"		„			
	15900				2.6 Mile	

'C' SCHEME.

	L.	A. P.	UM. P.	Mileage
1. Prithvi Raj Road from Statue Circle to Sardar Patel Marg.	3185	90'-0"	30'-0"	60'-0"
2. Statue circle to Tonk Road.	2965	90'-0"	30'-0"	60'-0"
				12974x20 / 10
				12974x60

Azad Marg.	1556	64'-0'	30'-0"		11191 13.8
Hospital Road.	1896	"	"	34'-0"	
Malvia Marg.	942'-0"	"	"	"	
Sardar Patel circle to Subash Marg circle.	1123'-0"	"	"	5206x30 / 10	5306x34'-0' / 10
Bhagat Singh Marg.	1345'-0" / 5306	"	"	15910	3.4 Mile
Saraswati Marg.	1105		20'-0"		
Laxmi Path.	232		"		
Udai Path.	245 / 1582		"		
Radha Marg.	1582'-0"		"	2865x20 / 10	2965x20 / 10
Madho Marg.	243'-0" / 2965'-0"		"	5730	1.08 Miles.
Sarni Marg.	1250'-0"	40'-0"	16'0"		
"	845'-0"	"			
Lajpat Marg.	1150'-0"	"	"		
	1120'-0"	"			
Mahavir Marg & Bhagwan Dass road	1050'-0"	40'-0"	16'-0"		
Madho Marg.	66'-0"	"	"		
Ramesh Marg.	575'-0"	"	"		
Arvind Marg.	46'-0"	"	"		
Gokhle Marg.	165'-0"	"	"		
Kamla Marg.	700'-0"	"	"		
Krishna Marg.	1200'-0"	"	"		
H 1 to H 4	512'-0"	"	"		
E 51 to E 75	525'-0"	"	"		
E 53 to E 77	4512'-0"	"	"		

E 15 to K 17	391'-0"	40'-0'	16'-0'		
Prithviraj to Jamna Lal Bajaj.	1725'-0"	,,	,,		
Plot F 140 to F 99	993.	,,	,,		
F 141 to F 100	850	,,	,,		21565x16 / 10
C 82 to C 88	1136	,,	,,		
	21569				34509
Madho Marg.	213	90'-0"	12'-0"		21565x24 / 10 —2.4 Miles.
K 8 to K 10	200'-0"	30'-0"	,,		
K 14 to K 17.	406	,,	,,		
Suresh Marg.	684'-0"	40'-0"	,,		
Modhi Bhawar to Suresh Marg.	796	,,	,,		
Jamna Lal Bajaj Marg	1226	,,	,,		
	450	,,	,,		5444x12 / 10
	559	,,	,,	65292	5441x28 / 10
	567	,,	,,		
	550	,,	,,		
	5441				
		Total:—		32.5 Miles	37.32 Miles.

PARK HOUSE

Western side.	500	40'-0"
Western side.	620	,,
Eastern side.	600	,,

Eastern side	500	30'-0"
Eastern side	450	"
Eastern side	400	"

GANDHINAGAR.

L W	M. P.	UNMETALL	MILEAGE	MILEAGE OF
District Board office				10'-0" Wild
S. B. 2	290	60'-0"	24'-0"	unmetalle.
S. B. 26 to SB 170	3002	"	"	
4 No. Road part A	1459	"	"	5940x 36 / 10
4 No. Road Part B	1194	"	" 2.7 miles	3.9
	5940			
Road No. 5 Circular Road.	2500	40'-0"	16'-0"	
B-138 to C-140	183	"	"	
B-148 to C-137	909	"	"	
B-144 to B-146	218	"	"	
C-143 to B-164	260	"	"	
D-179 to D-173	485'-0"	"	"	
D-198 to D-191	593'-0"	"	"	
C—98 to D-153	204	"	"	
D-153 to D-150	316'-0"	"	"	
C-102 to D-200	466	"	"	
D-127 to C-118	954	"	"	
Open area	100	"	"	
D-144 to D-148	332'-0"	"	"	
	15,329			
D-165 to D-159	500'-0"	"		
C B-6 to C-133	156'-0"	"		
133 to C-130	244'-0"	"		
Circular Road	1,225'-0"	"		
D-183 to D-172	552'-0"	"		

D-172 to D-186	506'-0"	40-0'	
2 No. Road part.	1,994'-0"	„	
	1595		
C-20 to C-27	500'-0"		
C-27 to C-33	451'-0"		
C-30 to B-54	260'-0"		
C-33 to C-43	605'-0"		
C-43 to C-45	227'-0"		
Road No. 2	2,224'-0"		
Road from 159 to			
D-153	422'-0"		
4 No. Road Part A	1,454'-0"		
3 No. Road.	1,300'-0"		
	27,128		
8 No. Road Part B	327'-0"	„	16'-0"
Road D-72 to C-45	234'-0"	42'-0"	„
C-45 to C-20	239'-0"	„	„
	Zone D		
Road No. 6	122'-0"	„	„
D-55 to D-62	204'-0"	„	„
D-62 to D-50	246'-0"	„	„
D-63 to C-37	244'-0"	„	„
8 No. Road Part B	652'-0"	„	„
Plate from Road.	214'-0"	„	„
Platefrom South Road	211'-0"	„	„
Plateform West Road	52'-0',	„	„
D-18 to D-22	176'-0"	„	„
D-12 to D-19	294'-0"	„	„
D-13 to D-22	176'-0"	„	„

D-22 to D-29	359'-0"	42'-0'	16-0'
D-21 to B-84	233'-0"	,,	,,
Rool Circle.	600'-0"	,,	,,

32,682'-0"   27,072x24 / 10

Road No. 8 Part C   530'-0" / 2,772x16   43,315.2   12.1

—8.2 Miles

2.7

10.9. miles.

16.00 miles.

Miscellaneious.

S. M. S. Highway. 3,760   160'-0"   40'-0"   129'-0"   3,760x40

14.040 ·2.6 miles.

—7.08 miles.

MOTI DOONGRI ZONE 'A'

1.	Road	No.	1 Part A	1,000	22 ft wide road.
2.	,,	1	Part B.	1,350	12 ft. wide
3.	,,	2		1,000	,,
4.	,,	3		1,700	,,
5.	,,	4		270	,,
6.	,,	5		260	,,
7.	,,	6		270	,,
8.	,,	7		950	,,
9.	,,	West	Part.	400	,,
10.	,,	No.	9	1,900	,,
11.	,,	No.	10	1,070	,,
12.	,,	No.	11	650	12
13.	,,	No.	12	700	,,

14.	Road No. 13	300	12 ft. wide.
15.	Road No. 14	260	"
16.	Road No. 15	950	"
17.	Road No. 16	869	"
18.	Road No. 17	500	"
19.	Road No. 18	890	"
20.	Road No. 19 -A	500	"
21.	Road No. 19 B-7	700	"
22.	Road No. 20	280	"
23.	Road No. 22-A	1,900	22 ft. wide.
		19,200	

MOTI DOONGRI ZONE 'B'

1.	Road No. 32. B	1,390	22 ft. Wide
2.	Road East Part.	400	"
3.	Circular Road.	500	"
4.	Nalla Road. B	200	"
5.	Nalla Road No. 25	1,870	"
6.	Road No. 8	1,620	"
		4,980	
7.	Road No. 21	650	12 ft. wide
8.	Road No. 22	670	"
9.	Road No. 22-B	659	"
10.	Road No. 23-A	970	"
11.	Road No. 23-A	700	"
12.	Road No. 24-A	970	"
13.	Road No. 24-B	1,900	"
14.	Road No. 26-A	400	"
15.	Road No. 26-B	300	"
16.	Road No. 27	600	"

17.	Road No.	28	300	12 ft. wide.
18.	Road No.	29	1,250	,,
19.	Road No.	30	300	,,
20.	Road No.	31	300	,,
			10,460.	

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक १६ मार्च, १६६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
३६५७	११	भेज दे।	भेज दें।
३६६०	११	जायेगा,।	जायेगा,
३६६५	५	श्री अपनूसिंह	श्री अनूपसिंह
३६७५	अन्तिमसे २-१	(Objection Representioa)	(objection or representation)
३६६२	१०	Cerfain routes	Certain routes
,,	१४	No tification	Notification
,,	१७	Sidhant shasti	Sidhant shastri
३६६६	४	रही गई थी ?	रह गई थी ?
३७०१	प्रथम	परिशिष्ट	परिशिष्ट
३७०२	२	है, उसकी पास	है, उसको
,,	८	सड़क जो	सड़क की जो
३७२६	२६	उनके लें	उनको लें
३७३१	७	चाहत हूँ	चाहता हूँ
३७४३	अन्तिम से ३	समझाता हुआ	समझौता हुआ
३७४८	अन्तिम	छीन दू	छीन कर दूसरे
३७४६	३	जो गदी	जो गंदी
,,	४	मेहनत करके	मेहनत करके
३७५५	१	चाकूस में	चाकसू में
३७५६	शीर्ष	(श्री नाथूलाल कोरल)	(श्री नाथूलाल करोल)
३७७५	१५	ाक मंत्री	कि मंत्री
३७८३	शीर्ष	-१६ माच	-१६ मार्च
३७६४	८	वनाता है	बनाता है
,,	११	करते है	करते हैं
३७६७	२०	एन्टरीज़	एन्ट्रीज़
३८०१	२४	मिले सके	मिल सके
३८०८	४	जमादारी समाप्त	जमींदारी समाप्त
३८०६	शीर्ष	भ-राजस्व	भू-राजस्व
,,	६	के ओार	के और
३८१६	१६	Madhopu istrict	Madhopur District
३८२४	प्रथम	नइ छीनी	नहीं छीनी
३८२४-२५	शीर्ष	-१६ माच	-१६ मार्च
३८३८	प्रथम	बात आवे	बतावें
३८४१	१८	प्राइम फेंसी	प्राइमा फेंसी

१	२	३	४
३८४२	२	Wben the	when the
,,	२	olarification	clarification
३८५०	शीर्ष	-१९ माच	-१९ मार्च
३८५१	८	श्री दामोदरलाल ब्यास	श्री दामोदरलाल व्यास
३८५१	अन्तिम से ४	जमीन मैं	जमीन में
३८५२	१६	माननीय सदस्य	माननीय सदस्या
३८५३	२	क्या श्रमीन	क्या अमीन
३८५४	७	ढिया जावे	दिया जावे
३८५५	१०	, should	, he should
,,	२७	।नकलते तो	निकलते तो
३८६३	अन्तिम	मन्त्री महोदय	मन्त्री महोदय ने
३८६५	अन्तिम से ५	के प्रश्ताव	के प्रस्ताव
३८६९-३८७७	शीर्ष	मांग संख्या १-भू-राजस्व	मांग संख्या २७-भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते
३८७०	अन्तिम से ६	श्री चदनमल	श्री चन्दनमल
३८७१	१९	Ruers and	Rulers and
३८७४	२६	आमदमी उनकी	आमदनी उनकी
३८७८	१८	प्रति-पूर्ति	क्षति-पूर्ति
३८९५	९ वीं पंक्ति का अन्तिम कॉलम	$\frac{5940X36}{10}$	$\frac{5949X36}{10}$
३८९८	१९ वीं पंक्ति (योग)	4,980	5,980